वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

okf"kZd fjiksVZ
2022&2023

vh-vh- fxfj jk"Vªh; Je laLFkku

lsDVj&24] uks,Mk & 201 301 ¼m-iz-½

प्रकाशक : वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा – 201 301, उ.प्र.

यह रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

मुद्रण स्थान : चन्दू प्रेस, डी–97, शकरपुर
दिल्ली – 110 092

विषय-सूची

- çEk[k miyfC/k;k 1
- lLFkku dk fotu vkj fe'ku 13
- lLFkku dk vf/kns'k 14
- lLFkku dh Lkjpuk 15
- vu l/kku 19
  - श्रम बाजार अध्ययन केंद्र 50
  - कृषि संबंध और ग्रामीण व्यवहार अध्ययन केंद्र 44
  - राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र 55
  - रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र 20
  - एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम 58
  - लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र 36
  - पूर्वोत्तर भारत केंद्र 47
  - श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र 31
  - जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र 60
  - अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र 63
- fo’k"k dk;Øe@nkj 65
- çf'k{k.k vkj f'k{kk 69
- ,u- vkj- M Je lpuk llk/ku dn 90
- jktHkk"kk uhfr dk dk;kUo;u 91
- çdk'ku 93
- i{k leFku vkj çlkj 97
- lLFkku d b&xouVl ,o fMftVy voljpuk dk mUu;u 100
- depkfj;k dh l[;k 101
- QdYVh 102
- y[kk ijh{kk fjikV vkj y[kkijhf{kr okf"kd y[kk 2022&2023 104

प्रमुख उपलब्धियाँ
(2022–23)

- **वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन एवं परामर्श कार्य करने वाला एक अग्रणी संस्थान है।** 1974 में स्थापित यह संस्थान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान का पुनःनामकरण 1995 में, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता श्री वी. वी. गिरि के नाम पर किया गया। संस्थान ने विश्व स्तर के एक प्रतिष्ठित संस्थान और कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध श्रम अनुसंधान एवं शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरने के प्रयासों को जारी रखा है।

- **सामाजिक भागीदारों को परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करनाः** भारत अभी कार्य की दुनिया में तीव्र परिवर्तनों का सामना कर रहा है, जिससे उसे अवसरों के साथ–साथ चुनौतियां भी मिल रहीं हैं। संस्थान ने **171** ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें देश भर से श्रम प्रशासकों, औद्योगिक संबंध प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं शोधकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों और सामाजिक साझेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले **5388** प्रतिभागियों ने परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से अपने कौशलों एवं क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भाग लिया। संस्थान ने एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार सहित **17** वेबिनार/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जिनमें **1128** प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **नीति–निर्माण के लिए ज्ञान का आधारः** संस्थान ने श्रम के विभिन्न पहलुओं पर 22 अनुसंधान परियोजनाएं/मामला अध्ययन/ पेपर शुरु किए और इनमें से 16 (12 अनुसंधान परियोजनाएं एवं 04 मामला अध्ययन) पूरे किए, जिन्होंने विभिन्न हितधारकों और सामाजिक साझेदारों को आवश्यक ज्ञान आधार प्रदान किया।

- **विशेषज्ञ समूह सेवाएँः** संस्थान समय–समय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/संगठनों जैसे कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आदि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मार्फत आवश्यक इनपुट प्रदान करता रहा है जो नीति–निर्माण में प्रासंगिक होते हैं। ये इनपुट गहन शोध, विभिन्न हितधारकों यथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, ट्रेड यूनियन अधिकारियों, सिविल सोसायटी के सदस्यों, नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों आदि के साथ विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

- **असंगठित कामगारों को सशक्त बनानाः** संस्थान ने असंगठित क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर **67** क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें **1816** प्रतिभागियों ने भाग लिया। ऐसे प्रशिक्षण हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य श्रम बाजार में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करना, तथा यह प्रदर्शित करना था कि कैसे सशक्तिकरण सामाजिक व आर्थिक समावेशन का एक शक्तिशाली साधन बन सकता है।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की चिंताओं के समाधान के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण:** संस्थान ने **10** प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक साझेदारों के लिए किया। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के **260** कार्मिकों ने भाग लिया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सराहा है।

- **श्रम के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का हब (केंद्र):** संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय तकनीकी आर्थिक और सहयोग (आईटीईसी) के अंतर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर सूचीबद्ध है। वर्ष 2022–23 के दौरान आईटीईसी के तहत दो कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 33 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **श्रम मुद्दों से संबंधित सूचना एवं विश्लेषण का प्रसार :** संस्थान सात आंतरिक प्रकाशन, *लेबर एंड डेवलपमेंट* (छमाही पत्रिका), *अवार्ड्स डाइजेस्ट* (तिमाही पत्रिका), *श्रम विधान* (तिमाही हिंदी पत्रिका), *वीवीजीएनएलआई इंद्रधनुष* (द्विमासिक पत्रिका), *चाइल्ड होप* (तिमाही पत्रिका) तथा *श्रम संगम* (छमाही हिंदी पत्रिका) प्रकाशित करता है। संस्थान के अनुसंधान निष्कर्षों को मुख्यतः एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। इनके अलावा, संस्थान समय–समय पर अन्य प्रकाशन जैसे 'वीवीजीएनएलआई पॉलिसी पर्सपेक्टिव्ज' जिसमें सरकार के प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों और श्रम एवं रोजगार पर इनके प्रभाव पर फोकस किया जाता है और 'वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला' जिसमें कुछ मामला अध्ययनों/हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाशित कर रहा है। संस्थान ने वर्ष 2020–21 के दौरान 42 प्रकाशन प्रकाशित किये।

- संस्थान ने वर्ष 2022–23 के दौरान दो *आवधिक प्रकाशन* प्रकाशित किए:
  - इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया
  - सामयिक श्रमिक मुद्देः कुछ चयनित आलेख

- **व्यावसायिक भागीदारी करना एवं उसे सुदृढ़ बनाना:** आज का युग नेटवर्किंग का युग है। संस्थान ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाते हुए व्यावसायिक नेटवर्किंग को स्थापित करने एवं उसे सुदृढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा।

  ☞ संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी), ट्यूरिन, इटली के साथ पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवम्बर 2018 को ट्यूरिन, इटली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप

तकनीकी क्षमताओं के उन्नयन के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

- वर्ष 2022–23 के दौरान, वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संकाय सदस्यों ने आईटीसी–आईएलओ, ट्यूरिन द्वारा आयोजित निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है:

  - ⇨ 25 अप्रैल से 20 मई 2022 के दौरान *हरित कार्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन* पर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वीवीजीएनएलआई के एक संकाय सदस्य को नामित किया गया था।
  - ⇨ 09 मई से 10 जून 2022 के दौरान *समावेशी बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से नौकरियां पैदा करना* विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई के एक संकाय सदस्य ने भाग लिया।
  - ⇨ आईटीसी–आईएलओ ने 10–13 अक्टूबर 2022 के दौरान *ग्लोबल साउथ–साउथ को–ऑपरेशन फोरम: आजीविका, रोजगार और कमजोर समूहों का समावेश* का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आठ (08) अधिकारियों ने भाग लिया।

☞ वीवीजीएनएलआई को भारत सरकार द्वारा **ब्रिक्स** देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

- वीवीजीएनएलआई ने 15 सितंबर 2022 को चाइनीज एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन द्वारा आयोजित *महामारी के बाद की अवधि के संदर्भ में रोजगार और आय नीतियां* विषय पर ब्रिक्स देशों के श्रम अनुसंधान संस्थान नेटवर्क के ऑनलाइन सेमिनार में प्रतिनिधित्व किया और प्रस्तुति दी।

- दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी के तहत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 21–24 फरवरी 2023 के दौरान आयोजित अनुसंधान नेटवर्क बैठक में वीवीजीएनएलआई ने 21 फरवरी 2023 को ब्रिक्स प्रथम रोजगार कार्य समूह बैठक (ईडब्ल्यूजी) के मौके पर *सामाजिक संरक्षण का संक्षिप्त देश विशिष्ट अवलोकन* पर एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुतिकरण में भारत में रोजगार–बेरोजगारी के रुझान, भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति: एक सिंहावलोकन, लाभ और योजनाएं, लिंग और सामाजिक सुरक्षा, नई पहल (ई–श्रम) और नई श्रम संहिताओं के तहत पहल का अवलोकन प्रदान किया गया।

☞ वीवीजीएनएलआई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है।

राष्ट्रीय

☞ संस्थान ने श्रम एवं रोजगार के मुद्दों से संबंधित सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रसिद्ध संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया:

- ➪ 17 अक्टूबर 2022 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा, कटक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ➪ वीवीजीएनएलआई और दून विश्वविद्यालय, देहरादून के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 17 अक्टूबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए।
- ➪ वीवीजीएनएलआई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 01 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए।
- ➪ 22 दिसंबर 2022 को लोयोला कॉलेज, चेन्नई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ➪ 17 मार्च 2023 को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

❖ **नीतिगत मुद्दों पर गहन बहस करने एवं प्रमुख पहलों के प्रसार हेतु मंच:** समसामयिक मुद्दों एवं नीति–निर्माण के संबंध में संस्थान द्वारा आयोजित कुछ कार्यशालाएं निम्न प्रकार हैं:

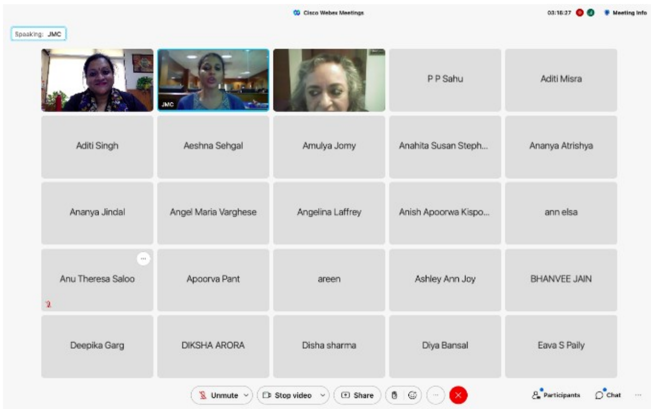

➪ संस्थान ने 08–10 जून 2022 के दौरान जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 'एमएसएमई सैक्टर में महिला श्रमिक और गृह आधारित रोजगार' पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में प्रमुख रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करना, (ii) एमएसएमई और घर–आधारित कार्यों में महिला श्रमिकों की औसत स्थितियों से उभरने वाली प्रमुख लैंगिक चिंताओं का अवलोकन प्रदान करना, (iii) महिला कार्यबल पर हाल के श्रम कानून संशोधनों और महामारी के प्रभाव पर चर्चा करना, (iv) एमएसएमई की महिला श्रमिकों पर महत्वपूर्ण डेटा और आवश्यक अनुसंधान रणनीतियों की रूपरेखा प्रदान करना। डॉ. माया जॉन, सहायक प्रोफेसर और संयोजक, महिला अध्ययन केंद्र, जीसस एंड मैरी कॉलेज, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने इस सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के 86 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई तथा डॉ. माया

जॉन, सहायक प्रोफेसर और संयोजक, महिला अध्ययन केंद्र, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया।

➪ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने 28 जून 2022 को 'डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' पर एक–दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का लक्ष्य डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज्ञान बढ़ाना था, जो बेहतर भविष्य की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए एक मूल्यवान विकल्प है। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) डिजिटल मार्केटिंग और ई–कॉमर्स का परिचय देना, (ii) ई–कॉमर्स ऑनलाइन ई–लर्निंग पाठ्यक्रम का परिचय, (iii) अपने व्यवसाय को कैसे पंजीकृत करें और इसे ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ा जाए, पर व्यावहारिक निर्देश, (iv) महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाना एवं उन्हें अन्य सहभागियों को अपने माल एवं सेवाओं को दिखाने का अवसर देना, और (v) डिजिटलीकरण से संबंधित कानून। कार्यक्रम में अठारह प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ शशि बाला, फेलो ने किया। उद्घाटन भाषण डॉ. एच. श्रीनिवास, तत्कालीन महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई द्वारा दिया गया।

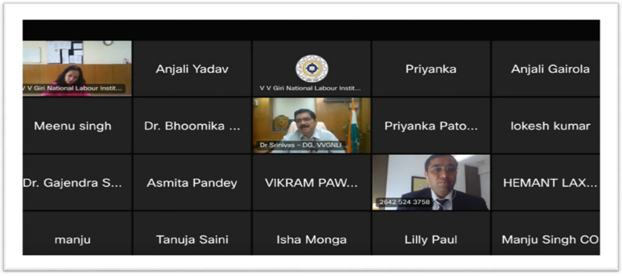

डॉ. एच. श्रीनिवास, तत्कालीन महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

➪ संस्थान ने भारत सरकार के माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के कार्यालय के अनुरोध पर 29–30 जुलाई 2022 के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों के ***'चाय बागान और बांस श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम'*** का आयोजन किया। कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य प्रतिभागियों को चाय और बांस क्षेत्रों से संबंधित कौशल विकास और श्रम संहिताओं से परिचित कराना था। **श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री** ने कार्यक्रम के समापन समारोह में भाग लिया। माननीय मंत्री जी द्वारा संस्थान के प्रकाशनों – अवार्ड्स डाइजेस्ट और चाइल्ड होप के नवीनतम अंकों का विमोचन किया गया। उन्होंने समापन भाषण भी दिया और संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास के साथ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पच्चीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

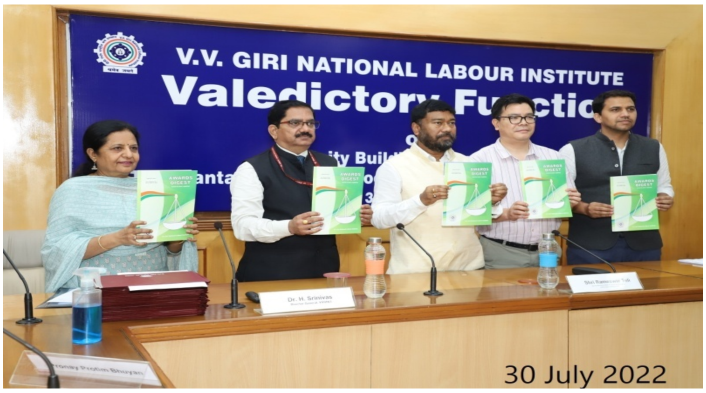

श्री रामेश्वर तेली, माननीय श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, डॉ. एच. श्रीनिवास, महानिदेशक एवं अन्य लोग प्रकाशनों का विमोचन करते हुए

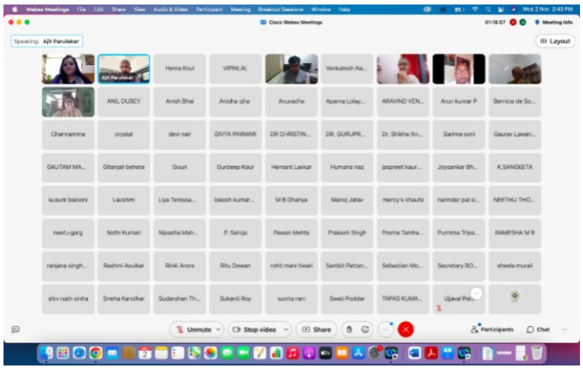

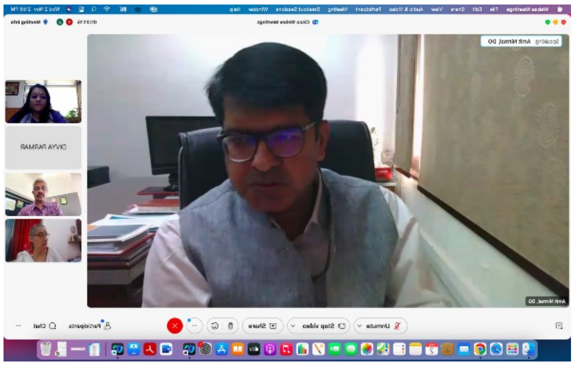

➪ वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से 02 नवंबर 2022 को 'महिला श्रम बल भागीदारीः चुनौतियां और आगे की राह' पर अर्ध–दिवसीय वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार का उद्देश्य भारत में महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी की घटना और इसके लिए जिम्मेदार कारकों को समझना था। वेबिनार में महिला श्रमिकों से संबंधित मौजूदा कानूनों और महिला श्रमिकों पर कानूनों के प्रभाव को समझने पर भी विचार–विमर्श किया गया। इसमें देश में महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशों पर चर्चा भी शामिल थी। श्री अमित निर्मल, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई ने उद्घाटन भाषण दिया। महिला श्रम बलः रुझान और मुद्दे पर पैनल के पैनलिस्टों में प्रो. अजीत पारुलेकर, निदेशक, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने एक विशेष संबोधन दिया। प्रो. सेबस्टियन मॉरिस, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोफेसर रितु दीवान, वाइस प्रेसिडेंट, आईएसएलई, सुश्री अमरजीत कौर, एआईटीयूसी और श्री अंकुर दलाल, आरएलसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शामिल थे। महिला श्रम बल भागीदारी में सुधारः नीतिगत प्रभाव पर पैनल के पैनलिस्टों में श्री बरुण रे, आईएएस, प्रमुख सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, डॉ. शिखा आनंद, निदेशक, डीजीई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

डॉ माया जॉन, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, पूर्व प्रोफेसर, जेएनयू, नई दिल्ली शामिल थे। वेबिनार में देश भर से शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। वेबिनार का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. किंगशुक सरकार, एसोसिएट प्रोफेसर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गोवा ने किया।

- 13–14 दिसंबर 2022 के दौरान एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम, वीवीजीएनएलआई द्वारा **'कार्य का भविष्य: परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना'** पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं: क) कार्य के भविष्य की प्रमुख रूपरेखा का विश्लेषण करना। ख) तकनीकी परिवर्तनों और उनके प्रभावों तथा कार्य और कार्य संबंधों पर निहितार्थ का पता लगाना। ग) कोविड–19 के प्रमुख श्रम बाजार प्रभावों की जांच करना और विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का आकलन करना। घ) कार्य का उज्ज्वल और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मार्गों के घटकों को रेखांकित करना। कार्यशाला में सभी संबंधित हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पंद्रह प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., फेलो ने किया।

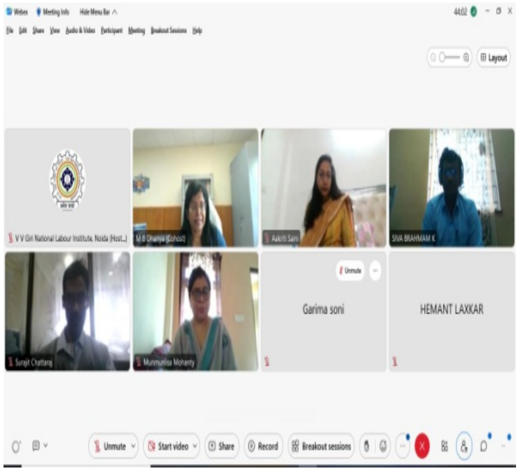

- संस्थान द्वारा 19 जनवरी 2023 को **'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में क्षमता बढ़ाना'** पर एक–दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में प्रतिभागियों की क्षमता को बढ़ाना था। कार्यशाला में बत्तीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

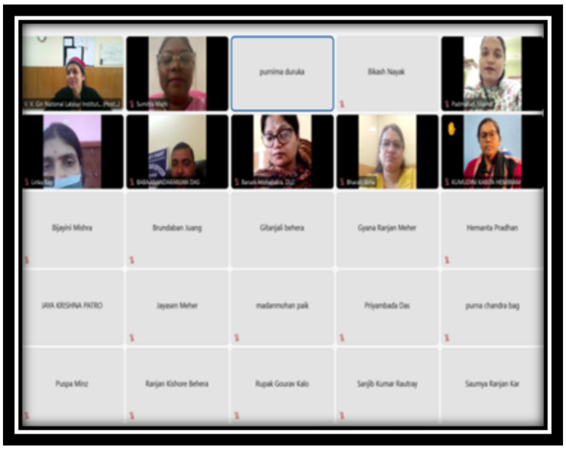

- संस्थान द्वारा 25 जनवरी 2023 को नॉर्थ ईस्ट सेल, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ '**पूर्वोत्तर भारत में युवा और रोजगार**' पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) कार्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का पता लगाना (ii) युवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, प्रवासन, कौशल, उद्यमिता आदि से संबंधित मुद्दों को पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ मे समझना (iii) प्रतिभागियों को सामान्य रूप से भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में श्रम और रोजगार के क्षेत्र में हाल की पहल और विकास से परिचित कराना (iv) प्रतिभागियों को शोध विषय के रूप में श्रम और रोजगार के मुद्दों को लेने के लिए प्रोत्साहित करना। कार्यशाला में पैंतालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो ने किया।

- संस्थान द्वारा 27 जनवरी 2023 को श्याम लाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से ***'श्रम बल डेटा'*** पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य श्रम अनुसंधान में लगे हितधारकों और श्रम के मुद्दे से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में लगे लोगों के बीच डेटा प्रबंधन कौशल को बढ़ाना था। इसने हितधारकों को डेटा प्रबंधन, मात्रात्मक नमूना सर्वेक्षण विधियों आदि में व्यावहारिक कौशल प्रदान किया, उदाहरण के लिए, इकाई–स्तरीय डेटा (जैसे पीएलएफएस) प्रबंधन जिसमें डेटा निष्कर्षण, शोधन, सत्यापन, संहिताकरण और विश्लेषण शामिल है। कार्यशाला में पैंतीस शोधकर्ताओं, एनजीओ पेशेवरों और श्रम अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो ने किया।

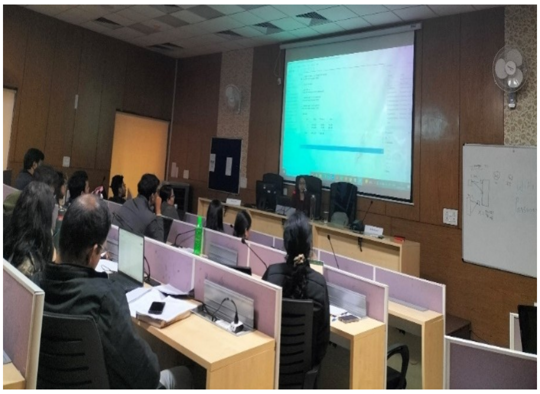

- संस्थान द्वारा 17 फरवरी 2023 को ***'भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभालः चुनौतियां और नीति'*** पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) भारत में महिलाओं की श्रम बल में घटती प्रतिभागिता के बारे में उभरते विश्लेषणों के संदर्भ में भारत में महिलाओं के रोजगार को समझना (ii) भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभाल से संबंधित प्रमुख चिंताओं को समझना (iii) महिलाओं के कार्य के सवाल को सुलझाने में नीति,

अभ्यास और अनुसंधान का सहारा लेना (iv) उत्पादक श्रम बाजारों और रोजगार के दायरे से परे चर्चा का विस्तार करना। कार्यशाला में चालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अमित निर्मल, महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया। डॉ. सौम्या कपूर मेहता, वरिष्ठ सामाजिक विशेषज्ञ, सामाजिक स्थिरता और समावेशन (एसएसआई), विश्व बैंक, नई दिल्ली ने कार्यशाला में एक विशेष व्याख्यान दिया। सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, पूर्व उप निदेशक, आईसीआरडब्ल्यू ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यशाला को दो सत्रों में विभाजित किया गया था, (i) महिलाओं के सवेतन और अवैतनिक कार्यः चुनौतियाँ और नीति, और (ii) रूटलेज द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'जेंडर, अनपेड वर्क एंड केयर' 2022 पर पुस्तक चर्चा। डॉ. दीपा सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली, डॉ. सोनिया जॉर्ज, महासचिव, स्व–रोजगार महिला संघ (सेवा), डॉ. एलीना सामंतराय, वीवीजीएनएलआई और डॉ. सोना मित्रा, प्रधान अर्थशास्त्री, (आईडब्ल्युडब्ल्युएजीई), केआरईए विश्वविद्यालय कार्यशाला में पैनलिस्ट थे। पैनल चर्चा के बाद डॉ. एलीना सामंतराय और सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी द्वारा संपादित 'जेंडर, अनपेड वर्क एंड केयर इन इंडिया' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यशाला में चालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय ने किया।

(बाएं से दाएं) डॉ. मनोज जाटव, सुश्री दीपिका जाजोरिया, सुश्री मुबाशिरा जैदी, डॉ. सोना मित्रा, डॉ. एलीना सामंतराय, श्री अमित निर्मल, महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई, सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, पूर्व उप निदेशक, आईसीआरडब्ल्यू और डॉ. दीपा सिन्हा पुस्तक का विमोचन करते हुए

➪ संस्थान ने 07 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ***'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका'*** पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रचना बिमल थीं। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने कार्यशाला का विषय प्रस्तुत किया। डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने स्वागत भाषण दिया और मेहमानों का स्वागत किया। श्री बी. एस. रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई ने विशिष्ट अतिथि का परिचय दिया। चर्चा के बाद वीवीजीएनएलआई के कर्मचारियों द्वारा इस विषय पर कविता पाठ किया गया। डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कार्यशाला में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वीवीजीएनएलआई द्वारा किया गया।

➪ संस्थान द्वारा 27–28 मार्च 2023 के दौरान ***'किसी को भी पीछे न छोड़ना – सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर'*** पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, एक मानव अधिकार और सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता, की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना (ii) सामाजिक सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली में चुनौतियों और एसडीजी 1.3 (सामाजिक सुरक्षा मंजिलों सहित सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता पर चर्चा करना (iii) विभिन्न देशों में अच्छी प्रथाओं की पहचान करना और पता करना कि इन सबकों को भारतीय संदर्भ में किस हद तक लागू किया जा सकता है। कार्यशाला का मुख्य भाषण प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, निदेशक, रोजगार अध्ययन केंद्र, मानव विकास संस्थान और पूर्व संकाय, सीएसआरडी/स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिया गया और एक विशेष भाषण सुश्री मारिको औची, सामाजिक सुरक्षा पर वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, डीसेंट वर्क टीम–दक्षिण एशिया, आईएलओ, नई दिल्ली द्वारा दिया गया। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ईसीओएन के विजिटिंग प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूके; प्रोफेसरियल फेलो, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; और

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहायक प्रोफेसर ने समापन भाषण दिया। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और वृद्धावस्था संरक्षण पर तकनीकी सत्र I की अध्यक्षता डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने की और पैनलिस्टों में डॉ. शैलेन्द्र कुमार हुडा, एसोसिएट प्रोफेसर, आईएसआईडी, दिल्ली; श्री प्रियरंजन सिन्हा, उप निदेशक, ईएसआईसी प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली; श्री नीलेन्दु मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और संकाय, पीडीयूएनएएसएस, ईपीएफओ, दिल्ली और डॉ. रेणुका साने, पूर्व संकाय, एनआईपीएफपी और अनुसंधान निदेशक, ट्रस्टब्रिज शामिल थे। सामाजिक सुरक्षा मंजिलों के निर्माण – सार्वभौमिक आय और बाल संरक्षण पर तकनीकी सत्र II की अध्यक्षता सुश्री मृदुला घई, निदेशक, पीडीयूएनएएसएस, एमओएलई ने की और पैनलिस्टों में डॉ. अनूप सतपथी, मजदूरी विशेषज्ञ, डिसेंट वर्क टीम – दक्षिण एशिया, आईएलओ, नई दिल्ली; डॉ. सात्यकी रॉय, आईएसआईडी, नई दिल्ली; डॉ. भास्वती दास, एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू, शामिल थे। लापता मध्य (सामाजिक सुरक्षा सीमा से अधिक आय वाले कर्मचारी) तक पहुंचने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर तकनीकी सत्र III की अध्यक्षता श्री विरजेश उपाध्याय, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन, दिल्ली ने की और पैनलिस्टों में डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई,; श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई शामिल थे। सामाजिक सुरक्षा के भविष्य को आकार देने पर तकनीकी सत्र IV की अध्यक्षता टीयूसीसी के महासचिव श्री एस. पी. तिवारी ने की और तकनीकी सत्र IV के पैनलिस्टों में डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई, डॉ.एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई;डॉ.धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. किंगशुक सरकार, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, जनरल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गोवा शामिल थे। इस कार्यशाला में शिक्षाविदों, नियोक्ता संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के शोध अध्येताओं सहित कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

❖ **पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली:** संस्थान का पुस्तकालय, एन.आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र, देश में श्रम अध्ययनों के क्षेत्र में सबसे संपन्न पुस्तकालयों में से एक है। वर्तमान में, पुस्तकालय में लगभग 65,675 किताबें/रिपोर्टें/सजिल्द पत्र–पत्रिकाएं हैं, तथा यह 108 व्यावसायिक पत्रिकाओं का अभिदान करता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएं भी उपलब्ध कराता है तथा पुस्तकालय की प्रयोज्यता सुकर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। संस्थान को राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है और यह डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क), नई दिल्ली का संस्थागत सदस्य बन गया है।

❖ राजभाषा को बढ़ावा देना

- संस्थान को वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा 01 फरवरी 2023 को नवोदय विद्यालय समिति, सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 44वीं बैठक में क्रमशः तृतीय पुरस्कार एवं प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2020–21 के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो,
श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

संस्थान का विज़न और मिशन

fo t u

संस्थान को श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण में वैश्विक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे संस्थान के रूप में विकसित करना जो उत्कृष्टता का केंद्र हो तथा कार्य की गुणवत्ता और कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के प्रतिकृत संकल्प हो।

fe'ku

संस्थान का मिशन निम्नलिखित के माध्यम से श्रम तथा श्रम संबंधों को विकास की कार्यसूची में विशेष केंद्र के रूप में स्थापित करना है:–

- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना
- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना, और
- ऐसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण और साझेदारी बनाना जो श्रम से संबंधित हैं।

संस्थान का अधिदेश

जुलाई 1974 में स्थापित, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), श्रम अनुसंधान और शिक्षा के एक शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित हुआ है। संस्थान ने आरंभ से ही अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रकाशन के माध्यम से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम के विभिन्न पहलुओं से जुड़े विविध समूहों तक पहुँच बनाने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के केंद्र में शैक्षिक अंतर्दृष्टि और समझ को नीति निर्माण और कार्रवाई में शामिल करना रहा है ताकि समतावादी और लोकतांत्रिक समाज में श्रम को न्यायोचित स्थान मिल सके।

उद्देश्य और अधिदेश

संगम ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उन विविध कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। संस्थान के अधिदेश में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैंः–

(i) स्वयं अथवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह के अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना, उसे बढ़ावा देना और उसका समन्वय करना;

(ii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और उनके आयोजन में सहायता करना;

(iii) निम्नलिखित के लिए स्कंध स्थापित करना

- क. शिक्षा, प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण
- ख. अनुसंधान, जिसमें क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है
- ग. परामर्श और
- घ. प्रकाशन और अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों

(iv) श्रम तथा संबद्ध कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना और उपचारी उपाय सुझाना

(v) लेख, पत्र–पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण और प्रकाशन करना

(vi) पुस्त्कालय एवं सूचना सेवाएं स्थापित एवं अनुरक्षित करना

(vii) समान उद्देश्य वाली भारतीय और विदेशी संस्थाओं और अभिकरणों के साथ सहयोग करना, और

(viii) फेलोशिप, पुरस्कार और वृत्तिकाएं प्रदान करना।

संस्थान की संरचना

संस्थान एक महापरिषद द्वारा शासित है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है। इसमें केंद्र सरकार, नियोक्ता संगठनों, कर्मकार संगठनों के प्रतिनिधि, माननीय सांसद और श्रम के क्षेत्र में तथा अनुसंधान संस्थानों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले ख्यातिप्राप्त व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री महापरिषद के अध्यक्ष हैं। महापरिषद संस्थान के कार्यकलापों के लिए विस्तृत नीति संबंधी मानक निर्धारित करती है। महापरिषद के सदस्यों से नामित कार्यपरिषद, जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव होते हैं, संस्थान के कार्यकलापों को नियंत्रित, मॉनीटर एवं निर्देशित करती है। संस्थान के महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इसके कार्यों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। संस्थान के संकाय सदस्य; प्रशासनिक अधिकारी, जो कार्यालय प्रमुख भी हैं; लेखा अधिकारी, अन्य अधिकारी एवं स्टाफ सदस्य महानिदेशक की सहायता करते हैं।

महापरिषद का गठन

1. श्री भूपेंद्र यादव — अध्यक्ष
   माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली—110001

2. श्री रामेश्वर तेली — उपाध्यक्ष
   माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली—110001

केंद्र सरकार के छः प्रतिनिधि

3. श्रीमती आरती आहूजा, आईएएस — उपाध्यक्ष
   सचिव (श्रम एवं रोजगार)
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली—110001

4. श्री शशांक गोयल — सदस्य
   अपर सचिव
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

5. सुश्री जी. मधुमिता दास, आईपीओएस
   संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार — सदस्य
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

6. श्री कमल किशोर सोन, आईएएस
   संयुक्त सचिव — सदस्य
   श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
   श्रम शक्ति भवन
   नई दिल्ली–110001

7. श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस — सदस्य
   सचिव
   माध्यमिक एवं उच्चत्तर शिक्षा विभाग
   शिक्षा मंत्रालय
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001

8. श्री के. एस. रेजिमोन, आईएएस — सदस्य
   संयुक्त सचिव (श्रम एवं कौशल कार्यक्षेत्र)
   कमरा संख्या 225
   नीति आयोग
   नई दिल्ली–110001

दो संसद सदस्य

(लोक सभा और राज्य सभा से एक–एक)

9. श्री सतीश कुमार गौतम — सदस्य
   माननीय सांसद (लोक सभा)
   4, विंडसर पैलेस, अशोका रोड़
   नई दिल्ली–110001

10. श्री कामाख्या प्रसाद तासा — सदस्य
मानीय सांसद (राज्य सभा)
157, साउथ एवेन्यु
नई दिल्ली–110001

कर्मकारों के दो प्रतिनिधि

11. श्रीमती नीलिमा चिमोटे — सदस्य
अखिल भारतीय सचिव
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस),
ए–403, विराल अपार्टमेंट्स, नाना शकरसेत रोड़
विषुन नगर, डोंबिवली (पश्चिम) – 421202 महाराष्ट्र

12. श्रीमती अमरजीत कौर — सदस्य
महासचिव
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)
एआईटीयूसी भवन, 35–36, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002

नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि

13. श्री अरविंद फ्रांसिस — सदस्य
सहायक महासचिव
भारतीय नियोक्ता परिषद
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग
नई दिल्ली – 110001

14. श्री मुकेश कुमार जैन — सदस्य
प्रमुख, कार्पोरेट मामले
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड
अखिल भारतीय निर्माता संगठन
दिल्ली राज्य बोर्ड, दिल्ली

चार प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने श्रम के क्षेत्र में अथवा उससे संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है

15. श्री सी. के. साजीनारायणन — सदस्य
भूतपूर्व अध्यक्ष
भारतीय मजदूर संघ
48/6, लिंक रोड़, अयानथोल
त्रिसुर, केरल

16. प्रो. सुनील माहेश्वरी — सदस्य
भारतीय प्रबंध संस्थान
वस्त्रपुर
अहमदाबाद – 380015 (गुजरात)

17. श्री उदय कुमार वर्मा, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) — सदस्य
भूतपूर्व सचिव (आई एंड बी) एवं
सदस्य–केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण/दिल्ली शाखा
डी–603, प्रतीक सटाइलोम
सैक्टर–45, नौएडा – 201301
जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

18. डॉ. अरूप मित्रा — सदस्य
प्रोफेसर
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी
अकबर भवन, सत्य मार्ग
चाणक्य पुरी
नई दिल्ली – 110021
पहाड़गंज, नई दिल्ली – 110055

अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि

19. श्री संजय नंदन, भा.प्र.से. — सदस्य
महानिदेशक
महात्मा गांधी श्रम संस्थान
ड्राइव–इन रोड़, मानव मंदिर के पास, मेम नगर
अहमदाबाद – 380054 (गुजरात)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के प्रतिनिधि

20. श्री अमित निर्मल आईएसएस — सदस्य–सचिव
महानिदेशक
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान,
सैक्टर–24, नौएडा–201301
जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

अनुसंधान

संस्थान के कार्यकलापों में अनुसंधान का प्रमुख स्थान है। संस्थान आरंभ से ही अनुसंधान कार्यों में सक्रिय रूप से लगा रहा है, जिसमें श्रम से जुड़े मुद्दों के विभिन्न आयामों पर क्रियानिष्ठ अनुसंधान भी शामिल है और इनका फोकस श्रम बल के हाशिए पर स्थित, वंचित एवं कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों से निपटने पर है।

संस्थान के अनुसंधान कार्यकलापों के मुख्य उद्देश्यों को तीन व्यापक स्तरों पर रखा जा सकता है;

- अनुसंधान किए जा रहे मामलों की सैद्धांतिक समझ को उन्नत बनाना;
- समुचित नीतिगत अनुक्रियाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक और आनुभविक आधार बनाना; और
- क्षेत्र स्तरीय कार्यों/हस्तक्षेपों की खोज करना, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रम बल के असंगठित एवं संगठित वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करना है।

इन उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अनुसंधान कार्यकलाप आवश्यक रूप में सक्रिय प्रकृति के हैं और इन्हें सदैव उभरती चुनौतियों के अनुरूप बनाया गया है। संस्थान की अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों का एक सहजीवी संबंध है। नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं संस्थानों के लिए एक प्रमुख तरीके से योगदान देने के अलावा अनुसंधान के आउटपुट संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन एवं कार्यप्रणाली को आकार देने में इनपुट के तौर पर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं से प्राप्त फीडबैक अनुसंधान गतिविधियों के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। संस्थान के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों द्वारा श्रम, श्रम बाजार और कार्य की दुनिया को प्रभावित करने वाले इन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान कार्यनीतियां, एजेंडा और अनुसंधान अध्ययन विकसित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित नौ केंद्र श्रम एवं रोजगार में अनुसंधान से संबंधित प्रमुख विषयों पर अध्ययन करते हैं:

1. श्रम बाजार अध्ययन केंद्र
2. रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र
3. कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र
4. राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
5. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम
6. श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र
7. लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र
8. पूर्वोत्तर भारत केंद्र
9. जलवायु परिवर्तन और श्रम केंद्र
10. अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

रोजगार संबंध और विनियमन केंद्र

रोजगार संबंध और इनके विनियमन का मुद्दा श्रम के क्षेत्र में हमेशा से एक प्रमुख वाद–विवाद करने योग्य एवं आकर्षक मुद्दा रहा है। रोजगार संबंधों में खासकर 1991 से तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने इस मुद्दे को यथोचित प्राथमिकता देते हुए इन परिवर्तनों और अन्य संबद्ध मामलों का अध्ययन करने हेतु काफी पहले, वर्ष 2001 में एक विशिष्ट केंद्र, नामतः रोजगार संबंध एवं विनियमन केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य बदलते रोजगार संबंधों का अवबोधन विकसित करना है ताकि उचित कानूनी विनियमन ढांचे का नियमन करने तथा उपयुक्त सामाजिक संरक्षण उपाय विकसित करने में मदद मिल सके। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियों में मुख्यतः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता हैः ट्रेड यूनियनें तथा उभरते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में उनकी भूमिका; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में उभरते रोजगार संबंध; अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्र में रोजगार संबंधों के विनियमन में मौजूदा कानूनी ढांचे की सीमा; न्यायिक प्रवृत्ति में परिवर्तन तथा न्यूनतम मजदूरी का विनियमन आदि। केंद्र के अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) में शिक्षाविद और ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं।

पूरी की गई अनंसुधान परियोजना

1. श्रम संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों की तुलना में राज्य नियमों का वि□लेशण

यह परियोजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के आदेश के अनुसार शुरू की गई।

उद्देश्यः

- इन संहिताओं में शामिल प्रमुख क्षेत्रों और पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न राज्यों और केंद्र के मसौदा नियमों का तुलनात्मक संहिता–वार विश्लेषण करना।
- विभिन्न पहलुओं से संबंधित नियम बनाने के लिए उपयुक्त और राज्य सरकारों की संहिता–वार शक्तियों का चित्रण करना।
- केंद्रीय नियमों की तुलना में राज्य नियमों में संहिता–वार विचलन और उसके लिए तर्क की पहचान करना।
- यथासंभव सीमा तक एकरूपता लाने के साथ–साथ संहिताओं के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय और राज्य नियमों में आवश्यक संशोधनों के सुझाव देना।
- श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की पहचान करना और सुझाव देना।

क्षेत्र एवं दायरा

यह अध्ययन श्रम संहिताओं और केंद्रीय नियमों की तुलना में विभिन्न श्रम संहिताओं (अर्थात मजूदरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020) के तहत राज्य नियमों का व्यापक विश्लेषण करता है।

कार्यप्रणाली

अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति में मुख्य रूप से विभिन्न श्रम संहिताओं के तहत केंद्रीय नियमों की तुलना में राज्य नियमों की व्यापक समीक्षा और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन शामिल है। इसके अलावा, अपनाई गई कार्यप्रणाली में समग्र दृष्टिकोण रखने के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा (मुख्य रूप से राज्य नियमों के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के दृष्टिकोण को इकट्ठा करने के लिए) भी शामिल है।

निष्कर्ष और सिफारिश

- उद्योग एवं श्रमिकों की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पहचानते हुए और नियोक्ताओं एवं श्रमिकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार ने श्रम कानून सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की।
- इस प्रक्रिया में चार श्रम संहिताओं नामतः (i) मजदूरी संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 में इन कानूनों की मुख्य विशेषताओं के समामेलन और युक्तिकरण के माध्यम से चारों श्रम संहिताओं में बड़ी संख्या में श्रम कानूनों को संहिताबद्ध करना शामिल था।
    - इन संहिताओं में शामिल विभिन्न पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। जहां तक प्रक्रियात्मक पहलुओं का संबंध है, इन संहिताओं से संबंधित नियमों द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है।
    - केंद्र सरकार द्वारा नियमावली बनाने की कवायद पहले ही की जा चुकी है। अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भी अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए इसी तरह की कवायद की गई है।
    - हालाँकि, इन नियमों में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होनी चाहिए ताकि ये संहिताओं के मूल सिद्धांतों और लोकाचार के विरुद्ध न हों और नियमों का विश्लेषण एवं तदनुसार संशोधन करने की आवश्यकता है।

- इस प्रयोजन के लिए मसौदा नियमों में उचित संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को सुझाव देने के लिए इन नियमों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।
- इस पृष्ठभूमि में और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार वीवीजीएनएलआई ने यह विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि विश्लेषण नवंबर 2022 तक प्रकाशित राज्य नियमों पर आधारित है यानी जब तक अध्ययन प्रकाशन के लिए संसाधित नहीं हुआ था। अध्ययन को एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला (संख्या 158/2023) के रूप में प्रकाशित किया गया है।

मजूदरी संहिता पर नियमों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र

असंवितरित बकाया को जमा करना (धारा 44(1)(बी), नियम 47(1))

- जहां इस संहिता के तहत किसी कर्मचारी को देय कोई भी राशि भुगतान नहीं की गई है क्योंकि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया गया था या फिर किसी अन्य कारण से, ऐसी राशि का भुगतान कर्मचारी के नामांकित व्यक्ति को उस तारीख, जब राशि देय हुई थी, से छह महीने की समाप्ति तक नहीं किया जा सका, ऐसी सभी राशियाँ **नियोक्ता द्वारा छह महीने की उक्त अवधि के अंतिम दिन के बाद पंद्रहवें दिन की समाप्ति से पहले प्राधिकरण के पास जमा की जाएंगी।**
- *इस संबंध में केंद्र और राज्य के नियमों में बहुत अंतर नहीं है। इस मामले में एकमात्र अपवाद छत्तीसगढ़ राज्य है जो अतिरिक्त रूप से उस प्राधिकारी, जिसके पास राशि जमा की गई है, के द्वारा राशि के संवितरण के लिए समय सीमा (2 महीने) का प्रावधान करता है। आदर्श रूप से, केंद्र के साथ–साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों में भी इस तरह की समय सीमा होनी चाहिए।*

सामान्य कार्य दिवस के लिए काम के घंटे तय करना (धारा 13(1)(ए), नियम 6)

- केंद्रीय नियम प्रतिदिन 12 घंटे तक का प्रावधान करता है जबकि असम और केरल जैसे राज्य इसे प्रतिदिन साढ़े दस घंटे तक सीमित रखते हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सप्ताह में छह दिन काम करने के मामले में साढ़े दस घंटे और पांच दिन काम करने वाले प्रतिष्ठानों के मामले में बारह घंटे का प्रावधान है।
- इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से महानगरीय शहरों में कर्मचारियों/श्रमिकों को कार्यस्थल तक आने–जाने में काफी समय खर्च करना पड़ता है। इसलिए 12 घंटों का विस्तारित समय बहुत लंबा लगता है और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

नामांकन के अभाव में बकाया राशि के भुगतान का तरीका (धारा 44(1)(बी), नियम 48)

- जब कोई नामांकन नहीं किया गया हो तो बकाया राशि के भुगतान के तरीके से संबंधित केंद्रीय नियम (यह राशि उप केंद्रीय श्रम आयुक्त के पास जमा की जानी है, जिसे 7 साल तक हर संभव प्रयास करना होगा, जिसके बाद उसे केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशित विधि के अनुसार से निपटाया जाएगा। यह तरीका श्रमिकों को राहत प्रदान करने के दृष्टिकोण से बहुत आदर्शवादी प्रतीत होता है।

- हालाँकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से तीन से पाँच वर्ष की अवधि उचित प्रतीत होती है। हरियाणा राज्य में इस संबंध में कोई नियम नहीं है। चूंकि दावा न की गई राशि मजदूरों/कर्मचारियों की है, इसलिए यह राशि तार्किक रूप से और नीतिगत रूप से संबंधित राज्यों के श्रम कल्याण कोष में जमा की जानी चाहिए।

महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल (नियम 5)

- केंद्रीय नियमों के साथ–साथ अधिकांश राज्यों के राज्य नियमों में साल में दो बार डीए में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश राज्य वर्ष में केवल एक बार इसका प्रावधान करता है और उत्तर प्रदेश राज्य के पास इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

विशेष निर्दिष्ट परिस्थितियों में कार्य का विस्तार और घंटे (धारा 13(2), नियम 9)

- 16 घंटों का विस्तार उच्च स्तर पर प्रतीत होता है और इस संबंध में इस सीमा वाले केंद्रीय एवं राज्य नियमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 13(2) के तहत विचार की गई स्थितियाँ किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों के पास ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियमों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र

वार्ताकार संघ को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं (धारा 14(2), नियम 9)

- यह औद्योगिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। हालाँकि गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पुदुचेरी और पंजाब जैसे राज्यों ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया है। केंद्रीय नियम और कुछ राज्यों के राज्य नियमों में यह प्रावधान है कि तीन सौ या अधिक श्रमिकों वाले नियोक्ता को वार्ताकार संघ/परिषद को कार्यालय स्थान/आवास प्रदान करना होगा। असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों में इस उद्देश्य के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है।
- कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में नियम हालांकि श्रमिकों को परिसर में चर्चा करने का अधिकार देते हैं, लेकिन इन नियमों में कार्यालय स्थान/आवास के बारे में कुछ नहीं कहा गया है भले ही श्रमिकों की संख्या तीन सौ या अधिक हो। आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य के नियमों में यह प्रावधान है कि प्रदान की जाने वाली सुविधाएं नियोक्ता और श्रमिकों द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जाएंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य में नियम बहुत सामान्य प्रकृति के हैं और यह प्रावधान करते हैं कि नियोक्ता वार्ताकार संघ/परिषद को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपेक्षित हो।

स्थायी आदेशों पर टिप्पणियाँ मांगने के उद्देश्य से जहां कोई ट्रेड यूनियन काम नहीं कर रही है वहां श्रमिकों के प्रतिनिधियों को चुनने का तरीका (धारा 30(5), नियम 8)

- केंद्रीय नियम प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 10–15 दिनों की समय सीमा का प्रावधान करते हैं। इसके

अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रासंगिक नियम में यह उल्लेख है कि प्रतिनिधियों का चुनाव निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा।

- केंद्रीय नियम और अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नियम श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रमाणन अधिकारी को स्थायी आदेशों पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए पंद्रह दिनों की समय सीमा का प्रावधान करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रासंगिक नियम 10 दिन की समय सीमा और असम राज्य में 30 दिन का प्रावधान करते हैं। *आदर्श रूप से, स्थायी आदेशों पर टिप्पणियाँ देने के उद्देश्य से श्रमिकों द्वारा प्रतिनिधियों को चुनने के लिए एक समय–सीमा होनी चाहिए और साथ ही आपत्तियाँ उठाने/टिप्पणियाँ देने के प्रयोजन के लिए एक उचित समय सीमा होनी चाहिए।*

ऐसे प्रतिष्ठान, जहां कम से कम 300 कर्मचारी कार्यरत हैं, से श्रमिकों की अपेक्षित छँटनी के लिए निर्धारित तरीके (धारा 78, नियम 28)

- इस संबंध में नियम लगभग सभी राज्यों में समान है। हालाँकि, आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार को अग्रिम आवेदन जमा करने के उद्देश्य से कोई निर्धारित समय अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य नियम ने अतिरिक्त रूप से इच्छित छँटनी के आवेदन की प्रति क्षेत्र के सुलह अधिकारी को देने की आवश्यकता भी रखी है।
- इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में नियम आवेदन की प्रति ट्रेड यूनियन को जमा करने की आवश्यकता भी रखता है। उत्तर प्रदेश राज्य के नियम में नियोक्ता द्वारा छँटनी से बचने के लिए उठाए गए किसी भी उपाय की आवश्यकता के बारे में भी उल्लेख है। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस पहलू को अपने–अपने नियम में शामिल करने पर विचार कर सकती हैं।

वे मामले जिन पर ट्रेड यूनियन नियोक्ता के साथ बातचीत कर सकता है (धारा 14(1), नियम 3(1))

- केंद्रीय नियम में 10 वस्तुओं की एक लंबी सूची है जिन पर ट्रेड यूनियन बातचीत कर सकते हैं। अधिकांश राज्यों में ये नियम काफी हद तक केंद्रीय नियम के समान हैं। महाराष्ट्र राज्य नियम का दायरा (मांगों, प्रति–मांगों, विवादों या किसी औद्योगिक मामले पर असहमति या राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मामले से संबंधित कोई भी मामला) और उत्तर प्रदेश (एक से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करने वाले औद्योगिक विवाद का कोई भी मामला) काफी विस्तृत है।
- *उत्तराखंड का नियम प्रकृति में थोड़ा प्रतिबंधात्मक है क्योंकि यह श्रमिकों की मांगों के चार्टर पर कुल कार्यबल के कम से कम 20 प्रतिशत द्वारा हस्ताक्षरित होने की आवश्यकता रखता है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में इस संबंध में कोई नियम नहीं है।*

परिवर्तन हेतु सूचना (धारा 40, नियम 16(1))

- केंद्र और अधिकांश राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस संबंध में नियम लगभग समान हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और ओडिशा राज्यों में श्रम विभाग को नोटिस की प्रति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। *आदर्श रूप से परिवर्तन की सूचना की प्रति श्रम विभाग को भी एक साथ भेजने का प्रावधान होना चाहिए।*

एकल ट्रेड यूनियन को श्रमिकों के एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता (धारा 14(2), नियम 4)

- छत्तीसगढ़, मणिपुर, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में मान्यता के उद्देश्य से सदस्यता की न्यूनतम आवश्यकता केंद्रीय नियम के बराबर यानी 30 प्रतिशत है। *कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इस संबंध में स्थिति कम अनुपात के लिहाज से 10 प्रतिशत – 25 प्रतिशत की सीमा में काफी उदार (असम–20 प्रतिशत, बिहार–25 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर–10 प्रतिशत, कर्नाटक–20 प्रतिशत, मध्य प्रदेश–20 प्रतिशत और त्रिपुरा–25 प्रतिशत) है। केरल राज्य में यह आवश्यकता एक तिहाई है।*
- *चंडीगढ़, लद्दाख और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य हैं जिनमें आवश्यकता 51 प्रतिशत है, जो काफी कठोर प्रतीत होती है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित राज्यों की एक और श्रेणी है जिसमें यह नियम निर्धारित किया गया है कि नियोक्ता इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि संबंधित यूनियन संघ के नियमों के अनुरूप काम कर रही है, ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता देगा। इस प्रकार, यह नियम नियोक्ता के लिए यूनियन को मान्यता देने या न देने की गुंजाइश छोड़ता है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी ने इस संबंध में अभी तक कोई नियम नहीं बनाया है।*
- *यह विशेष पहलू सामूहिक सौदेबाजी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जो मौलिक और बुनियादी श्रम अधिकारों में से एक है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामूहिक सौदेबाजी कमजोर न हो, सभी संबंधित सरकारों को इस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है।*

छँटनी किये गये श्रमिकों को रोजगार का अवसर देने का तरीका (धारा 72, नियम 26)

- अधिकांश राज्यों में इस संबंध में नियम केंद्रीय नियम के समान है (जो यह प्रावधान करता है कि नियोक्ता रिक्ति भरने से कम से कम 10 दिन पहले छँटनी किए गए श्रमिकों को नोटिस देकर एक अवसर प्रदान करेगा)। उत्तर प्रदेश राज्य में नियम 30 दिन की अग्रिम सूचना का प्रावधान करता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों में इस संबंध में नियम संबंधित सुलह अधिकारी/श्रम विभाग को भी सूचना की एक प्रति देने का प्रावधान करता है। केरल में नियोक्ता को औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े ट्रेड यूनियनों को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और छँटनी किए गए श्रमिकों के नामों के बारे में भी सूचित करना आवश्यक है, जिन्हें सूचना भेजी गई है। *केरल का नियम अधिक श्रमिक केंद्रित प्रतीत होता है और इसे अन्य सरकारें भी शामिल करने पर विचार कर सकती हैं।*

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता के नियमों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र

वार्षिक स्वास्थ्य जांच (धारा 6(1)(सी), नियम 6)

- केंद्रीय नियम और हरियाणा, मणिपुर एवं ओडिशा के राज्य नियमों में यह प्रावधान है कि 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रत्येक श्रमिक, जो किसी प्रतिष्ठान में काम करते हैं और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत निर्दिष्ट सीमा के बराबर या उससे कम वेतन प्राप्त करते हुए ईएसआईसी के सदस्य बन सकते हैं, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच करवाने के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर रखने से पहले चिकित्सा जाँच कराना भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश में राज्य का नियम 30 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक श्रमिक के लिए चिकित्सा परीक्षण आयोजित करने का आदेश देता है और यह केंद्रीय नियम और राज्य के नियमों की तुलना में थोड़ा अधिक कर्मचारी केंद्रित है।
- छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब राज्यों में इस नियम में न्यूनतम आयु के संदर्भ में ऐसी कोई सीमा नहीं है और यह काफी प्रगतिशील और कल्याण केंद्रित प्रतीत होता है क्योंकि इससे किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का उसके प्रारंभिक चरण में ही पता लगाने में मदद मिलेगी।
- इसके विपरीत असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नियम 45 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करता है, जो थोड़ा उच्च स्तर पर प्रतीत होता है और संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य के पास इस संबंध में कोई नियम नहीं है और इसलिए इस महत्वपूर्ण पहलू को कवर करने की आवश्यकता है।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें और सुविधाएं (सहमति, सीसीटीवी निगरानी, समर्पित टेलीफोन नंबर) (धारा 43(1), नियम 67(ए), नियम 67(ई), नियम 67(जी))

- मणिपुर, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में नियम केंद्रीय नियम के समान हैं। अधिकांश राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (असम, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) सहमति लेने का तरीका निर्दिष्ट नहीं करते हैं।
- हरियाणा में यह नियम काफी सख्त और अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि यह सभी प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार के काम के लिए महिलाओं को नियोजित करने, भले ही उन्हें दिन या रात की ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जा रहा हो, के लिए सहमति लेने की आवश्यकता रखता है। राज्य का नियम नियोक्ता को महिला श्रमिकों को उनके निवास से लाने एवं वापस भेजने (रात की पाली के लिए) और सुरक्षा गार्ड (महिला सुरक्षा गार्ड सहित) से परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है और प्रत्येक परिवहन वाहन सीसीटीवी कैमरों से भी सुसज्जित होना चाहिए।
- महाराष्ट्र राज्य में इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को यात्रा भत्ता (धारा 61, नियम 85)

- इस संबंध में अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रावधान केंद्रीय नियम के समान है (180 दिन पूरे करने वाले अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को 12 महीने में एक बार आने–जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान है)। चंडीगढ़ और तमिलनाडु राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह नियम नियोक्ता द्वारा यात्रा भत्ते के साथ–साथ यात्रा के दौरान भोजन के लिए श्रमिक की यात्रा अवधि के लिए प्रतिदिन प्रति पारिवारिक सदस्य 100 रुपये की एकमुश्त राशि के भुगतान का भी प्रावधान करता है।

- हरियाणा राज्य में नियम यात्रा भत्ते के भुगतान का प्रावधान करता है, भले ही कर्मचारी ने प्रतिष्ठान में केवल 60 दिनों के लिए काम किया हो और इस प्रकार यह काफी श्रमिक केंद्रित है। छत्तीसगढ़ राज्य में नियम और भी अधिक उदार है क्योंकि यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए कोई न्यूनतम समय अवधि की आवश्यकता नहीं है।

- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नियम रोजगार की समाप्ति पर और किसी भी कारण से या किसी बीमारी या चोट के कारण, कर्मचारी की गलती के बिना काम की समाप्ति या श्रमिक द्वारा इस्तीफा दिये जाने पर रोजगार की अवधि से पहले रोजगार समाप्त होने की स्थिति में भी श्रमिक को वापसी किराया का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

नियोजित की जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम संख्या (धारा 43, नियम 67)

- चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर और तेलंगाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नियम केंद्रीय नियम के समान है जो जमीन के नीचे की खदान में कम से कम 3 महिलाओं को रोजगार देने की आवश्यकता रखता है।

- असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के नियमों में या तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है या इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

- बिहार और पंजाब राज्यों में नियम नियोक्ता को यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि महिला श्रमिकों को कम से कम दस के बैच में नियोजित किया जाए और रात की पाली में नियोजित महिला श्रमिकों की कुल श्रमिक संख्या के दो–तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि केरल राज्य में नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिला श्रमिकों को कम से कम पांच के बैच में नियोजित किया जाए।

ठेकेदार की योग्यता एवं लाइसेंस की शर्तें (धारा 47(1), नियम 69 एवं नियम 70)

- ठेकेदार की योग्यता और मानदंड के संबंध में मणिपुर राज्य में नियम केंद्रीय नियम के समान है। केंद्रीय नियम (आर. 69) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी अपराध के लिए तीन महीने से अधिक के कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वंचित करता है और इस प्रकार इसका दायरा काफी व्यापक है।

- हरियाणा राज्य में यह नियम अतिरिक्त रूप से किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने से रोकता है यदि वह नाबालिग है या पिछले पांच वर्षों में नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
- जबकि छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में यह प्रावधान अपने दायरे में काफी सीमित है क्योंकि यह केवल आपराधिक प्रकृति के अपराध करने वाले व्यक्तियों को ही लाइसेंस प्राप्त करने से रोकता है।
- अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लद्दाख, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, ने इस संहिता के तहत नियम बनाए हैं परंतु इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया है।
- जहां तक लाइसेंस की शर्तों से संबंधित नियम का संबंध है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय नियम (आर.70) के समान ही प्रावधान है, जबकि उत्तराखंड राज्य में इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

लाइसेंस का निरसन या निलंबन (धारा 51, नियम 79)

- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना राज्यों में नियम इस संबंध में केंद्र के नियम के समान है (गलत बयानी या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर लाइसेंस प्राप्त करना या लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफलता या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत ठेका श्रमिक मुद्दों से निपटने वाले किसी भी प्रावधान का उल्लंघन)।
- बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, लद्दाख, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इस संबंध में कोई नियम नहीं है।
- असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में नियम नोटिस जारी करने और जवाब देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है, जबकि केंद्र के मामले में यह सीमा 15 दिनों की है।

एक कार्य दिवस के लिए काम के घंटे तय करना (धारा 25(1)(बी), नियम 28(2))

- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा और उत्तराखंड राज्य एक दिन में अधिकतम साढ़े दस घंटे का प्रावधान करते हैं, जो केंद्रीय नियम के समान है।
- गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष राज्य एक दिन में अधिकतम साढ़े बारह घंटे का प्रावधान करते हैं। इन दोनों राज्यों में इस संबंध में कोई नियम नहीं है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता के नियमों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र

अंत्येष्टि व्यय (धारा 76(7))

- केंद्रीय कानून कर्मचारी के अंतिम संस्कार के लिए खर्च के तौर पर 15000 रु. रुपये की राशि का प्रावधान करता है, हालांकि कई अन्य राज्यों में यह राशि रु. 20000 से लेकर रु. 25000 तक है।
- तेलंगाना राज्य इसके अतिरिक्त परिवहन शुल्क के भुगतान का प्रावधान करता है। इसकी गणना सक्षम प्राधिकारी द्वारा करनी होती है और नियोक्ता द्वारा बारह घंटे के भीतर कर्मचारी के आश्रित को भुगतान करना होता है।

दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा भुगतान हेतु आवेदन के निस्तारण की समय सीमा (धारा 93(4))

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 93(4) के तहत इस उद्देश्य के लिए समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दी गई है। अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए नियमों में इसके लिए 3 से 12 महीने की समय–सीमा का प्रावधान किया गया है।
- अंडमान और निकोबार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया है। आदर्श रूप से, इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए और यथोचित रूप से अधिकतम समय सीमा छह महीने हो सकती है।

उपकर की राशि और ब्याज दर का भुगतान करने की समय सीमा (धारा 101, नियम 44)

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा भवन और निर्माण कार्य पर लगाया गया उपकर, निर्माण क्षेत्र में लगे लाखों श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए धन के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। यह प्रावधान अब सामाजिक सुरक्षा संहिता और राज्य नियमों में भी शामिल किया गया है। हरियाणा, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में इस संबंध में केंद्रीय नियम के समान नियम हैं।
- इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उपकर के भुगतान की समय अवधि के संबंध में अधिकांश राज्य नियमों के तहत प्रावधान समान हैं। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के नियम उपकर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जुर्माने के माध्यम से ब्याज के भुगतान का भी प्रावधान करते हैं। हालाँकि, अंडमान और निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपकर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है।

अपराधों के शमन का तरीका (धारा 138, नियम 56)

- अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रावधान काफी हद तक केंद्रीय प्रावधान के समान है, जिसमें कंपोजिशन शुल्क जमा करने के साथ–साथ कंपोजिशन प्रमाणपत्र जारी करने की समय सीमा के संबंध में भी व्यवस्था शामिल है।
- इसके अलावा, इस संबंध में मणिपुर का राज्य नियम कंपोजिशन के लिए आवेदन करने के लिए अधिकतम समय–सीमा (अपराध का आरोप लगाने वाले निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के निरीक्षण ज्ञापन की प्राप्ति के एक महीने के भीतर) का भी प्रावधान करता है।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 25 मई 2022 कों शुरु, एवं 15 नवम्बर 2022 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक : डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

कार्यशाला

- **'आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित पद्धति' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए श्रम एवं रोजगार के मुद्दों पर अभिमुखीकरण कार्यशाला**

संस्थान ने 15 मार्च 2023 को राष्ट्रीय सांख्यिकी सेवा प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र (आईएसईसी) द्वारा आयोजित 'आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित पद्धति' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए श्रम एवं रोजगार के मुद्दों पर एक दिवसीय 'अभिमुखीकरण कार्यशाला' आयोजित की। इस कार्यशाला लाइबेरिया, मंगोलिया, म्यांमार, रूस और ताजिकिस्तान सहित पाँच देशों के पंद्रह प्रतिभागियों ने भाग लिया। सत्र श्री रोहित मणि तिवारी, उप निदेशक (आईआर) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली, डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई, नौएडा और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई द्वारा लिए गए। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो ने किया।

श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र

लक्ष्य एवं उद्देश्य

पिछले कुछ वर्षों में कार्य का अनौपचारिकरण बढ़ रहा है और विकासशील देशों में तो यह और भी अधिक बढ़ गया है। इससे एक ओर कार्य के अनिश्चित और असुरक्षित रूप सामने आए हैं और दूसरी ओर औपचारिक कार्यस्थलों और श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियाँ अक्सर अनौपचारिक श्रमिकों के लिए अप्राप्य होती हैं। इस प्रकार, बिना किसी सुरक्षा जाल के बड़े सामाजिक और स्वास्थ्य जोखिम एक बढ़ती हुई चिंता है। इसके अलावा, कई विकासशील देशों में गैर–मानक कार्यों में वृद्धि के कारण गैर–अंशदायी सामाजिक सहायता कार्यक्रम बढ़ रहे हैं जो श्रमिकों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं। इससे विकासशील देशों में अधिकांश श्रमिकों के लिए असुरक्षा बढ़ गई है।

भारत में, जहां अधिकांश लोग गरीब हैं और अपनी आजीविका के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, लाभों के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण के संदर्भ में क्षैतिज समानता उपलब्ध कराना एक चुनौती बन जाता है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण के प्रमुख मुद्दों और कार्य की दुनिया के साथ इसकी अंतर–संबद्धता के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में श्रम एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। यह विशेषीकृत केंद्र, एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के सामने उभरती सामाजिक एवं स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने एवं उनका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कमजोरियों को समझना, विशेष रूप से श्रम बाजार परिवर्तनों और रोजगार के नए एवं अनिश्चित रूपों से जुड़े उभरते जोखिमों के संदर्भ में;
- सामाजिक सुरक्षा नीतियों को समझना जो सभी के लिए मानव अधिकारों को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं, जिससे मानव पूंजी और उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है;
- विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के संदर्भ में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियों को समझना;
- श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिशानिर्देशों पर अंतरराष्ट्रीय मानकों और दस्तावेजों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना।
- स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य मानकों सहित सामाजिक सुरक्षा पर समावेशी प्रथाओं को विकसित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा पर रुझानों, हालिया नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करना।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं

1. सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – आगे की राह पर अनुसंधान अध्ययन

इस परियोजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के प्रभावी प्रवर्तन के प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करना है। यहां कार्यान्वयन का मुद्दा महत्वपूर्ण है और 'सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा – आगे की राह' शीर्षक वाली यह परियोजना असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन (राज्य असंगठित श्रमिक बोर्ड और जिला स्तरीय सुविधा केंद्रों के माध्यम से) में मुद्दों, इसके समर्थकारी कारकों और प्रमुख बाधाओं को समझने का प्रयास है और इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के संबंध में आगे की राह का सुझाव देती है।

उद्देश्यः

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यः इस प्रकार हैं:

- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के विभिन्न प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में समस्या, यदि कोई है, की पहचान करना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन में विभिन्न सामाजिक भागीदारों की भूमिका को समझना
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुभव और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करने के लिए आगे की राह

प्रमुख परिणाम

- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को अध्ययन के लिए चयनित राज्यों में लागू नहीं किया गया था क्योंकि अधिनियम में राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों की स्थापना पर स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं थे और साथ ही राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संदर्भ में राज्यों के लिए कोई स्पष्ट आदेश नहीं था।
- यह देखा गया कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम होने के बावजूद, राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा बेतरतीब ढंग से सामाजिक सुरक्षा लागू की गई, बिना इस बात पर विचार किए कि क्या अन्य विभागों या केंद्र सरकार द्वारा समान सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को लागू करने के मामले में एकरूपता और सुसंगतता का अभाव था। इसके अलावा अध्ययन में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का दोहराव देखा गया।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जुलाई 2021 में शुरु किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष, फेलो)

2. आईएलओ सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, 1952 (नंबर 102)

भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का एक लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न आयोगों और समितियों की सिफारिशों के आधार पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए समय–समय पर कई नीतिगत पहल और कानून बनाए गए हैं। वास्तव में, देश में कई कानून हैं जो आईएलओ सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, 1952 द्वारा प्रस्तावित नौ सामाजिक सुरक्षा लाभों को ध्यान में रखते हैं। हालाँकि, इनमें से अधिकांश कानूनों में उनकी प्रयोज्यता के संदर्भ में एक सीमा होती है, जिससे अनौपचारिक और गृह आधारित क्षेत्र के श्रमिक बाहर रह जाते हैं। हालाँकि, देश में कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। वर्तमान अध्ययन आईएलओ कन्वेंशन 102 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाओं के आधार पर अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की पहचान और मानचित्रण के लिए विभिन्न माध्यमिक स्रोतों पर आधारित एक मूल्यांकन है।

उद्देश्य

- आईएलओ कन्वेंशन 102 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाओं को कवर करने वाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पहचान करना जिन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है;
- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आईएलओ कन्वेंशन 102 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की नौ शाखाओं के बाहर अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पहचान करना;
- भारत में सामाजिक सुरक्षा पर केंद्र और राज्यों की कुछ विशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना।

परिणाम

अध्ययन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की मैपिंग की गई। यह देखा गया कि अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आईएलओ कन्वेंशन 102 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की सभी नौ शाखाओं को कवर करने वाले कार्यक्रम थे। वास्तव में अध्ययन में पाया गया कि कई बार कार्यक्रमों का दोहराव था और आईएलओ सी–102 में उल्लिखित नौ प्रकार के लाभों के अलावा अतिरिक्त कार्यक्रम भी थे। हालाँकि, राज्यों द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को एक समान तरीके से संचालित नहीं किया जा रहा था। इसलिए, यह महसूस किया गया कि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने में कुछ एकरूपता होनी चाहिए।

.

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2022 में शुरु, एवं जनवरी 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक : डॉ. रूमा घोश, सीनियर फेलो एवं

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजना

1. आंतरिक प्रवासी और सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी

भारत में आंतरिक प्रवासियों, विशेष रूप से मौसमी और चक्रीय प्रवासियों के पास न केवल गंतव्य स्थान पर बल्कि स्रोत स्थान पर भी कमजोर नागरिक अधिकार हैं। अधिकांश विकास और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक उनका पहुंचना कठिन है। चूंकि सामाजिक सुरक्षा ज्यादातर केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के समवर्ती क्षेत्र में है, इससे अंतर–राज्यीय मौसमी और चक्रीय प्रवासियों तक पहुंचना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए इस अध्ययन का फोकस उनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर है।

उद्देश्य

इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य आंतरिक प्रवासियों की स्थिति है जो अब समान सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अधीन नहीं हैं, जो ऐसे श्रमिकों को कवर करने की कई चुनौतियों को जन्म देता है। इसलिए अध्ययन निम्नलिखित प्रयास करता है:

- सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में अल्पकालिक प्रवासियों के सामने आने वाली बाधाओं को समझना
- भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की संस्थागत संरचना को समझना जो प्रवासियों के लिए उपयुक्त योजनाओं को डिजाइन करने में कठिनाइयाँ पैदा करती हैं
- सरकार की हालिया पहलों को उजागर करना जो अस्थायी प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं
- प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पोर्टेबिलिटी के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय सुझाना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

परियोजना को जनवरी 2023 में शुरु किया गया, एवं दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो)

कार्यशालाएँ / वेबिनार

- **'किसी को पीछे न छोड़ना–सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर' विषय पर कार्यशाला 27–28 मार्च 2023**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने 27–28 मार्च 2023 के दौरान संस्थान परिसर में 'किसी को पीछे न छोड़ना–सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर' विषय पर दो–दिवसीय

कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य भाषण प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, निदेशक, रोजगार अध्ययन केंद्र, मानव विकास संस्थान और पूर्व संकाय, सीएसआरडी/स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा दिया गया और सुश्री मारिको औची, सामाजिक संरक्षण पर वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ, डिसेंट वर्क टीम – दक्षिण एशिया, आईएलओ, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष भाषण दिया गया। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, इकोन के विजिटिंग प्रोफेसर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूके; प्रोफेसरियल फेलो, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली; और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहायक प्रोफेसर ने समापन भाषण दिया। स्वास्थ्य और वृद्धावस्था संरक्षण को सार्वभौमिक बनाना पर तकनीकी सत्र I की अध्यक्षता डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने की और पैनलिस्टों में डॉ. शैलेन्द्र कुमार हुडा, एसोसिएट प्रोफेसर, आईएसआईडी, दिल्ली; श्री प्रियरंजन सिन्हा, उप निदेशक, ईएसआईसी प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली; श्री नीलेन्दु मिश्रा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और संकाय, पीडीयूएनएएसएस, ईपीएफओ, दिल्ली और डॉ. रेणुका साने, पूर्व संकाय, एनआईपीएफपी और अनुसंधान निदेशक, ट्रस्टब्रिज शामिल थे। सामाजिक सुरक्षा मंजिलों का निर्माण – आय और बाल संरक्षण को सार्वभौमिक बनाना पर तकनीकी सत्र II की अध्यक्षता सुश्री मृदुला घई, निदेशक, पीडीयूएनएएसएस, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की और पैनलिस्टों में डॉ. अनूप सतपथी, वेतन विशेषज्ञ डिसेंट वर्क टीम – दक्षिण एशिया, आईएलओ, नई दिल्ली; डॉ. सत्यकी रॉय, आईएसआईडी, नई दिल्ली; डॉ. भास्वती दास, एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू शामिल थे। लापता मध्य तक पहुंचने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर तकनीकी सत्र III की अध्यक्षता श्री विरजेश उपाध्याय, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी फाउंडेशन, दिल्ली ने की और पैनलिस्टों में डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई, श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. मनोज जाटव, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई शामिल थे। सामाजिक सुरक्षा के भविष्य को आकार देने पर तकनीकी सत्र IV की अध्यक्षता टीयूसीसी के महासचिव श्री एस. पी. तिवारी ने की और तकनीकी सत्र IV के पैनलिस्टों में डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई; डॉ. धन्या एम. बी., फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. किंगशुक सरकार, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सामान्य प्रबंधन और अर्थशास्त्र, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गोवा शामिल थे। कार्यशाला में शिक्षाविदों, नियोक्ता संगठन, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान विद्वानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- **'नई श्रम संहिताओं' पर ऑनलाइन दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला (वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित) 29–30 मार्च 2023**

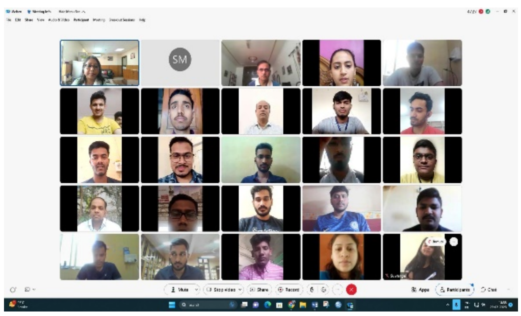

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई के सहयोग से 29–30 मार्च 2023 के दौरान नई श्रम संहिताओं पर एक ऑनलाइन दो–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुल तिरपन प्रतिभागियों में महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, क्षेत्रीय श्रम संस्थान, नागपुर के छात्र और निगमों के अधिकारी एवं मानव संसाधन प्रबंधक शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय डॉ. रूमा घोष, सीनियर फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान और डॉ. पी. एम. कडुकर, उप निदेशक, स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई द्वारा किया गया।

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र

लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य कार्य की दुनिया में लैंगिक मुद्दों की समझ को सुदृढ़ बनाना और उसके समाधान के उपाय खोजना है। पूरे विश्व में अनेक देशों की विकासात्मक नीतियों के केंद्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण रहे हैं और यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक श्रम बाजारों में श्रम बल सहभागिता दरों एवं बेरोजगारी दरों में लैंगिक आधार पर अंतर लगातार बने हुए हैं। श्रम बाजार में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक एवं नीतिगत, दोनों स्तरों पर ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

श्रम बाजार लैंगिक अंतराल विकासशील देशों में अधिक हैं, तथा व्यावसायिक पृथक्करण में लैंगिक पैटर्नों के द्वारा अक्सर ये और बढ़ जाते हैं क्योंकि महिलाओं के अधिकतर काम सैक्टरों के सीमित दायरे में केंद्रित होते हैं तथा ये कमजोर एवं असुरक्षित होते हैं। ये कामगार अधिकांशतः अनौपचारिक रोजगार यथा घरेलू कामगार, स्व–नियोजित, अनियत कामगार, उजरती दर कामगार, गृह–आधारित कामगार, तथा कम कौशल वाले प्रवासी कामगार होते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम आय एवं कम उत्पादकता होती है। इसके अलावा, लैंगिक आधार पर वेतन एवं मजदूरी में अंतर एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए सभी हितधारकों के द्वारा निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अभी भी पुरुषों के योगदान के मुकाबले कम करके आंका जाता है तथा तोड़–मरोड़ पेश किया जाता है। पारंपरिक श्रम आँकड़े वास्तविकता की आंशिक धारणा प्रदान करते हैं क्योंकि वे महिलाओं के काम को पर्याप्त रूप से चित्रित करने में असमर्थ हैं। श्रम बाजार में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और श्रम बाजारों की लैंगिक प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता है ताकि नीति निर्माताओं द्वारा निर्माण और कार्यान्वयन, दोनों स्तरों पर लिंग संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाया जा सके। सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को चिह्नित करने हेतु पूर्ण उत्पादक रोजगार, स्थिरता और सामाजिक समावेश के नये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है।

समावेशी विकास एवं पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों के बारे में जागरूकता, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, सामाजिक संवाद तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से सशक्तिकरण लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र के द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियाँ होंगी। इस ढांचे के भीतर कार्य की दुनिया में लिंग से संबंधित विभिन्न आयामों पर नीति उन्मुख अनुसंधान करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित करने, परामर्शी कार्य, प्रकाशन का कार्य आदि करने के लिए लिंग एवं श्रम अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य लिंग और श्रम अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति को सूचित करने के लिए अंतर्विधात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना भी है।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं/पेपर

1. जी20 इंडिया 2023 – भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एल20 के लिए 'महिलाएं और कार्य का भविष्य' पर इश्यू पेपर

लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना जी20 देशों में नीतिगत चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। वैश्विक श्रम बाजार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी कम रही है जो उच्च असमानता और श्रम बाजार की चुनौतियों को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में जी20 शिखर सम्मेलन और अन्य सामूहिक समझौतों ने आम तौर पर सहमत अनेक नीतिगत पहलों के माध्यम से श्रम बाजार असमानताओं के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है। इन चुनौतियों के अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी और तकनीकी परिवर्तन के हमलों से कार्य की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, जिससे रोजगार के नए रूप, डिजिटलीकरण, गिग अर्थव्यवस्था, कौशल चुनौतियाँ और असमानताएँ बढ़ी हैं, जो महिला श्रमिकों सहित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। श्रम बाजार भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करने के मुद्दे के साथ–साथ, जी20 देशों ने डिजिटलीकरण, स्वचालन, वैश्वीकरण आदि के कारण चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता और नए कौशल, कार्य के नए रूपों और कार्य के समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए नवीन संस्थागत ढाँचे को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता की भी पहचान की। अनेक जी20 देशों, विशेष रूप से भारत सहित अनौपचारिक श्रम बाजार वाले देशों को श्रम बाजार में कई चुनौतियों से पार पाना है।

इस संदर्भ में, भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एल20 फोरम में चर्चा के लिए इश्यू पेपर तैयार किया गया था। वीवीजीएनएलआई को 'महिलाएं और कार्य का भविष्य' विषय पर इश्यू पेपर को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पेपर में श्रम बाजार भागीदारी में लैंगिक अंतर और जी20 देशों में महिलाओं के काम पर कोविड–19 के प्रभाव पर चर्चा की गई है। इसमें तीव्र तकनीकी परिवर्तन, डिजिटलीकरण, स्वचालन और महिलाओं के काम पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा की गई है। गैर–मानक रोजगार में उनकी संकेंद्रता के संबंध में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों जिनमें कौशल की कमी, शिक्षा, अवैतनिक और देखभाल कार्यों का बढ़ता बोझ, क्षेत्रीय पृथक्करण आदि शामिल हैं, पर पेपर में चर्चा की गई है। महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की संभावित भूमिका और श्रम बाजार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए जी20 देशों के संदर्भ में जिन चुनौतियों की पहचान और समाधान करने की आवश्यकता है, उन पर भी पेपर में चर्चा की गई है। इश्यू पेपर का उद्देश्य महिलाओं और कार्य के भविष्य पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। इस पेपर का उद्देश्य कार्य की उभरती दुनिया में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम करने के लिए नीतिगत ढांचे को विकसित करने के लिए नवीन प्रथाओं की पहचान करना है।

पेपर को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

इस शोध पत्र से संबंधित कार्य दिसंबर 2022 में शुरू, और 04 जनवरी 2023 तक पूरा किया गया था।

(परियोजना निदेशक: डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

2. जी20 इंडिया 2023 – भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) के मौके पर 'जी20 में महिलाएं और कौशल' पर इश्यू पेपर

जी20 शिखर सम्मेलन और अन्य सामूहिक समझौतों ने आम तौर पर सहमत अनेक नीतिगत पहलों के माध्यम से श्रम बाजार असमानताओं के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और तकनीकी परिवर्तन के हमलों से कार्य की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, जिससे रोजगार के नए रूप, डिजिटलीकरण, गिग अर्थव्यवस्था, कौशल चुनौतियाँ और असमानताएँ बढ़ी हैं, जो महिला श्रमिकों सहित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। श्रम बाजार भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करने के मुद्दे के साथ–साथ, जी20 देशों ने डिजिटलीकरण, स्वचालन, वैश्वीकरण आदि के कारण चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता और नए कौशल, कार्य के नए रूपों और कार्य के समावेशी भविष्य के निर्माण के लिए नवीन संस्थागत ढाँचे को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता की भी पहचान की। 2009 में पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में जी20 नेताओं ने मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए अपनी विकास रणनीतियों और निवेशों में मजबूत प्रशिक्षण प्रयासों का समर्थन करने का वादा किया था। इसके अलावा, श्रम बाजार में उभरते बदलावों के कारण राष्ट्रों में रोजगार संवर्धन रणनीतियों, विशेष रूप से श्रमिकों को बदलते श्रम बाजार के अनुकूल ढलने में मदद करने के लिए कौशल और उन्नयन के अवसरों की उपलब्धता, पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। उत्कृष्ट श्रम को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए युवा महिलाओं के कौशल पर निवेश करना और उन्हें ऐसे अवसरों तक पर्याप्त पहुंच प्रदान करना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में, संस्थान ने भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत ईडब्ल्युजी के मौके पर 'जी20 में महिलाएं और कौशल' पर एक इश्यू पेपर तैयार किया था। पेपर में श्रम बाजार भागीदारी में लैंगिक अंतराल की पहचान करने पर ध्यान देने के साथ जी20 देशों में महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी पर चर्चा की गई है। पेपर में कोविड–19 महामारी के कारण महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही, पेपर तकनीकी परिवर्तन (गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क आदि) के कारण महिला श्रमिकों के लिए उभरते रोजगार के अवसरों पर भी चर्चा करता है। यह पेपर लोगों की क्षमताओं में निवेश करने की आवश्यकता, विशेष रूप से आजीवन सीखने को बढ़ावा देने और महिलाओं को श्रम बाजार में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पुनः कौशल और कौशल उन्नयन, पर प्रकाश डालता है। इसमें जी20 देशों में रोजगार, शिक्षा और प्रशिक्षण तक महिलाओं की पहुंच पर चर्चा की गई है। पेपर में एसटीईएम अवसरों, कौशल विकास (डिजिटल कौशल सहित), शिक्षा और उद्यमिता प्रोत्साहन पर विभिन्न अच्छी प्रथाओं/सरकारी पहलों पर चर्चा की गई है।

इस इश्यू पेपर का उद्देश्य कार्य के भविष्य के परिदृश्य में उत्कृष्ट श्रम को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और नवीन समाधानों की पहचान करने के लिए जी20 देशों में महिला कौशल पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

पेपर को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

इस शोध पत्र से संबंधित कार्य सितंबर 2022 में शुरू, और 25 अक्टूबर 2022 को किया गया था।

(परियोजना निदेशकः डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो)

3. श्रम बल भागीदारी: वैश्विक लैंगिक अंतराल प्रवृत्तियों को मापना

उद्देश्य

- विकसित और विकासशील देशों के लैंगिक अंतराल सूचकांक की तुलना करना;
- लैंगिक अंतराल सूचकांक को मापने के लिए विश्व स्तर पर अपनाई गई पद्धति का पता लगाना;
- सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत में लैंगिक अंतराल की वर्तमान स्थिति का पता लगाना।

परिणाम

अध्ययन में यह पाया गया कि यद्यपि महिला श्रम बल भागीदारी एक विकास चालक है, भागीदारी दरों से किसी देश की तेज वृद्धि की क्षमता का पता चलता है। अनुसंधान परिणाम का गठन विशेष रूप से जी20 देशों में महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी और बड़े विकास परिणामों के बीच संबंध खोजने में किया गया था। यह पाया गया कि विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में काफी भिन्नता है, जो पुरुषों की तुलना में काफी अधिक है। अध्ययन में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट द्वारा अपनाई गई पद्धति के बारे में भी विस्तार से बताया गया और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर देश–विशिष्ट डेटा एकत्र करने की पद्धति में सीमाएं पाई गईं।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अगस्त 2022 में शुरू, और नवंबर 2022 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

4. ठेका श्रमिक: एक मामला अध्ययन

उद्देश्य

ठेका श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण करना।

परिणाम

कई संगठन अकुशल, कुशल और उच्च कुशल ठेका श्रमिकों के लिए वेतन के भुगतान, छुट्टी के नियम और काम के घंटों के बारे में अपनी खुद की प्रणाली और नियम बनाते हैं। इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

मामला अध्ययन को अगस्त 2022 में शुरू, और नवंबर 2022 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

5. 'गिग श्रमिक' – एक मामला अध्ययन

उद्देश्य

- आय और सरकारी सहायता के संदर्भ में गिग श्रमिकों से जुड़ी चुनौतियों को समझना।

परिणाम

- अधिकांश गिग श्रमिक स्वतंत्र ठेकेदार हैं जो अपने काम के घंटे और मुआवज़ा दरें स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
- उनके पास अपने स्वयं के कामकाजी घंटे निर्धारित करने या सामान्य नौ से पांच साप्ताहिक दिनों को चुनने का विकल्प होता है (लचीले कामकाजी घंटों की अवधारणा)।
- इसके अतिरिक्त, इसने श्रमिकों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के बारे में प्रमुख चिंताएँ उत्पन्न की हैं (लचीले कामकाजी घंटों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है)

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

मामला अध्ययन को नवम्बर 2022 में शुरू, और जनवरी 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

6. 'फुटपाथ विक्रेताओं' पर मामला अध्ययन

उद्देश्य

- कोविड के दौरान फुटपाथ विक्रेताओं के अनुभव को जानना।

परिणाम

- फुटपाथ विक्रेताओं के सामने आने वाली चुनौतियों की समझ से बेहतर नीति–निर्माण में मदद मिलेगी।
- फुटपाथ विक्रेताओं की कानूनों की समझ से नीति निर्माताओं को फुटपाथ विक्रेताओं के बीच जागरूकता के स्तर को समझने में मदद मिलेगी।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

मामला अध्ययन को नवम्बर 2022 में शुरू, और जनवरी 2023 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

चल रही अनुसंधान परियोजना

1. **संगठित विनिर्माण क्षेत्र में शहरी कामकाजी महिलाओं का सवेतन और अवैतनिक कार्य: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समय उपयोग पैटर्न का एक अध्ययन।**

उद्देश्य

- विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ महिला श्रमिकों के शहरी रोजगार परिदृश्य को समझना।
- विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए सवेतन और अवैतनिक कार्य के बीच संबंध को समझना।
- विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए समय और शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या आदि के साथ इसके अंतर्संबंध के विश्लेषण के माध्यम से एनसीआर में महिलाओं के समय उपयोग पैटर्न का पता लगाना।
- एकाधिक और एक साथ गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और कल्याण पर इसके प्रभाव का पता लगाना।
- महिला श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को समझना।
- श्रम कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक उनकी पहुंच का पता लगाना।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अप्रैल 2022 में शुरू किया गया, और दिसम्बर 2023 तक पूरा किया जाना है।

परियोजना निदेशक: डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

परियोजना को जनवरी 2023 में शुरु किया गया, एवं दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना है।

कार्यशालाएं

- **'भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभाल: चुनौतियाँ और नीति' पर कार्यशाला**

संस्थान द्वारा 17 फरवरी 2023 को 'भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभाल: चुनौतियां और नीति' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थे: (i) भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में गिरावट के बारे में उभरते विश्लेषणों के संदर्भ में भारत में महिलाओं के रोजगार समझना; (ii) भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभाल से संबंधित प्रमुख चिंताओं को समझना; (iii) महिलाओं के कार्य के सवाल को सुलझाने में नीति, अभ्यास और अनुसंधान का सहारा लेना; (iv) उत्पादक श्रम बाजारों और रोजगार के दायरे से परे चर्चा का विस्तार करना। कार्यशाला का

उद्घाटन वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के महानिदेशक श्री अमित निर्मल ने किया। डॉ. सौम्या कपूर मेहता, वरिष्ठ सामाजिक विशेषज्ञ, सामाजिक स्थिरता और समावेशन (एसएसआई), विश्व बैंक, नई दिल्ली ने कार्यशाला में एक विशेष भाषण दिया। सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी, पूर्व उप निदेशक, आईसीआरडब्ल्यू ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कार्यशाला को दो सत्रों में विभाजित किया गया था; (i) महिलाओं का सवेतन और अवैतनिक कार्यः चुनौतियाँ और नीति; और (ii) रूटलेज 2022 द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'जेंडर, अनपेड वर्क एंड केयर' पर पुस्तक चर्चा। डॉ. दीपा सिन्हा, सहायक प्रोफेसर, अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली; डॉ. सोनिया जॉर्ज, महासचिव, स्व–रोज़गार महिला संघ (सेवा), डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. सोना मित्रा, प्रधान अर्थशास्त्री, (आईडब्ल्यडब्ल्युएजीई), केआरईए विश्वविद्यालय कार्यशाला में पैनलिस्ट थे। पैनल चर्चा के बाद डॉ. एलीना सामंतराय और सुश्री शुभलक्ष्मी नंदी द्वारा संपादित 'जेंडर, अनपेड वर्क एंड केयर इन इंडिया' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यशाला में सत्रह प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. एलीना सामंतराय ने किया।

- **'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पर कार्यशाला**

22 मार्च 2023 को ' महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का विशिष्ट उद्देश्य अधिनियम पर संस्थान के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना था।

सुश्री अंकिता शर्मा, अतिथि संकाय कार्यशाला में व्याख्यान देती हुई

- **कार्य की बदलती दुनिया में महिलाएँः मुद्दे और संभावनाएँ पर कार्यशाला (07 मार्च 2023)**

लिंग, कार्य और विकास (06–07 मार्च 2023) पर प्रशिक्षण कार्यशाला के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) को मनाने के लिए 'कार्य की बदलती दुनिया में महिलाएंः मुद्दे और संभावनाएँ' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थेः (i) लिंग, कार्य और विकास और इनके संबंधों के बारे में वैचारिक समझ विकसित करना, (ii) प्रतिभागियों को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ संवेदनशील बनाना, उन्हें लैंगिक समानता, साम्य, महिलाओं की एजेंसी निर्माण, सभ्य रोजगार, समावेशी विकास, हरित और सतत विकास के लिए लैंगिक संवेदनशील नीतियों के कार्यक्रमों से परिचित

कराना (iii) प्रतिभागियों को उनके पेशेवर और शैक्षणिक कार्यों में योगदान करने में सक्षम बनाना। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में लगभग चालीस संकाय सदस्यों, विश्वविद्यालयों के अनुसंधान विद्वानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र, सिविल सोसायटी और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुश्री शोभा मिश्रा घोष, निदेशक और प्रमुख, जीई हेल्थकेयर और पूर्व सहायक महासचिव, फिक्की; डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो और सुश्री विशिस्ता सैम, राष्ट्रीय परियोजना समन्वय, आईएलओ कंट्री ऑफिस, भारत पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुईं। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो और पाठ्यक्रम निदेशक ने चर्चा और खुले मंच का संचालन किया।

कृषि संबंध, ग्रामीण और व्यवहार अध्ययन केंद्र

पूरे विश्व में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के स्तर को आकार देने में श्रम बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अकेले कृषि क्षेत्र को सभी ग्रामीण श्रम शक्ति को पर्याप्त रूप से समा लेने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, फिर भी रोजगार पैदा करने में इसका सहयोग और अर्थव्यवस्था की विविधता के लिए योगदान महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण आबादी के लिए श्रम बाजारों तक पहुंच मुख्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि यह उनकी आजीविका को बनाए रखने का एकमात्र संसाधन हो सकता है। अक्सर, इन श्रमिकों के पास एकमात्र प्रतिभा उनका श्रम है। इसलिए, ग्रामीण श्रम बाजारों के कामकाज को मजबूत करना और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभा और व्यवसाय की दक्षता को मानवीय बनाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। रोजगार सृजन और श्रम बाजारों के लिए स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाना एक महत्वपूर्ण सरोकार है। इसके लिए विस्तृत शोध करनकी आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बहुत सीमित साक्ष्य उपलब्ध हैं।

कृषि संबंधों और ग्रामीण श्रम बाजारों में बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए यह महसूस किया गया कि एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से इन जटिलताओं का अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

व्यवहार अध्ययन का महत्व

आज हम एक ऐसी तकनीकी क्रांति की ओर देख रहे हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से संबंधित होने के तरीके को मौलिक रूप से बदल सकती है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके पैमाने और दायरे की कल्पना मानव जाति ने नहीं की होगी।

विशेष रूप से कार्यस्थल पर सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल कठिन कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है बल्कि सॉफ्ट कौशल को भी कार्य संस्कृति के अनुरूप समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सॉफ्ट कौशलों, व्यवहारिक और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों से व्यक्तियों और उस संगठन, जहां वे कार्य करते हैं, की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और कार्यस्थल में संस्कृति में सुधार करने में भी में मदद मिलेगी। सॉफ्ट कौशलों में लोगों के कौशल, सामाजिक कौशल, विशेषता और व्यक्तिगत खासियतें, दृष्टिकोण, करियर विशेषताएँ, सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिलब्धि शामिल हैं, जो लोगों को दिन–प्रतिदिन के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है।

केंद्र का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों और सामाजिक भागीदारों यानी ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों; नियोक्ता संगठनों के सदस्यों; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों और कर्मचारियों; केंद्र और

राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के अधिकारियों; शोधकर्ताओं; प्रशिक्षकों; सिविल सोसायटी संगठनों के सदस्यों; पंचायती राज संस्थानों; ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के जमीनी स्तर के संगठनों के सदस्यों आदि के व्यवहार और व्यवहार संबंधी कौशल आवश्यकताओं को संबोधित करना है। केंद्र विभिन्न संगठनों जैसे सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नाल्को, एनटीपीसी, भेल, आदि के प्रबंधकों और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। ।

इस संस्थान द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में विभिन्न प्रकार के साधन और तकनीक यथा मामला अध्ययन, रोल प्ले, प्रबंधन खेल, अभ्यास, अनुभवात्मक साझाकरण आदि शामिल हैं।

1. कृषि संकट को समझनाः ग्रामीण कृषि में उत्पादन, रोजगार और उभरती चुनौतियों का एक अध्ययन

उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थेः

- कृषि में मौजूदा उत्पादन प्रक्रिया का अध्ययन करना;
- कृषि में रोजगार पैटर्न और उत्पादकता का अध्ययन करना;
- कीमत और बाज़ार तंत्र के प्रभाव का अध्ययन करना; (व्यापार की शर्तें),
- जोखिम प्रबंधन ढांचे का अध्ययन करना, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच और उनके प्रभाव के साथ अध्ययन करना; कृषि में संसाधन उपयोग प्रक्रिया की जांच करना।

परिणाम

- यह पाया गया कि बेरोजगारी और काम के लिए प्रवासन की समस्या को कम करके रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
- गांवों और कस्बों में उच्च शिक्षा के लिए नए शिक्षण संस्थान स्थापित करने से प्रवासन को कम करने और साक्षरता दर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को नवंबर 2021 में शुरू, और जून 2022 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

2. भारत में हरित नौकरियाँः वर्तमान और भविष्य की संभावनाएँ – चरण I

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार थेः

- उन क्षेत्रों का अध्ययन करना जहां हरित नौकरियाँ मौजूद हैं; उन क्षेत्रों का अध्ययन करना जहां हरित नौकरियाँ मौजूदा नौकरियों की जगह ले सकती हैं;
- वर्ष 2025, 2030, 2047 और 2070 तक भारत में हरित नौकरियों की संभावनाओं की जांच करना।

परिणाम

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि जैसे उद्योगों में लाखों हरित नौकरियाँ पैदा करने की क्षमता है। हालाँकि, अभी भी कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे नीतियों और धन की कमी। हरित नौकरियों की वृद्धि का समर्थन करने वाली नीतियों में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने वाली कंपनियों के लिए कर क्रेडिट शामिल हो सकते हैं। मनरेगा ग्रामीण समुदायों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एमएसएमई अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ–साथ आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिक टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल प्रथाओं की ओर बदलाव से पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान उद्योगों में अधिक लैंगिक संतुलन भी हो सकता है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अगस्त 2022 में शुरू, नवंबर 2022 में पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशकः डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो)

कार्यशालाएँ / सम्मेलन

- **भारतीय श्रम बाजार में नई श्रम संहिताओं के प्रभाव की खोज पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यशाला**

27–28 मार्च 2023 के दौरान लोयोला कॉलेज के साथ 'भारतीय श्रम बाजार में नए श्रम संहिताओं के प्रभाव की खोज' पर एक सहयोगात्मक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एक सौ तैंतालीस प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का विशिष्ट उद्देश्य श्रम संहिताओं और श्रम बाजार पर उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा करना था। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, सीनियर फेलो, वीवीजीएनएलआई और डॉ. डी. जॉन पॉल, सहायक प्रोफेसर, लोयोला कॉलेज, चेन्नई ने किया।

- **तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला**

प्रतिभागियों की तनाव प्रबंधन क्षमता को बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य से 20 जनवरी 2023 को 'तनाव प्रबंधन' पर एक–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में चौदह प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. शशि बाला, फेलो ने किया।

पूर्वोत्तर भारत केंद्र

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9 प्रतिशत है और यहां की आबादी देश की कुल आबादी का 3.8 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। यह क्षेत्र पूर्वी भाग में हिमालय की तलहटी में फैला हुआ है और बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल एवं म्यांमार से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में 08 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक–राजनैतिक कारणों की वजह से एनईआर देश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है। कम उत्पादकता एवं बाजार तक कम पहुंच के साथ यहां पर अवसंरचना एवं शासन भी ठीक नहीं हैं।

एनईआर में कार्यबल भारत के कुल कार्यबल का 3.6 प्रतिशत है (2011–12)। एनईआर में श्रम परिदृश्य कई कारणों (भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक) की वजह से देश के अन्य भागों की तुलना में अलग है। इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण की दर कम है एवं आधुनिक सेवा क्षेत्र का यहां सीमित विस्तार हुआ है। यहां पर कृषि कार्य (झूमिंग जैसी विचित्र प्रणालियों की उपस्थिति के कारण) भी भिन्न हैं। श्रम बाजार प्रतिभागिता में सांस्कृतिक लोकाचार भी अलग है, जो अन्य बातों के साथ लिंग एवं सामाजिक श्रेणियों में श्रम बल की विशिष्ट बनावट को दर्शाते हैं। फिर, प्रवास भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो आबादी के आंतरिक प्रवास (क्षेत्र के अंदर एवं बाहर) के मामले के साथ–साथ श्रमिकों का राष्ट्र के अन्य भागों से अंतःप्रवेश के मामले में, विभिन्न सामाजिक–राजनैतिक विचारों के कारण और पेचीदा हो गया है।

इसी संदर्भ में संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नीति–उन्मुख अनुसंधान करने, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करने तथा श्रम, रोजगार एवं सामाजिक संरक्षण के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने के लिए 2009 में एक नये केंद्र, पूर्वोत्तर भारत केंद्र (सीएनई) की स्थापना की। केंद्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नीति उन्मुख अनुसंधान एवं कार्यशालाएं/सेमिनार और प्रशिक्षण आयोजित करना है। अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षेत्र इस प्रकार हैंः

केंद्र के प्रमुख अनुसंधान विषयः

- रोजगार एवं बेरोजगारी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां
- लिंग एवं श्रम
- प्रवासन एवं विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- स्वास्थ्य एवं श्रम
- आजीविका नीतियां
- क्षेत्रक विश्लेषण
- कौशल–अंतर अध्ययन
- औद्योगिक संबंध एवं विनियमन
- श्रमिकों एवं कामगारों के आंदोलन का समाजशास्त्र

केंद्र के प्रमुख प्रशिक्षण विषय

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्षित समूहों में श्रम अधिकारी, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के महिला कामगार एवं प्रतिनिधि, एनजीओ/सिविल सोसायटी, विश्वविद्यालयों के छात्र एवं अनुसंधानकर्ता हैं। केंद्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं:

- कौशल विकास एवं रोजगार सृजन
- श्रम कानूनों के मूलभूत तत्व
- महिला कामगारों से संबंधित श्रमिक मुद्दों एवं कानूनों पर जागरूकता का सुदृढ़ीकरण
- ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- सामाजिक संरक्षण एवं आजीविका सुरक्षा
- असंगठित क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन
- श्रम अध्ययन में अनुसंधान विधियां
- श्रम और वैश्वीकरण का समाजशास्त्र

जारी अनुसंधान परियोजना

1. सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्तपोषण

आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020–2022 के अनुसार, वैश्विक आबादी का केवल 46.9 प्रतिशत प्रभावी रूप से कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ से कवर है, जबकि शेष 53.1 प्रतिशत यानी 4 बिलियन लोग असुरक्षित हैं। इसके अलावा बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों और प्रवासियों जैसे कमजोर समूहों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज विशेष रूप से कम है। इसलिए गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी के लिए उत्कृष्ट श्रम हासिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना अत्यावश्यक मामला है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का पर्याप्त वित्तपोषण मौलिक है। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा अंतर को पाटना सतत विकास के 2030 एजेंडा के केंद्र में है। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के स्थायी वित्तपोषण के मुद्दे पर चर्चा करने और जी20 देशों में वित्तपोषण मॉडल और राजकोषीय स्थान विकल्पों के विश्लेषण के लिए भारतीय अध्यक्षता का चयन सामयिक है। दरअसल, सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण के विषय पर अतीत में जी20 ईडब्ल्युजी में चर्चा की गई है, लेकिन बहुत विस्तार से नहीं। असंगठित/अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के स्थायी वित्तपोषण के मुद्दे को जी20 ईडब्ल्युजी में नीति सिद्धांतों या नीति सिफारिशों के रूप में कभी भी स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य अन्य जी20 देशों के अनुभव से सीखते हुए भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए एक उपयुक्त टिकाऊ वित्तीय तंत्र और बजट को उजागर करना और पहचानना है। विभिन्न सामाजिक

सुरक्षा योजनाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी तरह से कार्यशील वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता होती है। ऐसा मॉडल देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के स्थायी वित्तपोषण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर नीतियों और मजबूत प्रशासन के निर्माण में मदद करेगा।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को नवम्बर 2022 में शुरू किया गया और जून 2023 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो)

प्रमुख संगोश्ठी

- **उत्तराखंड के विकास के अनुभव पर राष्ट्रीय संगोष्ठीः उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और आगे की राह**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा की साझेदारी में दून विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा 22–24 सितंबर 2022 के दौरान ***'उत्तराखंड के विकास के अनुभवः उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और आगे की राह'*** विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन प्रोफेसर रमेश चंद, माननीय सदस्य, नीति आयोग और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, माननीय कुलपति, दून विश्वविद्यालय ने किया। डॉ. एस. एस. संधू, आईएएस, मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार ने समापन भाषण दिया। इस संगोष्ठी में 320 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का समन्वय प्रो. आर. पी. ममगईं, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, दून विश्वविद्यालय और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

Prof. R.P. Mamgain, Head, Department of Economics, Doon University welcoming the delegates of the National Seminar.

श्रम बाजार अध्ययन केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में अनुसंधान गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों के तत्वावधान में चलाई जाती हैं। इन्हीं केंद्रों में से एक, श्रम बाजार अध्ययन केंद्र श्रम बाजार में चल रहे परिवर्तनों के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम और रोजगार के मुद्दों पर साक्ष्य–आधारित नीतियाँ तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान गतिविधियाँ की जाती हैं। केंद्र की वर्तमान गतिविधियाँ निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर केंद्रित हैं।

- रोजगार और बेराजगारी
- प्रवासन और विकास
- कौशल विकास
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एवं उत्कृष्ट श्रम
- मजदूरी
- गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक
- कार्य का भविष्य

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजनाएं/पेपर/मामला अध्ययन

1. ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रणनीतिक पेपर

सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में 30 जून 2022 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अपने विभिन्न संगठनों में 'ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक रणनीतिक पत्र' तैयार करने का निर्देश दिया गया।

उद्देश्य

यह रणनीतिक पेपर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के नोडल अधिकारियों के साथ वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में हुई ऑनलाइन कार्यशाला के परिणामस्वरूप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संगठनों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग पर अवधारणा नोट्स का समेकन है। इसमें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के कामकाज में ड्रोन प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसकी तैनाती के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा, इस रणनीतिक पेपर में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दो अलग–अलग संगठनों में ड्रोन प्रौद्योगिकी पर प्रयोगात्मक आधार पायलट अध्ययन का विश्लेषण किया गया।

परिणाम

प्रौद्योगिकियों की विभिन्न संभावनाओं की पहचान की गई और पायलट अध्ययन के दौरान यह अनुभव किया गया कि ड्रोन सुविधा का उपयोग सुरक्षा और स्वास्थ्य अनुपालन की पहचान करने के लिए किया जा सकता है और यह सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अनुपालन के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए किसी

कारखाने या निर्माण स्थल के विशाल परिसर को सटीकता से कवर कर सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि ड्रोन का उपयोग बंद कमरों, जहां ड्रोन के संचालन में बहुत बाधाएं होती हैं, की तुलना में प्रतिष्ठानों के परिसर में खुले स्थानों के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य में संभावित विचलन तक पहुंचने के लिए ड्रोन प्रणाली के वीडियो को फैक्ट्री/निर्माण/प्रमुख बंदरगाह में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ आसानी से संपुष्ट किया जा सकता है, जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप पर प्रक्रियाओं को लागू करने में प्रतिष्ठानों को सक्षम बनाएगा। ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से निरीक्षण, लेखापरीक्षा और निगरानी प्रणाली को सहायता मिल सकती है। यह रिकॉर्ड के उद्देश्य से एक साक्ष्य तंत्र भी प्रदान कर सकती है। इसलिए, श्रम एवं रोजगार के विभिन्न संगठनों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए विभिन्न अनुप्रयोग और संभावनाएं हैं। श्रम कानूनों का बेहतर अनुपालन एवं प्रवर्तन होगा और इससे श्रमिकों के लिए बेहतर सुरक्षा और संरक्षा हो सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो खतरनाक परिस्थितियों में कठिन वातावरण में काम कर रहे हैं।

अध्ययन को शुरु एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को 13 जनू 2022 को शुरु, एवं 07 सितम्बर 2022 को पूरा किया गया।

(परियोजना निदेशक: डॉ. धन्या एम.बी., फेलो)

2. 'गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक और सामाजिक संरक्षण' पर इश्यू पेपर

यह इश्यू पेपर जी20 भारतीय प्रेसीडेंसी 2023 के जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्युजी) की बैठक के लिए तैयार किया गया है।

उद्देश्य

'गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक और सामाजिक संरक्षण पर इश्यू पेपर नीतिगत सिफारिशों के लिए रोजगार कार्य समूह की चर्चा के लिए तैयार किए गए इश्यू पेपरों में से एक है और कार्य के अधिकारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के स्थायी तरीकों पर चर्चा करने के लिए जी20 देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच परिचालित किया गया है।

परिणाम

इस इश्यू पेपर ने गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने पर अंतर्राष्ट्रीय नीति संवाद और सदस्य देशों की विभिन्न पहलों के आदान–प्रदान की सुविधा प्रदान की। नीतिगत सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य जी20 देशों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावी, समावेशी और कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

(परियोजना निदेशक: डॉ. धन्या एम.बी., फेलो)

3. नई मजदूरी संहिता पर जागरूकताः एक मामला अध्ययन

एक राष्ट्रीय श्रम संस्थान के रूप में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान मजदूरी संहिता, 2019 की सार्वजनिक समझ बढ़ाने के लिए कई ऑनलाइन प्रशिक्षण पहल आयोजित करता है। मामला अध्ययन तैयार करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों से कार्यक्रम का फीडबैक एकत्र किया गया है।

उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण प्रतिभागियों की मजदूरी संहिता के बारे में जागरूकता की जाँच करना और गैर सरकारी संगठनों, सरकारी और निजी संगठनों, ट्रेड यूनियनों और शोधकर्ताओं आदि सहित विभिन्न हितधारकों से मजदूरी पर श्रम कानून सुधारों के बारे में उनकी राय की जाँच करना है।

परिणाम

मजदूरी संहिता एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और समय पर भुगतान एवं अधिकृत कटौती के संबंध में विभिन्न हितधारकों के लिए इसकी प्रयोज्यता सराहनीय है, जो प्रति माह एक सीमा के साथ कर्मचारियों तक ही सीमित थी, अब यह 'मजदूरी सीमा के निरपेक्ष सभी कर्मचारियों' पर लागू होती है। शिकायतों का त्वरित, सस्ता और कुशल निवारण चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है और इससे मनमानापन एवं कुप्रबंधन दूर होंगे। भुगतान में चूक या मजदूरी या बोनस के कम भुगतान या अनधिकृत कटौती से संबंधित दावों के मामले में देनदारी कंपनी पर होगी। संहिता में हर पाँच साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा करने का प्रावधान है, चेक या डिजिटल मोड के माध्यम से मजदूरी के भुगतान से प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यह अध्ययन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नीतिगत पहलों को सुविधाजनक बनाएगा।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम.बी., फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजनाएँ

1. गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक पर शोध अध्ययनः विजन 2047

यह पेपर 2047 तक भारत में गिग एवं प्लेटफॉर्म कार्यबल की मात्रा का अनुमान लगाने का प्रयास करता है।

उद्देश्य

यह शोध अध्ययन निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरु किया गयाः i) गिग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करने के लिए एक गणना अभ्यास करना। ii) गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालना और प्लेटफॉर्म क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए एक प्लेटफॉर्म श्रमिक की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इस पर एक विज़न बनाना। iii) भारतीय संदर्भ में गिग एवं प्लेटफॉर्म

श्रमिकों से संबंधित मुख्य चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना। iv) नए युग की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक समावेशन को बढ़ाने के लिए नियामक और विधायी उपायों की जाँच करना।

अपेक्षित परिणाम

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर के रुझानों सहित विभिन्न विश्लेषण किए गए हैं ताकि यह समझा जा सके कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना कैसे देख सकता है। इस अध्ययन में विश्व बैंक के आंकड़ों से और कुछ मान्यताओं के आधार पर तीन अलग–अलग परिदृश्यों के साथ 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय वृद्धि दर के रुझानों का विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। बाद में, इस शोध ने विशेष मान्यताओं के आधार पर विभिन्न डिजाइनों के साथ 2047 तक गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में रोजगार की गणना करने का भी प्रयास किया। इस अध्ययन में एनएसएस–ईयूएस 2011–12 और पीएलएफएस डेटा की मदद से 2030 तक गिग श्रमिकों की गणना के लिए नीति आयोग द्वारा अपनाए गए डेटा और पद्धति के समान डेटा और पद्धति को अपनाया गया है। तथापि, यह विज़न इंडिया 2047 के लिए गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में रोजगार की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का अनुमान है। यह अध्ययन विज़न इंडिया 2047 के लिए विभिन्न नीतिगत सिफारिशों के साथ संपन्न होता है ताकि देश एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

अध्ययन को अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया और जुलाई 2023 तक पूरा किया जाना है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. धन्या एम.बी., फेलो)

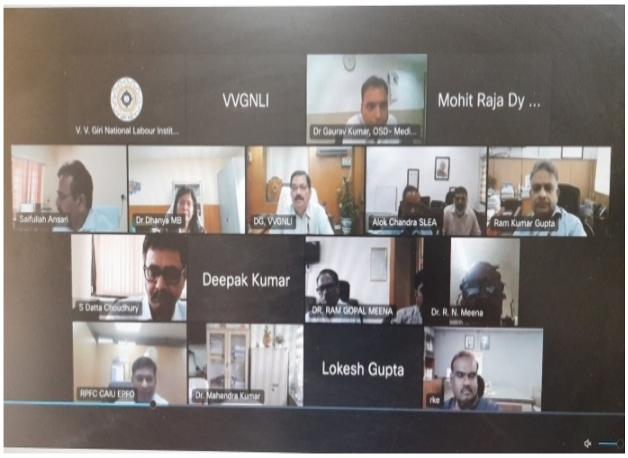

कार्यशालाएं

- **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संगठनों द्वारा 'ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं' पर कार्यशाला**

श्रम और रोजगार मंत्रालय के संगठनों द्वारा '21 प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाओं' पर आधे दिन की ऑनलाइन कार्यशाला वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 11 जून 2022 को श्री आलोक चंद्रा, एसएलईए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और संदर्भ निर्धारित किया। श्री आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव और डॉ. महेंद्र कुमार, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी चर्चा में उपस्थित थे।

कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों में ड्रोन की तैनाती की जबरदस्त गुंजाइश की जाँच करना था ताकि चरणबद्ध निरीक्षण, विशेष रूप से खानों, काम के खतरनाक क्षेत्रों में कार्यों की निगरानी जैसे कार्यों आदि में दक्षता और प्रभावशीलता लाई जा सके। ईएसआईसी, ईपीएफओ, सीएलसी (सी), डीजीएफएएसएलआई, डीजीएमएस और डीजीएलबी सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के नोडल अधिकारियों ने अपने संगठनों में ड्रोन की तैनाती की संभावना पर अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक में 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का समन्वय डॉ. धन्या एम. बी., एसोसिएट फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किया गया।

- **नई श्रम संहिताओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम पर राष्ट्रीय कार्यशाला (केआईएलई, केरल) 27–28 जून, 2022**

'नई श्रम संहिताओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम' विषय पर यह राष्ट्रीय कार्यशाला वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान (केआईएलई), केरल के सहयोग से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और कंपनी के विकास के लिए अनुकूल कामकाजी माहौल के लिए श्रम संहिताओं के महत्व पर उम्मीदवारों को शिक्षित करना था। कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार थेः i) चारों श्रम संहिताओं की पृष्ठभूमि, परिभाषाओं और मुख्य बातों के बारे में शिक्षित करना ii) प्रत्येक श्रम संहिता और केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के बीच अंतर की जाँच करना, iii) सभी चार श्रम संहिताओं के प्रमुख मुद्दों और उनके विश्लेषण पर चर्चा करना। उद्घाटन भाषण केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान के अध्यक्ष श्री के. एन. गोपीनाथ द्वारा दिया गया। केआईएलई के कार्यकारी निदेशक श्री सुनील थॉमस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. धन्या एम.बी. ने सत्र में व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में सभी ट्रेड यूनियनों/संघों/महासंघों के प्रतिनिधियों सहित 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया। डॉ. धन्या एम.बी., फेलो ने श्री सुनील थॉमस, कार्यकारी निदेशक, केआईएलईऔर श्री किरण, वरिष्ठ फेलो, केआईएलई, केरल के साथ कार्यक्रम का समन्वय किया।

राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र (एनआरसीसीएल) की स्थापना यूनीसेफ, आईएलओ और श्रम मंत्रालय के साथ साझेदारी में काम करने हेतु उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में की गई है। इसकी स्थापना का उद्देश्य एक ऐसी केंद्रीय एजेंसी उपलब्ध कराना था, जो बाल श्रम पर काबू पाने के कार्य में सरकार,, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, कामगार संगठनों, और नियोक्ता संगठनों सहित विभिन्न सामाजिक भागीदारों और हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कर सके। यह केंद्र बाल श्रम के उत्तरोत्तर उन्मूलन के कार्य में कानून–निर्माताओं, नीति–निर्माताओं, योजनाकारों तथा परियोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्यों का समर्थन करता है। केंद्र विभिन्न सरकारी विभागों, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, समाज कार्य एवं सामाजिक विज्ञान के छात्रों, सीएसआर कार्यपालकों सहित विकास सैक्टर एवं कारपोरेट सैक्टर के कार्मिकों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों, आरडब्ल्युए के पदाधिकारियों, एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा समूहों, पंचायती राज संस्थाओं तथा बाल श्रम की रोकथाम एवं उन्मूलन की दिशा में कार्य करने वाले अन्य सामाजिक भागीदारों की क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता रहा है।

एलआरसीसीएल की व्यापक गतिविधियों में शामिल हैं: अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रभाव आकलन, मूल्यांकन, निष्पादन आकलन, प्रशिक्षण मैन्युअल/मॉड्यूल/पैकेज विकसित करना, पाठ्यचर्या विकास, पक्ष–समर्थन, तकनीकी सहायता/सलाहकार सेवाएं/परामर्श, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन, प्रसार, नेटवर्किंग, विभिन्न स्तरों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करते हुए अभिसरण को बढ़ावा देना तथा आबादी के विभिन्न समूहों के मध्य जागरूकता का सृजन करना जिससे जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सके। इन कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों की नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान करना है।

अनुसंधान

अनुसंधान एनआरसीसीएल की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है और अनुसंधान अध्ययनों में निवारक उपाय विकसित करने के उद्देश्य से कामकाजी बच्चों के परिमाण, आयाम और बच्चों के श्रम शोषण के निर्धारक जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन सूक्ष्म–स्तरीय अध्ययनों में तस्करी किए गए बच्चों एवं प्रवासी बाल श्रमिकों की कमजोरियों एवं असुरक्षिताओं पर फोकस किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाल संरक्षण तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य, नीतिगत एवं विधायी रूपरेखा और उनके प्रवर्तन की स्थिति, सरकारी तथा गैर–सरकारी हस्तक्षेपों का प्रभाव, शिक्षा की स्थिति, रहने और काम करने की स्थिति, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम आदि का मूल्यांकन भी किया जाता हैं। एनआरसीसीएल ने माइक्रो, मेसो और मैक्रो विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों के आधार पर अनेक अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन पूरे किए हैं।

अनुसंधान परियोजनाओं में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है:

1. चुनिंदा खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन पर बेंचमार्क सूचना का सृजन करना।
2. बाल श्रम के वैचारिक और निश्चयात्मक पहलुओं का पता लगाने और बाल श्रम के अपराध के लिए जिम्मेदार कारकों के सामाजिक–आर्थिक निहितार्थों का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा करना।
3. प्रतिकृति के लिए सफल अनुभवों का प्रलेखन करके बाल श्रमिकों को काम से मुक्त करवाने की अवसर लागतों को प्रासंगिक बनाना।
4. श्रमिक शोषण में बच्चों के मुद्दे पर प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन एवं मूल्यांकन अध्ययन।
5. बाल श्रम की रोकथाम, पहचान, बचाव, रिहाई, प्रत्यावर्तन, पुनर्वास, पुनःएकीकरण, एकीकरण के बाद तथा ट्रैकिंग एवं निगरानी के लिए कार्यनीतियाँ विकसित करना।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना

1. कानून के प्रवर्तन और बंधुआ मजदूरों/बाल श्रमिकों के पुनर्वास की स्थिति

परियोजना में उत्तरदाताओं का ऑनलाइन सर्वेक्षण शामिल था जहाँ बंधुआ मजदूरों/बाल श्रमिकों के बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन के मुद्दों और स्थिति पर डेटा प्राप्त किया गया था। इसे उद्देश्य इस प्रकार थेः मानव तस्करी, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के बीच संबंध को समझना, बंधुआ मजदूरी के नए रूपों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की प्रथा और प्रणाली की पहचान, रोकथाम, उन्मूलन के लिए ज्ञान और कौशल को मजबूत करना, बचाव से लेकर पुनर्वास तक की गंभीर संकट अवधि के दौरान प्रभावी और समय पर कार्रवाई के महत्व पर चर्चा करना, बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की पहचान, रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर ज्ञान प्रदान करना, वैधानिक और कानून प्रवर्तन निकायों की भूमिका को समझना, और अपराधियों के प्रभावी अभियोजन के लिए कौशल को भी बढ़ाना। सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालती है और पहचाने गए, बचाए गए और पुनर्वासित मामलों का विवरण प्रदान करती है। यह एफआईआर, दोषमुक्ति और दोषसिद्धि की संख्या और बंधुआ और बाल श्रम की उच्च सांद्रता वाले व्यवसायों/उद्योगों का विवरण प्रदान करती है। यह संबंधित कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डालती है। इसमें बंधन के उभरते रूपों को उजागर करने के लिए मछली श्रमिकों के मामले पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

यह परियोजना जुलाई 2021 में शुरू, और दिसंबर 2022 में पूरी की गई।

(परियोजना निदेशकः डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो)

जारी अनुसंधान परियोजना

1. राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन – अंतिम रिपोर्ट (वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा)

यह अध्ययन राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों के प्रभाव का आकलन करता है ताकि उनके लाभों को प्रदर्शित किया जा सके और कमियों, यदि कोई है तो, की पहचान की जा सके ताकि उसमें और सुधार किया जा सके।

उद्देश्य

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित चुनिंदा आर्थिक और श्रम बाजार उत्पादन और परिणाम संकेतकों पर श्रम सुधारों के प्रभाव की जांच करना हैः (i) आर्थिक विकास (ii) औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन (iii) नई इकाइयों की स्थापना में तेजी (iv) प्रतिष्ठानों के आकार में वृद्धि (v) कपड़ा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को लाभ, जिन्हें श्रम संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ा (vi) अनुपालन बोझ में कमी और (vii) उन्नत सामाजिक सुरक्षा लाभ।

परिणाम

यह देखने की आवश्यकता है कि श्रम सुधार समग्र नीति मिश्रण में केवल एक तत्व है जो आर्थिक विकास को निर्धारित करता है और नौकरियों को उत्कृष्ट बनाता है। दी गई सीमित समयावधि में किए गए अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि चार प्रमुख विधायी सुधारों और चार प्रमुख प्रशासनिक सुधारों का व्यापार सुगमता; रोजगार सृजन, विशेषकर औपचारिक क्षेत्र में; नए उद्यमों/स्टार्ट–अप को आकर्षित करने; निवेश आकर्षित करने; प्रतिष्ठानों के आकार में वृद्धि, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने; कपड़ा, परिधान, चमड़ा जैसे कुछ श्रम प्रधान क्षेत्रों की वृद्धि के संदर्भ में उद्योग एवं व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों पर और अंततः समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

यह अध्ययन मई 2021 में शुरू किया गया था। अध्ययन की अंतरिम रिपोर्ट अगस्त 2021 में प्रकाशित हुई थी। इसे जुलाई 2023 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. अनूप सत्पथी, फेलो)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम (आईएलएचआरपी)

एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमः परिचय

- आईएलएचआरपी एक विशेष अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे वीवीजीएनएलआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन लेबर हिस्टोरियंस (एआईएलएच) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य भारत में श्रम के संबंध में ऐतिहासिक अनुसंधान प्रारंभ करना तथा संगठित एवं असंगठित, दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों से संबंधित रिकॉर्ड का परिरक्षण करना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान का समसामयिक नीति–निर्माण के साथ एकीकरण करना भी है।

कार्यक्रम की संरचना

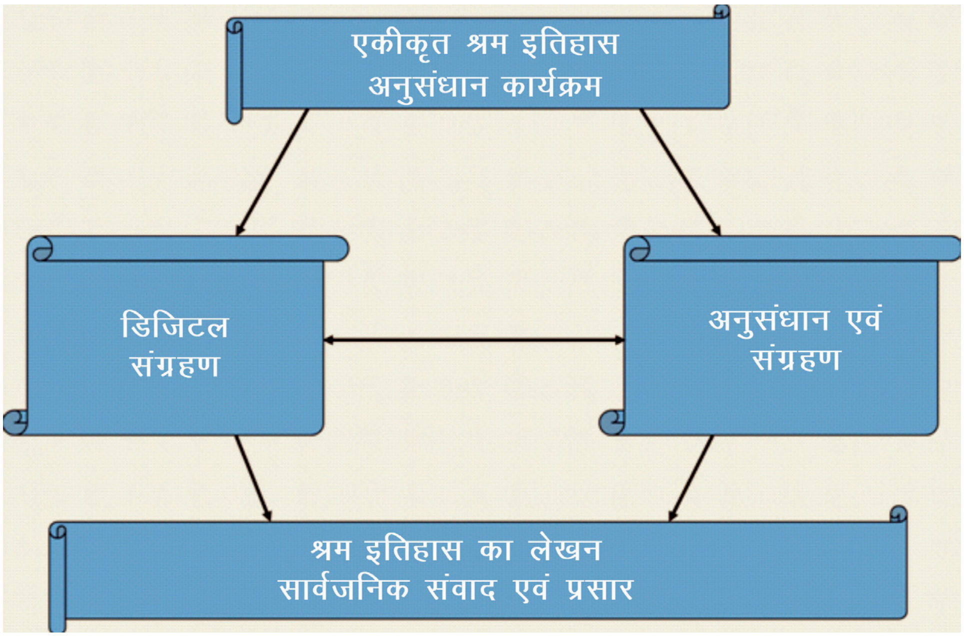

भारतीय श्रमिकों के डिजिटल अभिलेखागार की विशेषताएं

- पूर्णतया डिजिटल संरचना
- एकीकृत मल्टीमीडिया भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली
- संवर्धित उपयोगकर्ता पहुंच
- ऐतिहासिक एवं समसामयिक रिकॉर्ड का एकीकरण
- असंगठित सैक्टर के श्रमिकों के रिकॉर्ड पर फोकस

जारी अनुसंधान परियोजना

1. स्वतंत्रता आंदोलन में श्रमिक नेताओं की भूमिका

उद्देश्य

- स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत को आकार देने में श्रमिकों और श्रमिक आंदोलन द्वारा किए गए योगदान का दस्तावेजीकरण करना।

- उपनिवेशवाद–विरोधी स्वतंत्रता संग्राम के साथ श्रमिक आंदोलन को एकजुट करने और श्रमिक वर्ग के योगदान के साथ–साथ सामाजिक न्याय, श्रमिकों के सामाजिक संरक्षण के विचारों को बढ़ावा देने में ट्रेड यूनियनों द्वारा निभाई गई भूमिका का दस्तावेजीकरण करना।

दायरा

श्रमिक आंदोलन और ब्रिटिश–विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन और दस्तावेजीकरण, प्रौद्योगिकी, कौशल और उद्यमों के विकास के साथ श्रमिक आंदोलन का संबंध, श्रमिक आंदोलन और सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण, और श्रमिक आंदोलन और सामाजिक सुधार और सामाजिक न्याय आंदोलन।

अध्ययन को शुरू एवं पूरा करने की तिथि

यह परियोजना नवंबर 2022 में शुरू की गई, और जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

(परियोजना निदेशकः डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो)

जलवायु परिवर्तन तथा श्रम केंद्र

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव एक वैश्विक सरोकार है और भारत, जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं तथा अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी विकट है। इस अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नीति–उन्मुख अनुसंधान करना और इसका संबंध श्रम तथा आजीविका से स्थापित करना है। केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

केंद्र के मुख्य अनुसंधान क्षेत्र

- जलवायु परिवर्तन, श्रम और आजीविका के बीच अन्तःसंबंधों को समझना।
- जलवायु परिवर्तन की रोजगार चुनौतियां तथा ग्रीन जॉब में संक्रमण।
- आजीविका अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तनशीलता के शमन की रणनीतियों, और मैक्रो, मेसो तथा माइक्रो स्तर पर हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन।
- जलवायु परिवर्तन और प्रवासन पर इसका प्रभाव।
- प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों तथा जनसाधारण पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

विशिष्ट अनुसंधानीय मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ऐसे असुरक्षित श्रमिकों की जीविका पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जो निर्वाह योग्य खेती, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सेक्टर, समुद्र तटीय मछली पालन/नमक/खेती में लगे हैं तथा जो जंगलों पर निर्भर स्थानीय अनुसूचित जनजातियों से हैं।
- उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने, नौकरी खोने पर संरक्षण देने तथा जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए माइक्रो नीतियों को नई दिशा देने में नियोजकों तथा ट्रेड यूनियनों की भूमिका।
- सूखे, बाढ़ तथा अति-अनिश्चित मानसून के कारण कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में कमी के साथ संबंध के द्वारा खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
- आजीविका सुरक्षा के बचाव के लिए और जलवायु परिवर्तन को अंगीकृत करने में मनरेगा की भूमिका।
- जलवायु परिवर्तन और लिंगीय मुद्दे।
- जलवायु परिवर्तन एवं तेज होती प्रवास प्रक्रिया पर इसका प्रभाव।
- जलवायु परिवर्तन की स्थानीय अवधारणाओं, स्थानीय नियंत्रणकारी क्षमताओं तथा मौजूदा अनुकूलन रणनीतियों को समझना।
- विभिन्न हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन विज्ञान, इसके संभावित प्रभाव और विभिन्न अनुकूलन एवं शमन रणनीतियों के संबंध में क्षमता निर्माण एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

पूरी कर ली गई अनुसंधान परियोजना/मामला अध्ययन

1. समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधनः क्षेत्र दौरे के दो मामलों से अंतर्दृष्टि

उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य *तटीय क्षेत्रों में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधन* पर वीवीजीएनएलआई के पाँच दिवसीय सहयोगात्मक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में निम्नलिखित दो क्षेत्रीय दौरों के अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि पर चर्चा करना और साझा करना थाः विझिंजम बंदरगाह, तिरुवनंतपुरम के पास भारत में त्वरित जमे हुए समुद्री भोजन के एक अग्रणी प्रोसेसर एबीएडी फिशरीज, और गोदी एवं मछली पकड़ने के प्रसिद्ध बंदरगाह मझगांव के साथ–साथ मुंबई का दौरा। लेखक इस पाठ्यक्रम के निदेशक हैं। पहला कार्यक्रम केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान (13–17 नवंबर 2017) और दूसरा कार्यक्रम स्वर्गीय नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र श्रम अध्ययन संस्थान (23–27 जुलाई 2018) के सहयोग से किया गया था।

अवधि

लगभग 3–4 महीने

परिणाम

- मत्स्य श्रमिक कामकाजी जनता के बीच सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। श्रमिकों और क्षेत्र की बेहतरी और उन्नति के लिए उन्हें कानूनी प्रावधानों, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास उपायों के माध्यम से संरक्षित करने की आवश्यकता है।

- एबीएडी फिशरीज, भारत में त्वरित जमे हुए समुद्री भोजन के अग्रणी प्रोसेसर जैसी इकाइयां, जिनमें लगभग ग्यारह मान्यता प्राप्त और प्रमाणित कारखाने हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है और 12,000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाले चार सार्वजनिक कोल्ड स्टोर हैं, मत्स्य श्रमिकों को औपचारिक बनाने और इस क्षेत्र में अच्छे रोजगार के लिए प्रयास करने में सहायक हो सकते हैं। इस इकाई में ज्यादातर अर्ध–कुशल प्रकार का कार्य करने वाली महिला श्रमिक हैं, जो प्रतिदिन आठ घंटे कार्य करती हैं और प्रति माह लगभग आठ से नौ हजार कमाती हैं। वे औपचारिक क्षेत्र में दो प्रमुख सामाजिक सुरक्षा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि (पीएफ) का भी लाभ उठा रही हैं। इस प्रकार की श्रम गहन इकाइयां, जहाँ तकनीकी पहुंच कम है, उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने, मत्स्य श्रमिकों को औपचारिक बनाने और क्षेत्र में अच्छे रोजगार के लिए प्रयास करने की क्षमता है।

- मछली पकड़ने, तट के आर–पार और बंदरगाह क्षेत्र के पास बेचने में लगे बड़ी संख्या में लगे मत्स्य श्रमिकों सामने कई चुनौतियाँ हैं। इनमें समुद्र तल पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, संसाधन

और चक्रवात जैसी आपदा प्रमुख हैं। इसके अलावा, मत्स्य श्रमिकों के नेताओं सहित हितधारक सागरमाला परियोजना के तहत विस्तारित विझिंजम बंदरगाह के पास आजीविका के नुकसान के बारे में आशंकित थे। यह पाया गया कि स्थानीय प्रशासन मुआवजे के पैकेज और अन्य मुद्‌दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित करने के लिए पीड़ित पक्षों के साथ लगा हुआ था।

- केंद्र और राज्य सरकारों के कौशल विकास उपायों को क्षेत्र की मांग और श्रमिकों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अनुसार सक्रिय रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है। जो श्रमिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और बंदरगाह नवीकरण परियोजनाओं के कारण विस्थापन की मार झेल रहे हैं या वैकल्पिक आजीविका के लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में उपलब्ध पुनः कौशल के अवसर की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मजदूरी रोजगार, स्व–रोजगार और उद्यमिता के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुद्रा को उन श्रमिकों और छोटे नाव मालिकों, जिन्हें कौशल, पुनः कौशल और कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अपनी आजीविका खोनी पड़ती है तथा नए उद्यमशीलता उद्यम के इच्छुक लोगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग केंद्र

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को ऐसे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यावसायिक सहयोग स्थापित करने के अधिकृत किया गया है, जो श्रम तथा इससे संबंद्ध मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं। तदनुसार, संस्थान ने पिछले कई वर्षों से समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), जापान श्रम नीति तथा प्रशिक्षण संस्थान (जेआईएलपीटी), कोरिया श्रम संस्थान (केएलआई), अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम), श्रीलंका श्रम एवं रोजगार संस्थान, यूएन वीमेन, आईजीके वर्क एंड ह्यूमन लाइफसाइकिल इन ग्लोबल हिस्ट्री, हम्बोत यूनिवर्सिटी, जर्मनी, सेंटर फॉर मॉडर्न स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंजन, जर्मनी और तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीसी–आईएलओ), ट्यूरिन, आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किये हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में बाल श्रम, श्रमिक प्रवास, सामाजिक सुरक्षा, कार्य की दुनिया में लिंगीय मुद्दे, कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम इतिहास, उत्कृष्ट श्रम, कार्य का भविष्य तथा श्रम से संबंधित प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हस्तक्षेप शामिल हैं।

मौजूदा समय में संस्थान भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में सूचीबद्ध है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 104 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें लगभग 135 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 2338 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। वर्ष 2022–23 के दौरान आईटीईसी के तहत दो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 26 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आईटीसी) ट्यूरिन, इटली के मध्य व्यावसायिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए 28 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किये गये। इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों संस्थानों के मध्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा में सहयोग को सुगम बनाना है जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी क्षमताओं के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार प्रोफाइल के क्षेत्र स्तरीय देश–विशिष्ट अवबोधन को बढ़ाया जा सके।

वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए:

- ’हरित कार्यों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन’ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 अप्रैल से 20 मई 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किया गया था।

- ’समावेशी बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से नौकरियों का सृजन’ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 09 मई से 10 जून 2022 के दौरान आयोजित किया गया था। वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्य ने कार्यक्रम में भाग लिया।

- आईटीसी—आईएलओ ने 10—13 अक्टूबर 2022 के दौरान 'वैश्विक दक्षिण—दक्षिण सहयोग मंचः आजीविका, रोजगार और कमजोर समूहों का समावेशन' का आयोजन किया। वीवीजीएनएलआई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आठ (08) अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान को भारत सरकार द्वारा ब्रिक्स देशों के अन्य श्रम संस्थानों के साथ नेटवर्क के लिए नोडल श्रम संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तदनुसार, वीवीजीएनएलआई, चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में आयोजित ब्रिक्स देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में गठित **श्रम अनुसंधान संस्थानों का ब्रिक्स नेटवर्क** का भी एक सहभागी है। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य संस्थान हैंः नेशनल लेबर मार्केट ऑब्जर्वेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ब्राजील, ब्राजील; ऑल रशियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर ऑफ दि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन ऑफ रशियन फेडरेशन, रूस; चाइनीज़ एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन; और यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।

चाइनीज एकेडमी ऑफ लेबर एंड सोशल सिक्योरिटी, चीन की अध्यक्षता में, वीवीजीएनएलआई ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 15 सितंबर 2022 को ब्रिक्स देशों के श्रम अनुसंधान संस्थान में महामारी के बाद की अवधि के संदर्भ में रोजगार और आय नीतियों पर ऑनलाइन सेमिनार में प्रस्तुति दी।

दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी के तहत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान – वीवीजीएनएलआई ने 21 फरवरी, 2023 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 21—24 फरवरी के दौरान ब्रिक्स प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक (ईडब्ल्यूजी) के अवसर पर आयोजित अनुसंधान नेटवर्क बैठक में 'सामाजिक सुरक्षा का संक्षिप्त देशीय अवलोकन' पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुतिकरण में भारत में रोजगार—बेरोजगारी के रुझान, भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थितिः एक पर्यावलोकन, हितलाभ और योजनाएँ, महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, नई पहल (ई—श्रम) और नई श्रम संहिताओं के तहत पहल का अवलोकन प्रदान किया गया।

जी20 रोजगार कार्य समूह

वीवीजीएनएलआई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जी20 रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) के लिए राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान भागीदार के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा है।

विशेष कार्यक्रम/दौरे

संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

(i) 17 अक्टूबर 2022 को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा, कटक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ii) वीवीजीएनएलआई और दून विश्वविद्यालय, देहरादून के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 17 अक्टूबर 2022 को वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक श्री अमित निर्मल और दून विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. मंगल सिंह मंद्रवाल ने हस्ताक्षर किए। दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर.पी. ममगईं और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो संकाय समन्वयक थे।

(iii) वीवीजीएनएलआई और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईआईटी–आईएसएम), धनबाद के बीच 01 नवंबर 2022 को वीवीजीएनएलआई के महानिदेशक श्री अमित निर्मल और प्रोफेसर राजीव शेखर, आईआईटी–आईएसएम के निदेशक द्वारा दोनों संस्थानों के संकाय सदस्यों और अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी–आईएसएम के डॉ. अजीत सिंह राजपूत और डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, फेलो संकाय समन्वयक थे।

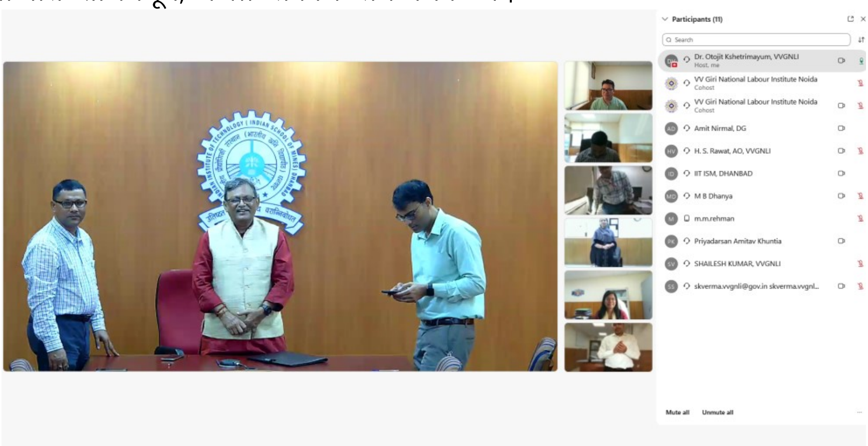

(iv) लोयोला कॉलेज, चेन्नई के साथ समझौता ज्ञापन पर 22.12.2022 को हस्ताक्षर किए गए।

(v) 17 मार्च, 2023 को एसोसिएटेड चौंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचौम) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **'व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्यः चुनौतियाँ और समाधान पर वैश्विक संगोष्ठी'**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), द्वारका, नई दिल्ली के सहयोग से 01–02 नवंबर 2022 के दौरान नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में 'व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्यः चुनौतियाँ और समाधान पर वैश्विक संगोष्ठी' का आयोजन किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल; श्रम विभाग, दिल्ली सरकार; महानिदेशालय फैक्टरी सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; डॉयचे गेसेट्जलिचे अनफॉलवर्सिचेरुंग (डीजीयूवी), जर्मनी; इंडो–जर्मन फोकल पॉइंट, भारत और नेशनल लेबर लॉ एसोसिएशन ने भी संगोष्ठी के आयोजन में भागीदारी की। संगोष्ठी का उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे; रोकथाम रणनीतियाँ; प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण; व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकय और कार्य का भविष्य और ओएसएच आवश्यकताएँ पर चर्चा करना था। संगोष्ठी में भारत और जर्मनी के एक सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वीवीजीएनएलआई एक पैनलिस्ट थीं और उन्होंने संगोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता भी की। वीवीजीएनएलआई से श्री बीरेंद्र सिंह रावत (वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी), सुश्री कुसुम बलूनी, श्री सत्यवान और श्री हरकेश कुमार ने भी संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी का समन्वय प्रोफेसर जीत सिंह मान, प्रोफेसर, कानूनी शिक्षा और अनुसंधान, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली और डॉ. एलीना सामंतराय, फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा ने किया।

- **8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022** की एक–दिवसीय उलटी गिनती मनाने के लिए वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने एक विशेष दिन के तौर पर 07.05.2022 को ईएसआईसी मॉडल अस्पताल परिसर, सैक्टर 24, नौएडा के कर्मचारियों के लिए योग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पचास प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो ने कार्यक्रम का समन्वय किया। प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ ने योगाभ्यास का नेतृत्व किया और सभी प्रतिभागियों ने इसका अभ्यास किया। कार्यक्रम, सभी प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में योग और योग अभ्यास करने के संदेश के साथ संपन्न हुआ।

- संस्थान ने 21 जून 2022 को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया। इसमें संकाय, अधिकारियों और कर्मचारियों के सदस्यों के साथ–साथ उनके परिवारों के साथ–साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

महानिदेशक, संकाय सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी योगाभ्यास में भाग लेते हुए

- सचिव, श्रम एवं रोजगार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) और अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वीवीजीएनएलआई ने 18 अक्टूबर 2022 को वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान का दौरा किया और वीवीजीएनएलआई के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

सुश्री आरती आहूजा, सचिव (श्रम एवं रोजगार) संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए

- वीवीजीएनएलआई द्वारा स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट यूनिवर्सिटी (टाईम्स ऑफ इंडिया ग्रुप), ग्रेटर नौएडा के छात्रों के लिए श्रमिक मुद्दों और श्रम संहिताओं पर एक अध्ययन दौरा–सह–अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 29.04.2022 को आयोजित इस एक–दिवसीय कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रिया सोंधी के साथ पैंतीस छात्रों ने भाग लिया। दो सत्रों में भाग लेने के बाद छात्रों ने संस्थान के पुस्तकालय में अध्ययन करते हुए अच्छा समय बिताया। कार्यक्रम का समन्वय श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो, वीवीजीएनएलआई ने किया।

- एशियन लॉ कॉलेज, नौएडा के छात्रों के लिए 30 अगस्त 2022 को एक अध्ययन–सह–अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में दो संकाय सदस्यों सहित कानून के 35 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पाठ्यक्रम निदेशक श्री पी. अमिताभ खुंटिआ द्वारा दो परस्पर संवादात्मक सत्र और श्री पी. अमिताभ खुंटिआ के मार्गदर्शन में वीवीजीएनएलआई में प्रशिक्षु रहे भारती विद्यापीठ लॉ कॉलेज, पुणे के छात्र श्री अक्षित गुप्ता द्वारा 'श्रम संहिताओं का अवलोकन' पर एक प्रस्तुति शामिल थी। छात्रों ने दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में संस्थान के पुस्तकालय में अध्ययन करते हुए अच्छा समय बिताया।

प्रशिक्षण और शिक्षा (2022–23)

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम समस्याओं की जानकारी को बढ़ावा देने तथा उन पर काबू पाने के उपायों और साधनों का पता लगाने के प्रति संकल्पबद्ध है। इस संकल्प की प्राप्ति के लिए यह संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा संगठित तरीके से श्रमिकों की समस्याओं के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। जबकि अनुसंधान गतिविधियों के द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ विभिन्न वर्गों की बुनियादी आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है, अनुसंधान से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग नए प्रशिक्षण कार्यक्रम परिकल्पित करने तथा मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए किया जाता है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से लगातार प्राप्त फीडबैक का प्रयोग प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के साथ–साथ प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पुनः अभिकल्पित करने के लिए किया जाता है।

संस्थान के शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को श्रम संबंधों में संरचनात्मक परिवर्तन के संभावित साधन माना जा सकता है। ये कार्यक्रम सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अधिक सकारात्मक वातावरण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम बुनियादी स्तर पर ऐसे नेतृत्व का विकास करने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का निर्माण कर सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास तथा ज्ञान की वृद्धि पर समान रूप से बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य–श्रव्य प्रस्तुतीकरण, व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, मामला अध्ययनों तथा व्यवहार विज्ञान तकनीकों के उचित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। संस्थान की फैकल्टी के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए गेस्ट फैकल्टी को भी आमंत्रित किया जाता है।

संस्थान निम्नलिखित समूहों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करता हैं:

- केंद्र, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा विदेशों के श्रम प्रशासक तथा अधिकारी,
- सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधक एवं अधिकारी,
- असंगठित / संगठित क्षेत्रों के ट्रेड यूनियन नेता तथा आयोजक, और
- अनुसंधानकर्ता, प्रशिक्षक, क्षेत्र कार्यकर्ता तथा श्रम मुद्दों से संबद्ध अन्य व्यक्ति।

वर्ष 2022–23 के दौरान संस्थान ने 171 ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें क्रमशः 5388 कार्मिकों ने भाग लिया।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किए गए हैं। ये कार्यक्रम गिग और प्लेटफॉर्म; पुलिस कर्मियों, विशेष रूप से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी विषयक उनकी भूमिका के संबंध में; पेंशन योजनाओं; पूर्व शिक्षण की पहचान; सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नई मानव संसाधन प्रथाओं और प्रवासन एवं विकास–आंतरिक प्रवास पर फोकस के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते

हैं। ऐसे 06 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 153 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

श्रम प्रशासन कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को केंद्र और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम प्रशासकों और अधिकारियों के लिए तैयार किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत श्रम प्रशासन, सुलह, श्रम कल्याण, प्रवर्तन, अर्धन्यायिक भूमिका, वैश्वीकरण तथा रोजगार संबंध से संबंधित अनेक विषय शामिल हैं। ऐसे 24 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 816 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

औद्योगिक संबंध कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और अनुशासनिक पद्धतियों के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, दोनों पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार, नियोक्ताओं और यूनियनों के बीच बेहतर विचार-विमर्श के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों, मानव संसाधन अधिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को सहभागिता प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाती है। ऐसे 20 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 339 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, ये कार्यक्रम औद्योगिक और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों की ट्रेड यूनियनों के श्रमिकों और संगठनकर्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किए जाते हैं ताकि अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे 67 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 1816 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बाल श्रम कार्यक्रम

ये कार्यक्रम, बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की क्षमताएं विकसित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन समूहों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी, नियोक्ता, ट्रेड यूनियन, एनसीएलपी अधिकारी, समाज कार्य के विद्यार्थी, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि

आदि शामिल हैं। ऐसे 11 ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 681 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह संस्थान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आई.टी.ई.सी. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु सूचीबद्ध है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों पर 02 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कामगारों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक एवं कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इन कार्यक्रमों में कुल 53 विदेशी नागरिकों ने भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम

संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्रम एवं रोजगार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए श्रम प्रशासकों, ट्रेड यूनियन नेताओं, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के लिए विशेष रूप से परिकल्पित कार्यक्रमों पर जोर देता है। इस कमी को पूरा करने के लिए संस्थान ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर वर्ष इन कार्यक्रमों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान संस्थान ने उपर्युक्त विषयों पर 10 ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 260 कार्मिकों ने भाग लिया।

अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों के युवा अध्यापकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी संगठनों में वृत्तिकों की श्रम अनुसंधान एवं नीति में रुचि बढ़ाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। ऐसे 06 ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 166 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने राज्य श्रम संस्थानों तथा समान उद्देश्य वाले संस्थानों के साथ नेटवर्किंग तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, ताकि श्रम बाजार की क्षेत्रीय और सेक्टोरल विषमताओं की तरफ ध्यान दिया जा सके और श्रमिकों की समस्त समस्याओं का पर्याप्त रूप से समाधान खोजा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान, मैनेज, हैदराबाद; केरल श्रम एवं रोजगार संस्थान, केरल; केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब; सिक्किम विश्वविद्यालय; गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु; आईजीएनटीयू, इम्फाल; एमजीएलआई, गुजरात; सीएसडी, हैदराबाद; राष्ट्रीय करियर सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश और एमआईएलएस, मुंबई के सहयोग से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कुल मिलाकर ऐसे 13 ऑनलाइन कार्यक्रमों और 01 ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनमें 678 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आंतरिक कार्यक्रम

संस्थान ने विभिन्न आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जो संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रम हैं। संस्थान ने उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रधान निजी सचिवों (पीपीएस) एवं निजी सचिवों (पीएस), एचपीसीएल, असम सरकार, नेवल डॉकयार्ड, मुंबई के अधिकारियों के लिए कुल मिलाकर 12 आंतरिक ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में कुल मिलाकर 426 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ऑनलाइन /ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, (01.04.2022 – 31.03.2023)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम				
1.	गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 13 – 15 जून 2022	03	21	अनूप सतपथी
2.	पुलिस कर्मियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी में उनकी भूमिका के संबंध में; 04 – 08 जुलाई 2022	05	30	शशि बाला
3.	संगठित और असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएँ; 22 – 24 अगस्त 2022	03	29	रूमा घोष
4.	पूर्व शिक्षण की पहचान और अनौपचारिक श्रम के लिए इसके निहितार्थ; 26 – 28 सितम्बर 2022	03	38	मनोज जाटव
5.	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों में नई मानव संसाधन प्रथाएँ; 16 – 18 जनवरी 2023	03	25	शशि बाला
6.	प्रवासन और विकास–आंतरिक प्रवासन पर फोकस के साथ; 21 – 23 मार्च 2023	03	10	धन्या एम. बी.
श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)				
7.	श्रमिकों के अधिकार और विवाद समाधान पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 04 – 05 अप्रैल 2022	02	13	शशि बाला
8.	नई श्रम संहिताओं पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम 05 – 06 अप्रैल 2022	02	19	शशि बाला
9.	सीएलसी, ईएसआईसी और ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एकल निरीक्षण योजना पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 18 – 20 अप्रैल 2022	03	180	संजय उपाध्याय
10.	अहमदाबाद, फ़रीदाबाद और चेन्नई में सीएलसी, ईएसआईसी और ईपीएफओ ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एकल निरीक्षण योजना पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम; 25 – 26 अप्रैल 2022	02	138	संजय उपाध्याय
11.	कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना; 18 – 22 अप्रैल 2022	05	11	रूमा घोष

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
12.	नई श्रम संहिताओं एवं नियमों को समझना 02 – 06 मई 2022	05	11	शशि बाला
13.	श्रम संहिताओं और प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन से परिचित होना; 17 – 20 मई 2022	04	13	संजय उपाध्याय
14.	आईएलओ कन्वेंशन 102 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 13 – 16 जून 2022	04	37	रूमा घोष
15.	विभिन्न श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ 20 – 24 जून 2022	05	18	संजय उपाध्याय
16.	नवनियुक्त खान सुरक्षा उपनिदेशकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जून – 01 जुलाई 2022	05	32	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
17.	मजदूरी संहिता, 2019 04 – 07 जुलाई 2022	04	13	अनूप सतपथी
18.	कार्य का भविष्य और श्रमिकों का सामाजिक संरक्षण 04 – 08 जुलाई 2022	05	22	रूमा घोष
19.	भारत में मजदूरी नीतियाँः मजदूरी संहिता, 2019 के विशेष संदर्भ में 09 – 12 अगस्त 2022	04	24	धन्या एम. बी.
20.	श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन 22 – 26 अगस्त 2022	05	21	संजय उपाध्याय
21.	महिलाओं की समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित कानून 05 – 09 सितम्बर 2022	05	21	शशि बाला
22.	उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 – 30 सितम्बर 2022	05	58	शशि बाला
23.	श्रम प्रशासन और श्रम निरीक्षण के माध्यम से सुशासन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 – 30 सितम्बर 2022	03	10	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
24.	सुलह को प्रभावी बनाना 01 – 04 नवम्बर 2022	04	13	मनोज जाटव
25.	डीजीएफएएसएलआई के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 – 25 नवम्बर 2022	05	27	रूमा घोष
26.	व्यक्तिगत उत्कृष्टता के उद्देश्य से क्षमता निर्माण के लिए आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 नवम्बर – 02 दिसम्बर 2022	05	08	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
27.	प्रभावी श्रम कानून प्रवर्तन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सी); 12 – 16 दिसम्बर 2022	05	24	संजय उपाध्याय
28.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका एवं कार्य 11 – 13 जनवरी 2023	03	28	संजय उपाध्याय
29.	अर्ध–न्यायिक प्राधिकारी: भूमिका एवं कार्य 27 फरवरी – 01 मार्च 2023	03	19	संजय उपाध्याय
30.	मौजूदा श्रम कानूनों के तहत नियामक अनुपालन पर नियोक्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 06 – 07 मार्च 2023	02	56	संजय उपाध्याय
औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)				
31.	भारत में श्रम संहिताएँ 25 – 29 अप्रैल 2022	05	16	एलीना सामंतराय
32.	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व 04 – 07 जुलाई 2022	04	34	संजय उपाध्याय
33.	व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का विकास करना 25 – 29 जुलाई 2022	05	13	रूमा घोष
34.	श्रम संहिताओं और नियमों पर क्षमता निर्माण 01 – 05 अगस्त 2022	05	43	मनोज जाटव
35.	उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण और औद्योगिक संबंध 16 – 18 अगस्त 2022	03	03	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
36.	महिला अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 22 – 24 अगस्त 2022	03	25	धन्या एम. बी.
37.	विभिन्न श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ 12 – 15 सितम्बर 2022	04	35	संजय उपाध्याय
38.	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना 19 – 23 सितम्बर 2022	05	26	शशि बाला
39.	उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 – 14 अक्तूबर 2022	05	05	मनोज जाटव
40.	श्रम संहिताएँ और नियम 31 अक्तूबर – 04 नवम्बर 2022	05	25	एलीना सामंतराय

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
41.	प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के लिए व्यवहार कौशल 07 – 11 नवम्बर 2022	05	10	शशि बाला
42.	भारत में श्रम एवं रोजगार के संबंध में कानूनों पर जागरूकता निर्माणः नई श्रम संहिताओं और श्रम नियमों पर विशेष फोकस; 14 – 16 नवम्बर 2022	03	09	धन्या एम. बी.
43.	महिला अधिकारियों के नेतृत्व विकास कार्यक्रम 22 – 24 नवम्बर 2022	03	10	धन्या एम. बी.
44.	कार्य दक्षता बढ़ाना 05 – 09 दिसम्बर 2022	05	19	शशि बाला
45.	कार्य का प्रभावी प्रबंधनः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 09 – 13 जनवरी 2023	05	22	शशि बाला
46.	कार्य में उत्कृष्टता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना; 06 – 10 फरवरी 2023	05	06	शशि बाला
47.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 20 – 24 फरवरी 2023	05	07	शशि बाला
48.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम की क्षमता को बढ़ाना, 13 – 17 मार्च 2023	05	11	शशि बाला
49.	श्रमिकों का आत्म–विकास 23 – 27 मार्च 2023	05	10	शशि बाला
50.	उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए संगठनात्मक संस्कृति में सुधार करना 10 – 14 अक्तूबर 2022	05	10	शशि बाला
क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)				
51.	स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए श्रमिक मुद्दों और श्रम संहिताओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम 29 अप्रैल 2022	01	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
52.	श्रम संहिताएँ (ऑफलाइन) 06 – 08 अप्रैल 2022	03	32	शशि बाला
53.	श्रम संहिताओं पर जोर देने के साथ असंगठित/ग्रामीण श्रमिक आयोजकों के लिए क्षमता निर्माण 04 – 06 मई 2022	03	23	शशि बाला
54.	श्रम संहिताओं के संदर्भ में ट्रेड यूनियनधसिविल सोसायटी संगठन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 09 – 13 मई 2022	05	22	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
55.	संगठन निर्माण के लिए नेतृत्व कौशल और श्रम संहिता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 09 – 13 मई 2022	05	25	शशि बाला
56.	घरेलू कामगारों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम; 23 – 27 मई 2022	05	21	शशि बाला
57.	रोजगार के लिए महिलाओं के कौशल विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 – 27 मई 2022	05	19	पी. अमिताभ खुंटिआ
58.	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना (हाइब्रिड मोड) 06 –10 जून 2022	05	30	शशि बाला
59.	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 – 17 जून 2022	05	17	रम्य रंजन पटेल
60.	रोजगार के अवसरों का सृजनरू अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना 20 – 24 जून 2022	05	14	रम्य रंजन पटेल
61.	श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समता और समानता से संबंधित सकारात्मक नीतियाँ (ऑनलाइन) 20 – 24 जून 2022	05	18	शशि बाला
62.	घरेलू कामगारों के लिए श्रम संहिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (इंटक) 20–24 जून, 2022	05	15	शशि बाला
63.	श्रम संहिताओं एवं नियमों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 27 जून – 01 जुलाई 2022	05	26	मनोज जाटव
64.	लैंगिक और श्रमिक मुद्दे 04 – 08 जुलाई 2022	05	23	एलीना सामंतराय
65.	लैंगिक संवेदनशील वातावरण सुगम बनाना: एक व्यवहारिक दृष्टिकोण (ऑनलाइन) 11 – 15 जुलाई 2022	05	32	शशि बाला
66.	असंगठित कामगारों के लिए माथाडी मॉडल पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11 – 15 जुलाई 2022	05	37	मनोज जाटव
67.	नेतृत्व कौशल बढ़ाना: स्वच्छता कामगार 11 – 15 जुलाई 2022	04	28	रम्य रंजन पटेल

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
68.	श्रमिकों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए श्रम संहिता 11 – 15 जुलाई 2022	05	22	शशि बाला
69.	श्रम संहिताओं और नियमों को समझना (ऑनलाइन) 18 – 22 जुलाई 2022	05	49	शशि बाला
70.	मजदूरी संहिता, 2019 के विशेष संदर्भ में क्षमता निर्माण कार्यक्रम 20–22 जुलाई 2022	03	12	शशि बाला
71.	मजूदरी नीति और न्यूनतम मजदूरी 25 – 27 जुलाई 2022	04	18	अनूप सतपथी
72.	कल्याणकारी और विकास उपायों की प्रभावशीलता के लिए सुशासन 01 – 05 अगस्त 2022	05	09	पी. अमिताभ खुंटिआ
73.	जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग (ऑनलाइन) 01 – 05 अगस्त 2022	05	27	शशि बाला
74.	लिंग, गरीबी और रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 – 12 अगस्त 2022	05	22	शशि बाला
75.	श्रमिकों के विकास के लिए उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम 16 – 18 अगस्त 2022	03	25	मनोज जाटव
76.	मत्स्य कामगारों के नेतृत्व कौशल बढ़ाना 29 अगस्त – 02 सितम्बर 2022	05	12	रम्य रंजन पटेल
77.	लिंग, श्रम कानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य; 30 अगस्त – 02 सितम्बर 2022	04	23	एलीना सामंतराय
78.	अनौपचारिकता, कार्य के नए रूप और सामाजिक संरक्षण 05 – 09 सितम्बर 2022	05	12	रूमा घोष
79.	हेड–लोड/पल्लेदारों और अन्य असुरक्षित श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 12–16 सितंबर, 2022	05	48	मनोज जाटव
80.	निर्माण श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 05 – 08 सितम्बर 2022	04	17	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
81.	समावेशी विकास के लिए ग्रामीण रोजगार के अवसर 12–16 सितंबर 2022	05	30	रम्य रंजन पटेल
82.	लिंग, उत्कृष्ट श्रम और सामाजिक संरक्षण 19 – 23 सितंबर 2022	05	23	रूमा घोष
83.	ट्रेड यूनियन/सिविल सोसायटी कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (हाइब्रिड) 06 – 07 अक्तूबर 2022	02	50	शशि बाला
84.	बीड़ी श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम 17 – 19 अक्तूबर 2022	03	35	मनोज जाटव
85.	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला कामगारों के लिए कौशल विकास कार्यनीतियाँ विकसित करना 31 अक्तूबर – 04 नवम्बर 2022	05	31	शशि बाला
86.	सामाजिक सुरक्षा के विशेष संदर्भ में ट्रेड यूनियनों/ सिविल सोसायटी संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 12 – 14 अक्तूबर 2022	03	46	परामर्शदाता (कार्यक्रम)
87.	युवा रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 – 20 अक्तूबर 2022	02	16	पी. अमिताभ खुंटिआ
88.	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में ट्रेड यूनियनों/सिविल सोसायटी संगठनों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 27 – 28 अक्तूबर 2022	02	26	परामर्शदाता (कार्यक्रम)
89.	ट्रेड यूनियनों/सिविल सोसायटी संगठनों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ऑनलाइन) 03 – 04 नवम्बर 2022	02	23	एम. एम. रहमान
90.	सार्वजनिक नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए श्रम बाजार सूचना पर कार्यशाला 05 – 09 दिसम्बर 2022	05	34	धन्या एम. बी.
91.	लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन (बीएमएस) 12 – 16 दिसम्बर 2022	05	22	शशि बाला
92.	सतत विकास के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम 19 – 23 दिसम्बर 2022	05	17	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
93.	श्रम और विकास संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अभिसरण और साझेदारी 12 – 16 दिसम्बर 2022	05	15	पी. अमिताभ खुंटिआ
94.	श्रम संहिताओं का प्रभाव और आईटी क्षमता निर्माण, टीयूसीसी 12 – 14 दिसम्बर 2022	05	30	एम. एम. रहमान
95.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 – 23 दिसम्बर 2022	05	50	शशि बाला
96.	लिंग और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 – 23 दिसम्बर 2022	05	17	शशि बाला
97.	सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम 28 – 30 दिसम्बर 2022	03	50	एम. एम. रहमान
98.	अनौपचारिक श्रम के लिए पूर्व शिक्षण की पहचान और इसके निहितार्थ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 – 30 दिसम्बर 2022	02	85	मनोज जाटव
99.	श्रम एवं विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 – 12 जनवरी 2023	03	38	पी. अमिताभ खुंटिआ
100	मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा संहिता पर ऑनलाइन क्षमता विकास कार्यक्रम 11 – 13 जनवरी 2022	03	47	संजय उपाध्याय
101	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 – 27 जनवरी 2022	05	32	शशि बाला
102	युवा रोजगार कौशल की क्षमता बढ़ाना 23 – 27 जनवरी 2023	05	20	धन्या एम. बी.
103	श्रम सप्ताह पोषण पंचायतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम 01 – 03 फरवरी 2023	03	22	शशि बाला
104	उभरते श्रम बाजार के मुद्दे और रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ 06 – 10 फरवरी 2023	05	09	धन्या एम. बी.
105	युवा रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 07 – 09 फरवरी 2023	03	19	पी. अमिताभ खुंटिआ

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
106	ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (बीएमएस) 13 – 17 फरवरी 2023	05	30	एम. एम. रहमान
107	मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा संहिता पर क्षमता विकास कार्यक्रम (बीएमएस) 13 – 17 फरवरी 2023	05	32	एम. एम. रहमान
108	असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षाः अनूठी प्रथाएँ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 – 24 फरवरी 2023	02	34	मनोज जाटव
109	ग्रामीण शिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 फरवरी – 03 मार्च 2023	05	37	शशि बाला
110	लिंग, कार्य और विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला 06 – 07 मार्च 2023	02	31	पी. अमिताभ खुंटिआ
111	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (ऑनलाइन) 09 – 10 मार्च 2023	02	50	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
112	असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (ऑनलाइन) 14 – 15 मार्च 2023	02	25	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
113	निर्माण श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 13 – 17 मार्च 2023	05	15	संजय उपाध्याय
114	रोजगार में लैंगिक मुद्दों को मुख्यधारा में लाना 20 – 24 मार्च 2023	05	14	शशि बाला
115	कौशल, प्रौद्योगिकी और कार्य के भविष्य पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 28 – 29 मार्च 2023	02	12	पी. अमिताभ खुंटिआ
116	घरेलू और निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी (टीयूसीसी) 27 – 29 मार्च 2023	03	27	एम. एम. रहमान
117	श्रम बाजार और रोजगार के अवसरों को समझना 27 – 31 मार्च 2023	05	22	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलपी)				
118	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन पर संवेदीकरण कार्यक्रम 26 – 28 अप्रैल 2022	03	49	हेलन आर. सेकर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
119	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर अभिविन्यास कार्यक्रम 26 – 28 जुलाई 2022	03	36	हेलन आर. सेकर
120	उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम 20 – 22 सितम्बर 2022	03	17	हेलन आर. सेकर
121	कानूनी सेवाएं सुनिश्चित करने और बचाये गये बाल श्रमिकों/बंधुआ मजदूरों/तस्करी वाले मजदूरों के प्रभावी पुनर्वास पर अभिविन्यास कार्यक्रम 18 – 20 अक्तूबर 2022	03	36	हेलन आर. सेकर
122	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 22 – 24 नवम्बर 2022	03	51	हेलन आर. सेकर
123	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 06 – 08 दिसम्बर 2022	03	88	हेलन आर. सेकर
124	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 10 – 12 जनवरी 2023	03	64	हेलन आर. सेकर
125	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास और अपराधियों के अभियोजन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम; 01 – 03 फरवरी 2023	03	61	मनोज जाटव
126	बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के पहचान, बचाव, पुनर्वास पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम; 01 – 03 फरवरी 2023	03	44	मनोज जाटव
127	बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर ऑनलाइन संवेदीकरण कार्यक्रम 20 – 24 मार्च 2023	03	203	हेलन आर. सेकर

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम				
128	श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा और संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 नवंबर – 16 दिसंबर 2022	18	27	रूमा घोष
129	अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना 16 जनवरी – 03 फरवरी 2023	19	26	एलीना सामंतराय
अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)				
130	अनुसंधान पद्धति और डेटा विश्लेषण 17 – 20 मई 2022	04	18	शशि बाला
131	श्रम अध्ययनों में अनुसंधान पद्धतियाँ 05 – 09 सितम्बर 2022	05	67	पी. अमिताभ खुंटिआ
132	लिंग, गरीबी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान पद्धतियां, 17 – 21 अक्तूबर 2022	05	14	धन्या एम. बी.
133	श्रम में लैंगिक मुद्दों पर अनुसंधान पद्धतियाँ 14 – 25 नवम्बर 2022	12	29	एलीना सामंतराय
134	श्रम अनुसंधान में गुणात्मक पद्धतियाँ पर पाठ्यक्रम 23 जनवरी – 03 फरवरी 2022	12	17	रूमा घोष
135	भारत में श्रम, रोजगार और सतत विकास लक्ष्य 06–10 मार्च 2023	05	21	धन्या एम. बी.
उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए कार्यक्रम (एनईपी)				
136	नेतृत्व विकास कार्यक्रम 18 – 22 अप्रैल 2022	05	22	शशि बाला
137	श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व 30 मई – 03 जून 2022	05	39	संजय उपाध्याय
138	सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा 18 – 22 जुलाई 2022	05	22	धन्या एम. बी.
139	उत्तर पूर्वी राज्यों के चाय बागान और बांस श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 22 – 23 जुलाई 2022	02	20	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
140	उत्तर पूर्वी राज्यों के चाय बागान और बांस श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 29 – 30 जुलाई 2022	02	25	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
141	सामाजिक संरक्षण के साधन के तौर पर विकास योजनाएं (एनईपी) 25 – 29 जुलाई 2022	05	25	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
142	नई श्रम संहिताओं एवं नियमों को समझना 22 – 26 अगस्त 2022	05	26	शशि बाला
143	श्रम बाजार और रोजगार अवसरों को समझना (एनआईसीएस के लिए वीवीजीएनएलआई में) 29 अगस्त – 02 सितम्बर 2022	05	33	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
144	उत्तर पूर्वी राज्यों की ट्रेड यूनियनों एवं एनजीओ के लिए श्रम संहिताओं के मूलभूत तत्व 26 – 30 सितम्बर 2022	05	18	संजय उपाध्याय
145	श्रम में लैंगिक मुद्देः एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण 28 नवम्बर – 02 दिसम्बर 2022	05	30	शशि बाला
सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीटीपी)				
146	कृषि श्रमिकों के लिए श्रम संहिताओं पर ऑनलाइन सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वीवीजीएनएलआई–मैनेज) 14 – 17 जून, 2022	04	18	शशि बाला
147	नई श्रम संहिताओं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम पर राष्ट्रीय कार्यशाला (केआईएलई, केरल) 27 – 28 जून 2022	02	48	धन्या एम. बी.
148	भारत में ग्रामीण श्रमिकों का प्रवासनः कर्नाटक में महिला प्रवासियों का एक मामला पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम; 26 – 30 जुलाई 2022	05	45	शशि बाला
149	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की क्षमता बढ़ाना (पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय) 16 – 18 अगस्त 2022	03	40	शशि बाला
150	श्रम कानूनों और प्रवासन पर क्षमता निर्माण (मैनेज) 13 – 17 सितम्बर 2022	05	48	शशि बाला
151	औद्योगिक संबंधों और नए श्रम संहिताओं पर क्षमता निर्माण पर ऑनलाइन सहयोगात्मक प्रशिक्षण (सिक्किम विश्वविद्यालय) 19 – 23 सितम्बर 2022	05	52	शशि बाला
152	ग्रामीण भारत में महिलाओं के कौशल विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (वीवीजीएनएलआई, नौएडा– गाँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, तमिलनाडु); 27 – 29 सितम्बर 2022	03	40	शशि बाला

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
153	पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा (आईजीएनटीयू, इम्फाल) 07 – 11 नवम्बर 2022	05	100	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
154	मजूदरी संहिता, 2019 पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एमजीएलआई, पश्चिम बंगाल) 03 – 04 नवम्बर 2022	04	28	संजय उपाध्याय
155	लिंग, श्रम संहिताओं और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों पर उभरते परिप्रेक्ष्य (एसएलआई, ओडिशा) 27 – 29 दिसम्बर 2022	03	32	एलीना सामंतराय
156	श्रम अनुसंधान में डेटा प्रबंधन और विश्लेषणात्मक लेखन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीएसडी, हैदराबाद) 09 – 13 जनवरी 2023	05	149	मनोज जाटव
157	रोजगार कार्मिकों के लिए श्रम बाजार और रोजगार बाजार सूचना पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनआईसीएस के सहयोग से 23 – 25 जनवरी 2023	03	27	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
158	रोजगार कार्मिकों के लिए श्रम बाजार और रोजगार बाजार सूचना पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, एनआईसीएस के सहयोग से 15 – 17 मार्च 2023	03	30	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
159	नई श्रम संहिताओं पर ऑनलाइन सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमः एक अवलोकन, एमआईएलएस के साथ 29 – 30 मार्च 2023	02	53	रूमा घोष
आंतरिक कार्यक्रम (आईएचपी)				
160	श्रम प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतः उत्तर प्रदेश श्रम विभाग के एएलसी के लिए 18 – 29 अप्रैल 2022	12	30	अनूप सतपथी
161	उन्नत संगठन विशिष्ट पाठ्यक्रम (ओएसपी) सचिवीय प्रभावशीलता पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः क्षमता निर्माण कार्यक्रम – कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) और निजी सचिव (पीएस) के लिए 30 मई – 10 जून 2022	12	66	रूमा घोष

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	पाठ्यक्रम निदेशक
162	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के लिए नेतृत्व विकास 13 — 18 जून 2022	06	32	एलीना सामंतराय
163	श्रम सुधार और नई श्रम संहिताएँ (असम सरकार) 19 — 20 सितम्बर 2022	02	80	संजय उपाध्याय
164	श्रम संहिताओं और नियमों के मूलभूत तत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 — 14 अक्तूबर 2022	05	32	मनोज जाटव
165	खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के निदेशकों/उपनिदेशकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम 21 — 25 नवम्बर 2022	05	29	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
166	राजभाषा संवर्ग के अधिकारियों के पदोन्नति पूर्व अनिवार्य प्रशिक्षण (ईएसआईसी) 05 — 13 दिसम्बर 2022	10	15	शशि बाला
167	प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीजीएमएस) 19 दिसंबर 2022 — 13 जनवरी 2023	28	18	शशि बाला
168	श्रम विभाग, कर्नाटक राज्य के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना 26 दिसंबर 2022 — 06 जनवरी 2023	14	19	संजय उपाध्याय
169	'सरकार और पीएसयू में एचआरएम में सर्वोत्तम प्रथाएँ' पर एक—दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 जनवरी 2023	01	43	शशि बाला
170	डीजीएमएस अधिकारियों के लिए सॉफ्ट कौशलों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 — 24 फरवरी 2023	05	29	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
171	स्थापना, प्रशासन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीजीएमएस) 13 — 24 मार्च 2023	12	33	शशि बाला
		797	5388	

ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (01.04.2022 – 31.03.2023)

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रम के दिनों की सं.	सहभागियों की संख्या
1.	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसपीएल)	06	20	153
2.	श्रम प्रशासन कार्यक्रम (एलएपी)	24	95	816
3.	औद्योगिक संबंध कार्यक्रम (आईआरपी)	20	90	339
4.	क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी)	67	274	1816
5.	अनुसंधान पद्धति कार्यक्रम (आरएमपी)	06	43	166
6.	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईटीपी)	02	38	53
7.	बाल श्रम कार्यक्रम (सीएलबीपी)	11	33	681
8.	पूर्वोत्तर कार्यक्रम (एनईपी)	10	44	260
9.	सहयोगात्मक कार्यक्रम (सीटीपी)	13	49	678
10.	आंतरिक कार्यक्रम (आईएचटीपी)	12	112	426
	जोड़	**171**	**798**	**5388**

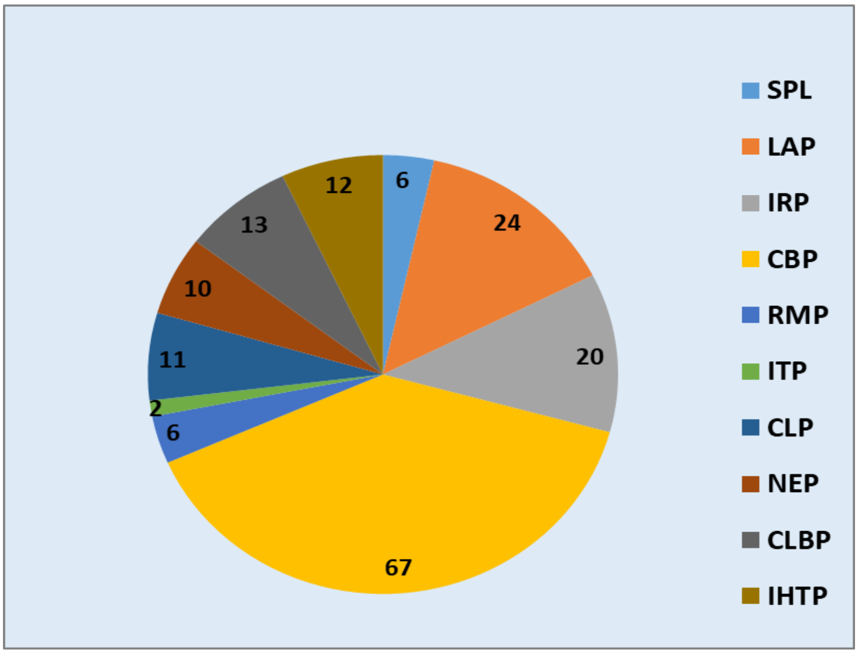

वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं/वेबिनार की सूची

क्रम सं.	कार्यशाला/वेबिनार	दिनों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वक
1.	जीसस एंड मैरी कॉलेज के साथ 'एमएसएमई क्षेत्र और गृह–आधारित रोजगार में महिला श्रमिक' पर ऑनलाइन सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यशाला 08–09 जून 2022	02	80	एलीना सामंतराय
2.	'श्रम और रोजगार मंत्रालय के संगठनों द्वारा ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाएं' पर ऑनलाइन कार्यशाला, 11 जून 2022	01	12	धन्या एम. बी.
3.	'डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' पर ऑनलाइन कार्यशाला 28 जून 2022	01	30	शशि बाला
4.	दून विश्वविद्यालय, देहरादून में 'उत्तराखंड के विकास के अनुभवः उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और आगे की राह' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 23–24 सितंबर 2022	02	350	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
5.	'महिला श्रम बल भागीदारीः चुनौतियाँ और समाधान', वीवीजीएनएलआई, नौएडा और जीआईएम, गोवा द्वारा आयोजित, 02 नवंबर 2022	01	120	एलीना सामंतराय
6.	'कार्य का भविष्यः परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करना' पर ऑनलाइन कार्यशाला 13–14 दिसंबर 2022	02	34	धन्या एम. बी.
7.	एसएलआई के सहयोग से तनाव प्रबंधन पर वेबिनार, 19 जनवरी 2023	01	30	शशि बाला
8.	एसएलआई के सहयोग से 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने की क्षमता बढ़ाना' पर वेबिनार 20 जनवरी 2023	01	35	शशि बाला
9.	नॉर्थ ईस्ट सेल, डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ 'उत्तर पूर्व भारत में युवा और रोजगार' पर सहयोगात्मक कार्यशाला 25 जनवरी 2023	01	45	ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
10.	श्रम बल डेटा पर कार्यशाला 27 जनवरी 2023	01	35	मनोज जाटव
11.	भारत में लिंग, अवैतनिक कार्य और देखभालरू परिवर्तन और नीति, 17 फरवरी 2023	01	40	एलीना सामंतराय

क्रम सं.	कार्यशाला / वेबिनार	दिनों की सं.	प्रतिभागियों की संख्या	समन्वक
12.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका' पर अर्ध–दिवसीय कार्यशाला, 07 मार्च 2023	01	70	एलीना सामंतराय / बी. एस. रावत
13.	कार्य की बदलती दुनिया में महिलाएँ: मुद्दे और संभावनाएँ, 07 मार्च 2023	01	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
14.	'आधिकारिक सांख्यिकी और संबंधित पद्धति' (एनएसएसटीए) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आईएसईसी प्रतिभागियों के लिए 'श्रम और रोजगार के मुद्दों पर एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला', 15 मार्च 2023	01	16	एलीना सामंतराय
15.	'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' पर कार्यशाला, 22 मार्च 2023	01	35	शशि बाला
16.	'किसी को भी पीछे न छोड़ना: एक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर' विषय पर कार्यशाला, 27–28 मार्च 2023	02	18	रूमा घोष
17.	'भारतीय श्रम बाजार में नई श्रम संहिताओं के प्रभाव का अन्वेषण' पर राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यशाला, (वीवीजीएनएलआई, नौएडा – लोयोला कॉलेज, चेन्नई), 27–28 मार्च 2023	02	143	शशि बाला
	योग	**22**	**1128**	
	वि□श कार्यक्रम			
18.	'ओएसएच पर वैश्विक संगोष्ठी', वीवीजीएनएल आई, नौएडा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, द्वारा आयोजित, 01–02 नवंबर 2022	02	100	एलीना सामंतराय
19.	जी20 रोजगार कार्य समूह की बैठकों के लिए संपर्क अधिकारियों का प्रशिक्षण, 20 जनवरी 2023	01	50	
20.	आईएलओ–डीटीएनबीडब्ल्युईडी, दो–दिवसीय संयुक्त कार्यशाला, 27–28 मार्च 2023	02	35	
	योग	**05**	**185**	
	अध्ययन दौरे			
21.	एशियन लॉ कॉलेज, नोएडा के छात्रों का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम, 30 अगस्त, 2022	01	35	पी. अमिताभ खुंटिआ
22.	सामाजिक कार्य विभाग, लोयोला कॉलेज, चेन्नई 09 दिसम्बर 2022	01	20	शशि बाला
	योग	**02**	**55**	

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र

(एनआरडीआरसीएलआई)

एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र (एनआरडीआरसीएलआई) देश में श्रम अध्ययन के क्षेत्र में एक अत्यंत विख्यात पुस्तकालय-सह-प्रलेखन केंद्र है। केंद्र का नाम संस्थान के संस्थापक डीन स्वर्गीय (श्री) नीतिश आर. डे की स्मृति में 01 जुलाई 1999 को संस्थान के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बदलकर एन. आर. डे श्रम सूचना संसाधन केंद्र रखा गया था। केंद्र पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और अपने उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है। संस्थान को राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के साथ पंजीकृत किया गया है और यह डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क), नई दिल्ली का संस्थागत सदस्य बन गया है।

1. भौतिक सम्पदा

पुस्तकें: अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान पुस्तकालय में 34 किताबें/रिपोर्ट्स/सजिल्द पत्र-पत्रिकाएं खरीदी गयीं जिसके कारण पुस्तकालय में इन पुस्तकों/रिपोर्टों/सजिल्द पत्र-पत्रिकाओं की संख्या **65,675** तक पहुंच गई। इस अवधि के दौरान पुस्तकालय ने नियमित रूप से **108** व्यावसायिक पत्र–पत्रिकाओं, मैंगजीनों और समाचार पत्रों का मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूपों में अभिदान किया। यह ज्ञान केंद्र उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: सूचना का चयनात्मक प्रसार (एसडीआई); वर्तमान जागरूकता सेवा; ग्रंथ विज्ञान सेवा; ऑनलाइन खोज; पत्रिकाओं का लेख सूचीकरण; समाचार पत्र कतरन सेवा; माइक्रो–फिच सर्च और मुद्रण; रेप्रोग्राफिक सेवा; सीडी–रोम सर्च; दृश्य–श्रव्य सेवा; वर्तमान विषय-वस्तु सेवा; आर्टिकल अलर्ट सेवा; लेंडिंग सेवा; और अंतर–पुस्तकालय ऋण सेवा।

2. उत्पाद

पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए निम्नलिखित उत्पाद मुद्रित रूप में उपलब्ध करता है:

- आवधिक साहित्य की मार्गदर्शिका: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो 120 से भी अधिक चुनिंदा पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे लेखों की संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- करेंट जागरूकता बुलेटिन: तिमाही अंत:संस्थान प्रकाशन, जो एनआरडीआरसीएलआई में श्रम सूचना केंद्र में संग्रहीत संदर्भ सूचना प्रदान करता है।
- आर्टिकल अलर्ट: साप्ताहिक प्रकाशन, जिसमें अभिदत्त पत्रिकाओं/मैगनीजों में छपे महत्त्वपूर्ण लेखों की संदर्भ जानकारी प्रदान की जाती है।
- वर्तमान विषय-वस्तु सेवा: यह मासिक प्रकाशन है। यह अंशदान दिए गए जर्नलों के विषय-वस्तु वाले पृष्ठों का संकलन है।
- आर्टिकल अलर्ट सेवा - यह एक साप्ताहिक सेवा है, जिसे जनता की पहुंच के लिए संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है।
- ई–न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्विस – श्रम और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी प्रमुख समाचारों की स्कैन कॉपी की एक साप्ताहिक सेवा।

3. विशिष्टीकृत संसाधन केंद्र का रखरखाव

पुस्तकालय भवन में निम्नलिखित दो विशिष्टीकृत संसाधन केद्रों का सृजन किया गया है और संदर्भ सेवाओं के लिए उनका रखरखाव किया जाता है:

- राष्ट्रीय बाल श्रम संसाधन केंद्र
- राष्ट्रीय लैंगिक अध्ययन संसाधन केंद्र

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए कानूनी उपबंधों तथा विभिन्न संवैधानिक उपबंधों को लागू करने के लिए वर्ष 1983 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था और बाद में दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक काम में राजभाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम और नियमित तथा सामयिक रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों के माध्यम से परिणामों का प्रचार करने के संबंध में संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ का गठन किया गया।

राजभषा कार्यान्वयन समिति

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति इस वर्ष के दौरान भी काम करती रही। समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्रमशः 10.06.2022, 29.09.2022, 27.12.2022 और 17.03.2023 को नियमित रूप से आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए और तदनुसार लागू किए गए।

हिन्दी कार्यशाला

संस्थान ने अनुवाद पर आश्रित रहने के बजाए हिंदी में मूल रूप से काम करने में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यशालाएं 10.06.2022, 26.08.2022, 11.11.2022 और 24.03.2023 को आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पणी और आलेखन तैयार करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशालाओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को, भारत सरकार की राजभाषा नीति, विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों और अपने प्रतिदिन के काम में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के बारे में भी बताया गया।

तिमाही रिपोर्ट

सभी चारों तिमाहियों, अर्थात 31 मार्च 2022, 30 जून 2022, 30 सितम्बर 2022 और 31 दिसम्बर 2022 को समाप्त तिमाहियों से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों को नियमित आधार पर राजभाषा विभाग की वेबसाइट में अपलोड किया गया था।

हिंदी पखवाड़ा

संस्थान में हिंदी पखवाड़ा 14 – 29 सितम्बर 2022 के दौरान आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें निबंध एवं पत्र लेखन, सुलेख एवं श्रुतलेख,

टिप्पण एवं आलेखन, हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली, हिंदी काव्य पाठ, त्वरित भाषण, और राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते। 30 सितंबर 2022 को संस्थान के महानिदेशक महोदय की अपरिहार्य अनुपस्थिति में समापन सत्र को संस्थान की वरिष्ठतम संकाय सदस्य डॉ. हेलन आर. सेकर, सीनियर फेलो ने संबोधित किया और उसके बाद उन्होंने पुरस्कार वितरित किए।

राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार –

संस्थान को वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा द्वारा 01 फरवरी 2023 को नवोदय विद्यालय समिति, सैक्टर–62, नौएडा में आयोजित नराकास (कार्यालय), नौएडा की 44वीं बैठक में क्रमशः तृतीय पुरस्कार एवं प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

वर्ष 2020–21 के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए डॉ. संजय उपाध्याय, सीनियर फेलो,
श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री बीरेन्द्र सिंह रावत, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्वाधान में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के लिए 16 दिसंबर 2022 को हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नराकास (कार्यालय), नौएडा के 16 सदस्य कार्यालयों के 36 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

प्रकाशन

विभिन्न श्रम संबंधी सूचनाओं का सामान्य तौर पर और संस्थान की अनुसंधान संबंधी उपलब्धियों का खासतौर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए वीवीजीएनएलआई का एक गतिशील प्रकाशन कार्यक्रम है। इस कार्य को पूरा करने की दृष्टि से संस्थान जर्नल, सामयिक प्रकाशन, पुस्तकें और रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

जर्नल/पत्र–पत्रिकाएं

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है। यह पत्रिका सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य परीक्षणों के माध्यम से श्रम के विभिन्न पहलुओं की समझ को बढ़ाने के प्रति समर्पित है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर जोर देने के साथ श्रम एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अकादमिक स्तर के लेख और विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में अनुसंधान नोट एवं पुस्तक समीक्षा प्रकाशित किए जाते हैं। यह जर्नल श्रम संबंधी अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले प्रेक्टिशनरों और विद्वानों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

अवार्ड्स डाइजेस्ट

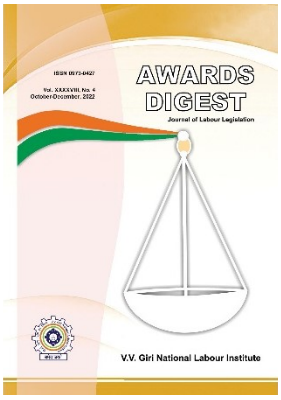

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय दिए जाते हैं। इसमें लेख, श्रम कानूनों के संशोधन और अन्य संबंधित सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के माध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

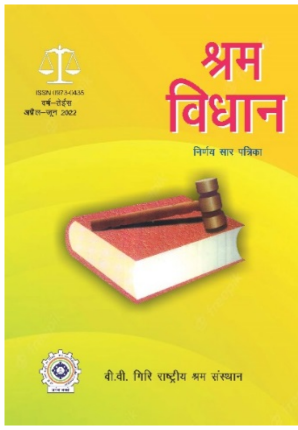

श्रम विधान एक तिमाही हिंदी पत्रिका है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में अद्यतन निर्णीत कानूनी मामलों का सार दिया जाता है। इस पत्रिका में, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तथा केंद्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय रिपोर्ट किए जाते हैं। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं वर्करों, श्रम कानूनों के सलाहकारों, शिक्षण संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रेक्टिस करने वाले वकीलों और श्रम कानूनों के छात्रों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

इंद्रधनुष

संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला यह एक द्विमासिक न्यूजलेटर है जिसमें संस्थान की अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, कार्यशाला, सेमिनार आदि विविध गतिविधियों की जानकारी दी जाती है।

इस न्यूजलेटर में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न घटनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इसमें संस्थान के दौरों पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोफाईल के साथ ही महानिदेशक और अधिकारियों संकाय सदस्यों की पेशेवर व्यस्तताओं पर भी प्रकाश डाला जाता है।

चाइल्ड होप

चाइल्ड होप संस्थान का तिमाही न्यूजलेटर है। यह समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाकर, इस दिशा में अपने प्रयासों को गति प्रदान करते हुए बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक मुख्य मार्ग तैयार करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

श्रम संगम

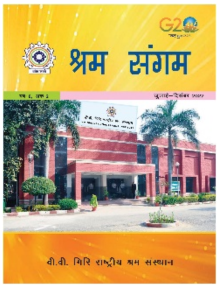

श्रम संगम एक छमाही राजभाषा पत्रिका है जिसका प्रकाशन हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने की ओर कर्मचारियों को उन्मुख करने तथा इसके प्रसार में उनकी सृजनशीलता का उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें कर्मचारियों द्वारा रचित कविताओं, निबंधों एवं कहानियों के अलावा कला एवं संस्कृति, ज्ञान–विज्ञान, समसामयिक घटनाओं, खेलकूद आदि से संबंधित ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक लेखों और महापुरुषों/साहित्यकारों की जीवनी को शामिल किया जाता है।

एन.एल.आई. अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला

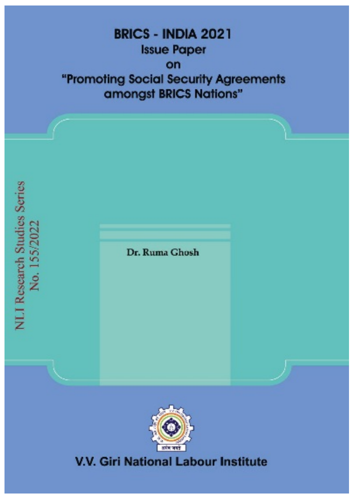

संस्थान अपने अनुसंधानिक निष्कर्षों को प्रसारित करने के एनएलआई अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला शीर्षक वाली एक श्रृंखला का प्रकाशन भी कर रहा है। अभी तक संस्थान ने इस श्रृंखला में 155 अनुसंधान निष्कर्षों को प्रकाशित किया है। 2021–22 में प्रकाशित अनुसंधान अध्ययन में निम्न शामिल हैं:

147/2022 – दि इनविजिबिलिटी ऑफ वीमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर: ए केस ऑफ उत्तर प्रदेश (टाउन) – डॉ. शशि बाला

148/2022 – इमरजिंग ट्रेंड्स ऑफ जेंडर इन एग्रीकल्चर: ए केस ऑफ उत्तर प्रदेश (विलेज) – डॉ. शशि बाला

149/2022 सलेक्ट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेज ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन्स इन इंडिया – डॉ. संजय उपाध्याय

150/2022 मॉनिटरिंग दि कंट्रिब्यूशन ऑफ प्रॉडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इमरजिंग चैलेंजिज इन अर्बन एग्रीकल्चर – डॉ. शशि बाला

151/2022 डिकोडिंग एग्रेरियन क्राइसिसः अ स्टडी ऑफ प्रॉडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इमरजिंग चैलेंजिज इन रूरल एग्रीकल्चर – डॉ. शशि बाला

152/2022 ई–रूरल कैंपः एम्पावरिंग वीमेन इन दि रूरल इकोनोमी थ्रू लेबर कोड्स, 17–19 अगस्त 2021 – डॉ. शशि बाला

153/2022 ई–रूरल कैंपः स्ट्रेन्थनिंग लीडरशिप स्किल्स ऑफ दि एडवोकेट्स ऑफ वीमेन लेबर ऑन लेबर कोड्स, 01–03 सितंबर 2021 – डॉ. शशि बाला

154/2022 वीमेन्स पेड एंड अनपेड वर्कः इनसाइट्स फ्रॉम दि टाइम यूज सर्वे एंड मेथोडोलोजिकल इश्यूज – डॉ. शशि बाला

155/2022 ब्रिक्स – इंडिया 2021ः इश्यू पेपर ऑन प्रमोटिंग सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स अमंग्स्ट बिक्स नेशंस – डॉ. रूमा घोष

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला

वीवीजीएनएलआई मामला अध्ययन श्रृंखला में वीवीजीएनएलआई के संकाय सदस्यों द्वारा विकसित श्रम और संबंधित मुद्दों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मामला अध्ययन शामिल हैं।

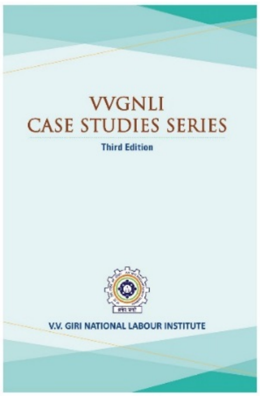

021/2023 प्रभावी सुलह में धैर्य और दृढ़ता की भूमिका – *डॉ. संजय उपाध्याय*

022/2023 वर्क फ्रॉम होमः एक मामला अध्ययन – *डॉ. शशि बाला*

023/2023 कोविड–19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन की दिशा में सरकारी और गैर–सरकारी कार्यकर्ताओं की भूमिकाः पहल, हस्तक्षेप और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना – *डॉ. हेलन आर. सेकर*

024/2023 नई मजदूरी संहिता के बारे में जागरूकता पर केस अध्ययन – *डॉ. धन्या एम. बी.*

025/2023 समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधनः क्षेत्र दौरों के दो मामलों से अंतर्दृष्टि – *प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ*

समसामयिक प्रकाशन

- सामयिक श्रमिक मुद्देः कुछ चयनित आलेख
- इवोल्यूशंस ऑफ ट्रेड यूनियन्स इन इंडिया

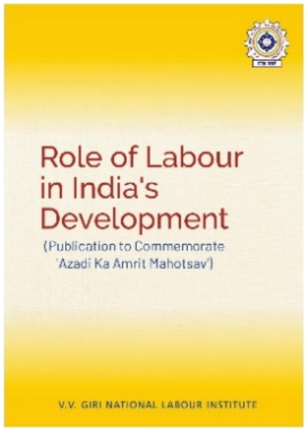

अधिक जानकारी तथा ब्यौरे के लिए कृपया संपर्क करें :

डॉ. रूमा घोष

सीनियर फेलो एवं प्रकाशन प्रभारी
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर 24, नौएडा–201301

पक्ष समर्थन और प्रसार

वंचित लोगों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करने हेतु शुरु किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक सूचना का पक्ष समर्थन और प्रसार करने को प्रमुख कार्यनीति समझा जाता है। ऐसे पक्ष समर्थन एवं प्रसार कार्यकलापों का हिस्सा बनने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय एवं संगठन समय–समय पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान से अनुरोध करते हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान संस्थान ने लोगों के कल्याण को बढ़ाने के लिए हाल की नवीन सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए तीन मेगा आयोजनों नामतः 'राइज इन उत्तराखंड 2022', देहरादून, उत्तराखंड, 07–09 जुलाई 2022, 'गरवी गुजरात 2022', मेहसाणा, गुजरात, 08–10 जुलाई 2022, और 'जयपुर एक्सपो 2022', जयपुर, राजस्थान, 22–24 सितंबर 2022 में भाग लिया।

इस तरह के कार्यकलापों में भाग लेते हुए संस्थान मुख्य रूप से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हाल की नवीन सरकारी स्कीमों एवं हस्तक्षेपों के प्रसार और अपने प्रशिक्षण एवं अन्य व्यावसायिक कार्यकलापों से संबंधित जानकारी का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे कि रोजगार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम, बाल श्रम, लिंग एवं कार्य, ग्रामीण एवं कृषि श्रमिक आदि पर तकनीकी जानकारी भी प्रदान करता है। संस्थान इस तरह के आयोजनों में अपने सभी प्रमुख प्रकाशनों को भी प्रदर्शित करता है।

- **राइज इन उत्तराखंड 2022**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 07–09 जुलाई 2022 के दौरान देहरादून में आयोजित इवेंट 'राइज इन उत्तराखंड 2022' में दूसरा पुरस्कार जीता। वीवीजीएनएलआई की गतिविधियां अर्थात् अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रकाशन और उत्तराखंड के संदर्भ में की गई गतिविधियों के संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) की पहल को प्रदर्शित और प्रसारित किया गया। श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड और श्री रामदास अठावले, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने उद्घाटन दिवस पर कार्यक्रम और वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। श्री सतपाल महाराज, माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार ने समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पुरस्कार वितरित किये। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, परास्नातक, नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों; बी. एड. छात्रों, अधिकारियों मीडियाकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता सहित लगभग 10.000 लोगों ने इस कार्यक्रम का दौरा किया। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो और वीवीजीएनएलआई स्टॉल के कार्यक्रम निदेशक ने वीवीजीएनएलआई की गतिविधियों, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपायों, श्रम सुधार और राष्ट्रीय

करियर सेवा पोर्टल आदि सहित एमओएलई की पहल पर ज्ञान प्रदान किया और बाल श्रम को समाप्त करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, टीम वर्क, लैंगिक समानता, कार्य का भविष्य, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ाना से अवगत कराया। वीवीजीएनएलआई टीम में संस्थान से श्री ए. के. श्रीवास्तव एवं श्री सतीश कुमार तथा सुश्री कनक रौथान एवं श्रीमती रंजना, युवा पेशेवर और वीवीजीएनएलआई के पूर्व छात्र जो उत्तराखंड से हैं, शामिल थे।

- **गरवी गुजरात, 2022**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने सरकार की योजनाओं, नीतियों और पहलों के बारे में युवाओं और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 'गारवी गुजरात, 2022' नामक प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसका आयोजन 8–10 जुलाई, 2022 के दौरान मैसर्स अचीवर्स फाउंडेशन द्वारा मेहसाणा, गुजरात में किया गया था। श्री भूपेन्द्र रजनीकांत पटेल, माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात ने 08 जुलाई 2022 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और वीवीजीएनएलआई स्टॉल का दौरा किया। श्री परषोत्तम रूपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भी हमारे स्टॉल का दौरा किया। प्रदर्शनी में संस्थान की गतिविधियाँ अर्थात अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा, प्रकाशन और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की प्रमुख पहलों को भी प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में केंद्र सरकार के लगभग 60 मंत्रालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों ने भाग लिया। संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। प्रदर्शनी में संस्थान का प्रतिनिधित्व श्री हर्ष सिंह रावत, प्रशासनिक अधिकारी, श्री राजेश कुमार कर्ण, स्टेनो सहायक, ग्रेड II और श्री राजबीर सिंह, एमटीएस ने किया।

- **जयपुर एक्सपो 2022**

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने 22–24 सितंबर 2022 के दौरान जयपुर में परिचित फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम जयपुर एक्सपो–2022 में भाग लिया और विजेता (प्रथम पुरस्कार) बना। इस आयोजन में लगभग 40 राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों/केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकार के कुछ संगठनों ने भाग लिया। वीवीजीएनएलआई की गतिविधियां अर्थात् अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रकाशन और राजस्थान के संदर्भ में की गई गतिविधियों के संदर्भ में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) की पहल को प्रदर्शित और प्रसारित किया गया। श्री पी. अमिताभ खुंटिआ, एसोसिएट फेलो और वीवीजीएनएलआई स्टॉल के कार्यक्रम निदेशक ने युवा रोजगार, उद्यमिता और करियर की संभावनाओं, सॉफ्ट और रोजगार कौशल, जीवन कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्म–विकास, टीम वर्क, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, लैंगिक मुद्दे और पहल, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ और अन्य प्रावधान, असंगठित श्रमिकों के लिए पहल, ई–श्रम पोर्टल, पीएम मानधन योजना, व्यापारियों और स्वरोजगार के लिए पेंशन योजना, ईएसआईसी, ईपीएफओ की पहल, श्रम संहिताओं, समाधान पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल, बाल श्रम को समाप्त करना, पेंसिल पोर्टल, चाइल्ड लाइन, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर, पीएमकेवीवाई, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, एनएसटीआईडब्ल्यू, तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्रीन जॉब्स, कार्य का भविष्य और केंद्र सरकार की अन्य पहल जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, आत्मनिर्भर भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, आरएसईटीआई, स्टार्टअप भारत और स्टैंडअप इंडिया आदि पर ज्ञान प्रदान किया और आगंतुकों को जागरूक किया। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के 6वीं से 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक, नर्सिंग, फार्मेसी, बी.ईडी, कानून, इंजीनियरिंग, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन के छात्रों एवं संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कार्यकताओं, मीडियाकर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आम जनता सहित लगभग 12,000 लोगों ने कार्यक्रम का दौरा किया। इसरो और डीआरडीओ को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला। वीवीजीएनएलआई की टीम में संस्थान से श्री राजेश कर्ण (स्टेनो ग्रेड– II) एवं श्री राजबीर सिंह, एमटीएस और राजस्थान से युवा पेशेवर एवं वीवीजीएनएलआई की पूर्व छात्रा सुश्री रौनक महेश्वरी शामिल थे।

संस्थान के ई–गवर्नेंस एवं डिजिटल अवसंरचना का उन्नयन

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) तथा डिजिटल इंडिया की अवसंरचना को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार संस्थान ने अपने ई–गवर्नेंस तथा डिजिटल अवसंरचना के उन्नयन एवं स्थायीकरण के लिए कई कदम उठाये हैं। इस संबंध में उठाये गये प्रमुख कदम इस प्रकार हैंः

1. **ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन एवं स्थायीकरणः** कार्यकारी कुशलता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थान ई–ऑफिस प्रणाली का संचालन शुरु करके 'कम कागज प्रयोगकर्ता कार्यालय' बनने की ओर उन्मुख हुआ। एनआईसी के सहयोग से प्रयोगकर्ताओं के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रणाली का स्थायीकरण किया गया तथा इसे टिकाऊ बनाया गया। ऐसा करने से संकाय सदस्यों, अधिकारियों तथा स्टाफ में स्वामित्व की भावना का संचार हुआ तथा अपने दैनिक कार्यों को इस प्रणाली में करने हेतु उनका विश्वास बढ़ा। ई–ऑफिस प्रणाली के अलावा, संस्थान ने ई–ऑफिस प्रणाली के तहत डाक के इलैक्ट्रोनिक प्रबंधन एवं ई–मेल को डायरीकृत करने के लिए स्वचालित केंद्रीय रजिस्ट्री यूनिट (सीआरयू) को भी सफलतापूर्वक स्थायीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस प्रणाली में ई–सर्विस बुक मॉड्यूल शुरु करने के लिए संस्थान को मंत्रालय से अनुमति मिल गई है और संस्थान ने वैयक्तिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीआईएमएस) में अंतरण एवं एकीकरण के लिए अपेक्षित कर्मचारी मास्टर डाटा (ईएमडी) एनआईसी एवं मंत्रालय के आईटी प्रकोष्ठ को भेज दिया है।

2. **नई वेबसाइट का शुभारंभ एवं सुदृढ़ीकरणः** संस्थान ने नई द्विभाषी वेबसाइट http://www.vvgnli.gov.in/ का शुभारंभ किया। नई वेबसाइट विशिष्ट है, इसमें कई नई सुविधाएं हैं और यह उपयोगकर्ताओं के बेहद अनुकूल है। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज में नये फीचर्स जोड़े गये हैं जिनमें विशेषकर महापरिषद एवं कार्यपरिषद के अध्यक्षों के परिचयपत्र हैं, सुरक्षा फीचर्स को मजबूत किया गया है तथा कैप्शन की गई तस्वीरों एवं दृश्यों को अपलोड करके संस्थान के कार्यकलापों के व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है।

3. **परिसर में वाई–फाई एवं निगरानी प्रणाली का शुभारंभः** राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, अतिथि विद्वानों एवं स्टाफ को परिसर में चौबीसों घंटे व्यापक वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा परिसर के अंदर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थान ने वाई–फाई एवं निगरानी परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, सहज एवं निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थानीय एरिया नेटवर्क (लैन), वायरलेस लैन, एडेप्टर, नेटवर्क केंद्र एवं निगरानी कैमरे स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन के साथ संस्थान ने कार्यपरिषद (ईसी) द्वारा दिए गए आदेश को पूरा कर लिया है।

Computer Room in Hostel

कर्मचारियों की संख्या

(31.03.2023 को)

समूह	**संस्वीकृत पद**	**पदस्थ**
महानिदेशक	01	01
संकाय सदस्य	15	11
समूह क	05	03
समूह ख	13	11
समूह ग	24	10
समूह घ	25	16
योग	**83**	**49**

फैकल्टी

संस्थान की फैकल्टी में विविध विषयों, जिनमें अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, श्रम कानून, सांख्यिकी, लोक प्रशासन आदि शामिल हैं, के प्रतिनिधि रखे गए हैं। इस विविधता से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा को अंतर्विषयक आधार मिलता है। फैकल्टी सदस्यों और अधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

श्री अमित निर्मल, आईएसएस, एम.एससी, एम.पी.ए.	महानिदेशक

संस्थान की फैकल्टी

1.	डॉ. संजय उपाध्याय, एल.एल.एम., पीएच.डी .	सीनियर फेलो
2.	डॉ. रूमा घोष, एम.ए., एम.फिल. पीएच.डी.	सीनियर फेलो
3.	डॉ. शशि बाला, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सीनियर फेलो
4.	डॉ. एलीना सामंतराय, एम.फिल., पीएच.डी	फेलो
5.	डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम, एम.ए., एम.फिल.	फेलो
6.	डॉ. एम. बी. धन्या, एम.ए, पीएच.डी.	फेलो
7.	श्री प्रियदर्शन अमिताभ खुंटिआ, एम.ए., एम.फिल.	एसोसिएट फेलो
8.	डॉ. मनोज जाटव, एम.ए., पीएच.डी.	एसोसिएट फेलो

अधिकारी

1.	हर्ष सिंह रावत, एम.बी.ए., एफसीएमए	प्रशासन अधिकारी
2.	वी. के. शर्मा, बी.ए.	सहायक प्रशासन अधिकारी
3.	शैलेश कुमार, एम. कॉम	लेखा अधिकारी

स्टाफ

समूह ख

1.	एस. के. वर्मा	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी
2.	बी. एस. रावत	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
3.	ए. के. श्रीवास्तव	पर्यवेक्षक
4.	गीता अरोड़ा	पर्यवेक्षक
5.	मोनिका गुप्ता	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
6.	प्रवीण पाण्डेय	पर्यवेक्षक
7.	जगत सिंह	पर्यवेक्षक
8.	पिंकी कालड़ा	आशुलिपिक ग्रेड – I
9.	सुधा वोहरा	आशुलिपिक ग्रेड – I
10.	सुधा गणेश	आशुलिपिक ग्रेड – I
11.	वलसम्मा बी. नायर	आशुलिपिक ग्रेड – I

समूह ग

1.	नरेश कुमार	सहायक ग्रेड – I
2.	रंजना भारद्वाज	सहायक ग्रेड – I
3	राजेश कुमार कर्ण	आशुलिपिक ग्रेड – II
4.	राम किशन	आशुलिपिक ग्रेड – II
5.	प्रांजल गुप्ता	सहायक ग्रेड – II
6.	सत्यवान	सहायक ग्रेड – III
7.	सागर चौधरी	सहायक ग्रेड – III
8.	दिपेश सिंह	सहायक ग्रेड – III
9.	सौरभ कुमार	सहायक ग्रेड – III
10.	शुभम दीक्षित	सहायक ग्रेड – III

लेखापरीक्षा रिपोर्ट
एवं
लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा
2022—23

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनुबंध

क्रम सं.	टिप्पणी	जवाब
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान का अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है। हालांकि, वर्ष 2021–22 के लिए संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई।	संस्थान की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म के साथ–साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की लेखापरीक्षा टीम द्वारा भी की जाती है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता 83 पदों की संस्वीकृत संख्या के मुकाबले समूह 'क' के 10 पदों सहित 35 रिक्त पदों की भर्ती न होने से लक्षित होती है।	83 पदों में से 15 पद व्यपगत (समाप्त) हो गए हैं और उनके पुनरुद्धार की प्रक्रिया प्रगति पर है। इनमें से कुछ पदों की अब आवश्यकता नहीं है। समूह 'क' के 08 पदों सहित अन्य 20 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने हाल ही में अपनी बेहतरी के लिए संगठन छोड़ दिया है। संस्थान ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से उच्चतम स्तर पर की है। अतः, इस पैरा को छोड़ दिया जाए।
3.	**अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2021–22 के लिए अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
4.	**वस्तु–सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** वर्ष 2021–22 के लिए वस्तु–सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** संस्थान ने सांविधिक देयताओं का समय पर भुगतान किया है।	तथ्यात्मक स्थिति, अतः कोई टिप्पणी नहीं।

BRANCH: DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL), LUCKNOW AT PRAYAGRAJ

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Ltr No: Central Expenditure/2023-2024/DIS-1094458
Date: 06 Sep 2023

To,

Secretary (L&E) Office, Ministry of Labour & Employment Govt. of India, Shram Shakti Bhawan Rafi Marg. New Delhi-110001

Subject: Issue of Separate Audit Report : PR-64567 on the Accounts of V V Giri National Labour Institute, Noida for the year 2022-23.

Sir/Madam,

इस पत्र के माध्यम से V V Giri National Labour Institute Noida Uttar Pradesh के वर्ष 2022-23 के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) अग्रसारित किया जा रहा है।

2. कृपया सुनिश्चित करें की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सम्बंधित लेखे संसद के दोनों सदनों के सम्मुख प्रस्तुत हुए।

3. कृपया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखो को संसद के दोनों सदनों के समक्ष अंतिम रूप से प्रस्तुत करने की तिथि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
ह o/-
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)

Letter No. DIS-1094458 Dated 06.09.2023

वर्ष 2022-23 के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अंग्रेजी) की प्रति महानिदेशक, V V Giri National Labour Institute Noida Uttar Pradesh को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संस्थान यदि आवश्यकता अनुभव करे, तो इस प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद करवा सकता है परन्तु इस प्रतिवेदन के हिन्दी अनुवाद में निम्नलिखित अंकित होना चाहिए :
"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरुप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"
हिन्दी अनुवाद की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

Yours faithfully,

Jayakar Babu
Deputy Director

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को यथास्थिति, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (संस्थान) के संलग्न तुलन पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। संस्थान की लेखापरीक्षा 2027–28 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य तथा नियमितता) और दक्षता व कार्य-निष्पादन संबंधी पहलुओं, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी की सूचना, अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती है।

3. हमने, भारत में आमतौर पर अपनाये गये लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की, एक परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल हैं। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा उचित तथ्यों पर आधारित है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य प्रपत्र पर बनाये गये हैं;

iii. हमारी राय में, जहां तक ऐसी लेखाबहियों की हमारी जांच से पता चलता है, और जैसे कि संस्थान के संगम ज्ञापन तथा नियम और विनियम के अनुच्छेद XVI के तहत आवश्यक हैं, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा अपने लेखों की उचित लेखाबहियां और अन्य संबंधित रिकॉर्ड रखे गए हैं।

iv. हम आगे सूचित करते हैं किः

(क) सामान्य

(क.1) संस्थान ने 'परिक्रामी एचबीए अग्रिम' और 'परिक्रामी कंप्यूटर अग्रिम' को निवेश उद्दिष्ट निधि' (अनुसूची–6) के बजाय 'चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम' (अनुसूची–7) के तहत दर्शाया था। इसे सही करने की आवश्यकता है।

(क.1) संस्थान ने प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–14) में विद्युत और जल प्रभार के रूप में क्रमशः 53.90 लाख रुपये और 8.32 लाख रुपये दर्शाए हैं, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार यह व्यय क्रमशः 62.58 लाख रुपये और 8.51 लाख रुपये था। इसे सही करने की आवश्यकता है।

(ख) सहायता अनुदान

वर्ष 2022–23 के दौरान संस्थान को 1277.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और 223.47 लाख रुपये की आंतरिक आय सृजित की गई। इसमें 4.01 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष मिलाने पर कुल उपलब्ध राशि 1504.48 लाख रुपये हुई। संस्थान ने 1397.99 लाख रुपये का उपयोग किया और 106.49 लाख रुपये का अंत शेष रहा।

(ग) प्रबंधन पत्रः ऐसी कमियां, जिन्हें लेखा–परीक्षा रिपोर्ट मे शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से संस्थान के संज्ञान में लाया गया है।

v. पिछले पैराग्राफों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखे, लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों और लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित और ऊपर उल्लिखित महत्त्वपूर्ण मामलों तथा अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं:

अ. जहां तक यह 31 मार्च 2023 को यथास्थिति वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्य के तुलन पत्र से संबंधित है; और

ब. जहां तक यह, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 'घाटे' के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

दिनांक : 05.09.2023 ह./

स्थानः लखनऊ **प्रधान लेखापरीक्षा**

निदेशक (सेन्ट्रल)

एन. कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
34 एफ, नरेन्द्र विहार, कौलागढ़, देहरादून – 248001
फोन नं. 91.135.2715416

सेवा में,
महानिदेशक,
वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2022–23)

हमने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (संस्थान) के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिनमें 31 मार्च 2023 को यथा स्थिति तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शामिल हैं, की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों, जो वित्तीय स्थिति एवं निष्पादन की सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं, को तैयार करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरणों के संगत हों और निष्पादन की सही एवं उचित तस्वीर पेश करते हों तथा सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हों, चाहे उसका कारण धोखाधड़ी हो अथवा त्रुटि, को तैयार करना, लागू करना एवं उसका अनुरक्षण करना है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विविरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण, सारवान अयथार्थ कथनों से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में, परीक्षण आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटनें शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में, इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के सबंध में उचित आधार प्रदान करती है।

हमारी राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित तस्वीर पेश करते हैं।

क) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2023 को यथास्थिति संस्थान के कार्य के तुलन-पत्र से संबंधित है और,

ख) जहां तक यह, दिनांक 31 मार्च 2023 को को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय–व्यय खाते के मामले में संस्थान के घाटे से संबंधित है और,

ग) जहां तक यह, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा से संबंधित हैं।

हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थीं।

हमारी राय में इन बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है कि संस्थान ने कानूनी रूप से जरूरी लेखा बहियां उचित ढंग से तैयार की हुई हैं।

हमारी राय में इस रिपोर्ट के साथ तैयार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

कृते

एन. कुमार एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003637सी

सीए नवीन कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं. 072386
यूआईडीएन 23072386बीजीएक्सआईक्यूआर3400

दिनांकः 09 जून 2023

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2023 को यथास्थिति तुलनपत्र

देयताएं	अनु.	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
पूँजीगत निधि	1	10,80,86,223.18	11,25,99,976.90
विकास निधि	2	19,68,39,017.58	18,65,47,729.50
उद्दिष्ट निधि	3	1,77,19,650.67	1,63,41,145.07
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	7,62,72,208.47	7,79,93,409.00
योग		**39,89,17,099.90**	**39,34,82,260.47**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपत्तियाँ (निबल ब्लॉक)	5	12,41,65,269.00	13,89,27,856.00
निवेशः उद्दिष्ट निधि	6	19,68,39,017.58	19,55,95,946.73
चालू परिसंपत्तियाँः ऋण एवं अग्रिम	7	7,79,12,813.32	5,89,58,457.74
योग		**39,89,17,099.90**	**39,34,82,260.47**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ,	17		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ	18		

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः एन. कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003637सी

ह./–
सीए नवीन के. गुप्ता
सदस्यता सं. 072386

ह./–
शैलेश कुमार
लेखा अधिकारी

ह./–
हर्ष सिंह रावत
प्रशासनिक अधिकारी

ह./–
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

स्थानः देहरादून
दिनाँकः 09 जून 2023
यूडीआईएनः 23072386बीजीएक्सआईक्यूआर3400

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

ब्यौरे	अनु.	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
आय			
सहायता अनुदान	8	125700000.00	11,49,41,476.00
फीस एवं अंशदान	9	15850915.00	25,61,775.00
अर्जित ब्याज	10	1787026.00	21,51,972.00
अन्य आय	11	4709420.80	72,95,542.50
पूर्व अवधि आय	12	-	-
जोड़ (क)		**148047361.80**	**12,69,50,765.50**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	78699559.00	7,76,36,517.00
प्रशासानक व्यय	14	14410175.92	1,06,19,432.98
पूर्व अवधि व्यय	15	-	-
योजनागत अनुदान एवं सहायिकियों पर व्यय	16	44287733.08	3,82,93,756.00
जोड़ (ख)		**13,73,97,468.00**	**12,65,49,705.98**
मूल्यह्रास से पूर्व व्यय से आय की अधिकता **(क–ख)**		1,06,49,893.80	4,01,059.52
घटायः			
मूल्यह्रास	5	1,57,68,224.00	1,61,90,242.00
शेष, जिसे घाटे के कारण पूंजी निधि में ले जाया गया		**(51,18,330.20)**	**(1,57,89,182.48)**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉं,	17		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियॉं	18		

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः एन. कुमार गुप्ता एंड
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003637सी)

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
सीए नवीन के. गुप्ता	**शैलेश कुमार**	**हर्ष सिंह रावत**	**डॉ. अरविंद**
सदस्यता सं. 072386	**लेखा अधिकारी**	**प्रशासनिक अधिकारी**	**महानिदेशक**

स्थानः देहरादून
दिनॉंकः 09 जून 2023
यूडीआइएनः 23072386बीजीएक्सआइक्यूआर3400

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

पिछला वर्ष 31.03.2022	प्राप्तियाँ	राशि (रुपये) 31.03.2023	पिछला वर्ष 31.03.2022	भुगतान	राशि (रुपये) 31.03.2023
	आदि शेष			**व्यय**	
8,116.95	हस्तगत रोकड़	30,410.95	6,79,61,995.00	स्थापना व्यय	8,31,22,368.00
	बैंक में शेष		98,29,763.62	प्रशासनिक व्यय	1,18,86,777.92
85,27,859.50	चालू खाता	56,24,697.70	3,82,30,145.00	योजनागत अनुदान का उपयोग	4,65,77,076.25
1,66,430.74	बचत खाता परियोजना	6,316.84			
3,47,259.01	बचत खाता – आईओबी	-	14,26,472.00	अचल परिसंपत्तयाँ	10,05,636.00
1,08,606.27	बचत खाता–कॉर्पोरेशन बैंक	-	-		
16,23,70,051.57	खाते में जमा–विकास निधि	18,65,47,729.50	1,65,227.90	विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यय	94.40
1,35,22,563.77	ग्रेच्युटी खाता–1130025	1,58,73,283.97	8,19,724.00	अन्य एजेंसियां – व्यय	10,19,391.00
1,19,89,475.58	छुट्टी का नकदीकरण–1130026	1,27,23,607.78			
64,450.00	हस्तगत डाक टिकट	64,033.00	28,960.00	**स्टाफ को अग्रिम**	1,73,290.00
37,10,416.03	ईएमडी एवं जमा प्रतिभूति 1150006	38,60,467.23			
79,21,211.34	कार्पोरेशन बैंक – फ्लेक्सी बचत खाता 150025	47,11,593.41	4,16,471.00	विभागीय अग्रिम	5,56,152.00
42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00	-	जमा प्रतिभूति की वापसी	39,340.00
-	जेम (जीईएम) पूल खाता	-	-	पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	30,27,693.00
12,797.00	भारतीय स्टेट बैंक	13,146.00			
	प्राप्त अनुदान			**अंतशेष**	
11,55,00,000.00	भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से	12,77,00,000.00			
3,56,165.00	अन्य एजेंसियों से	10,29,783.00	30,410.95	**हस्तगत रोकड़**	17,691.95
-	अन्य परियोजनाओं से	-		**बैंक में शेष**	
	प्राप्त ब्याज		56,24,697.70	चालू खाता आईओबी – 1131	21,65,963.14
94,01,294.00	विकास निधि	98,90,228.56	1,58,73,283.97	ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278	1,30,94,147.84
-	उद्दिष्ट निधि	-	1,27,23,607.78	छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286	1,30,27,506.55
2,105.00	वाहन अग्रिम	-	64,033.00	हस्तगत डाक टिकट	57,105.00
19,52,376.00	बचत खाता	16,39,377.00	18,65,47,729.50	जमाः विकास निधि	#############
5,114.00	ब्याजः परियोजना खाता	178.00	6,316.84	बचत खाता – परियोजना	6,400.44
12,52,584.64	**फीस/अभिदान**	1,21,44,252.04	38,60,467.23	ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863	40,21,182.43
72,95,542.50	**अन्य आय**	47,09,420.80	47,11,593.41	यूनियन बैंक फ्लेक्सी बचत खाता 520141001056979	1,06,14,912.28
-	**पूर्व अवधि आय**	-	42,073.00	आइजीएल में जमा प्रतिभूति	42,073.00
3,47,779.00	विभागीय अग्रिम	6,23,990.00	-	जेम (जीईएम) पूल खाता	-
-	**अग्रिमों की वसूली**	-	13,146.00	भारतीय स्टेट बैंक – 39675453455	1,30,927.00
3,27,127.00	स्टाफ से	1,58,290.00			
	अन्य प्राप्तियाँ				
30,80,080.00	आयकर वापसी	-			
64,640.00	प्राप्त जमा प्रतिभूति	31,867.00			
34,83,76,117.90	जोड़	**38,74,24,745.78**	**34,83,76,117.90**	जोड़	**38,74,24,745.78**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः वर्गीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, 17

आकस्मिक देयताएं एवं लेखों की टिप्पणियाँ 18

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के संबंध में हस्ताक्षरित
कृतेः एन. कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003637सी)

ह./–
सीए नवीन के. गुप्ता
सदस्यता सं. 072386
स्थानः देहरादून
दिनाँकः 09 जून 2023
यूडीआईएनः 23072386बीजीएक्सआईक्यूआर3400

ह./–
शैलेश कुमार
लेखा अधिकारी

ह./–
हर्ष सिंह रावत
प्रशासनिक अधिकारी

ह./–
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

		31.03.2023 के अनुसार आंकड़े		31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 1 – पूँजीगत निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		11,25,99,976.90		12,17,15,072.31
जोड़ें: विकास निधि में अंतरण		(4,01,059.52)		(1,43,77,221.93)
जोड़ें: पूंजीगत निधि में अंशदान				
योजनागत अनुदानों से	10,05,636.00		2,10,51,309.00	
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट निधि				
		10,05,636.00	-	2,10,51,309.00
व्यय से आय की अधिकता		(51,18,330.20)		(1,57,89,182.48)
जोड़		**10,80,86,223.18**		**11,25,99,976.90**
अनुसूची 2 – विकास निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		18,65,47,729.50		16,23,70,051.57
जोड़ें: मूल्यह्रास आरक्षित निधि		4,01,059.52		1,43,77,221.93
जोड़ें: बैंक एफडीआर पर ब्याज		98,90,228.56		98,00,456.00
जोड़		**19,68,39,017.58**		**18,65,47,729.50**
अनुसूची 3 – उद्दिष्ट निधि				
(क) परिक्रामी एचबीए निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		84,13,892.93		**80,58,829.93**
जोड़ें: बैंक (एसबी, एफडीआर) से प्राप्त ब्याज		3,52,233.00		3,34,980.00
जोड़ें: एचबीए पर स्टाफ से प्राप्त ब्याज		13,819.00		20,083.00
जोड़ (क)		**87,79,944.93**		**84,13,892.93**
(ख) परिक्रामी कंप्यूटर निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		6,34,324.30		**6,13,856.30**
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज		17,675.00		17,334.00
जोड़ें: स्टाफ से उपार्जित ब्याज		331.00		3,134.00
जोड़ (ख)		**6,52,330.30**		**6,34,324.30**
(ग) परियोजना निधि				
वर्ष के आरम्भ में शेष		6,316.84		1,66,430.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		-		-
जोड़ें: बैंक से प्राप्त ब्याज		178.00		5,114.00
घटाएं: वर्ष के दौरान हुए व्यय, यदि कोई हो		(94.40)		(1,65,227.90)
जोड़ (ग)		**6,400.44**		**6,316.84**
घ. चल रहा कार्य				
वर्ष के आरम्भ में शेष		72,86,611.00		2,77,79,396.00
जोड़ें: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट – एनआईसीएसआई		9,94,364.00		-
घटाएं: वर्ष के दौरान अग्रिम (पूंजीकृत) की राशि		-		(2,04,92,785.00)
		-		-
जोड़ (घ)		**82,80,975.00**		**72,86,611.00**
जोड़ (क+ख+ग+घ)		**1,77,19,650.67**		**1,63,41,145.07**
अनुसूची 4 – चालू देयताएं एवं प्रावधान				
क – चालू देयताएं				
ईएमडी और जमा प्रतिभूति		24,11,145.00		24,18,618.00
विविध कर्जदारों सहित बकाया देयताएं		65,17,252.47		41,73,526.00
जीएसटी आउटपुट		8,38,293.00		1,11,936.00
		-		-
जोड़ (क)		**97,66,690.47**		**67,04,080.00**
ख – प्रावधान				
सेवानिवृत्ति पर देय सांविधिक देयताएं		6,65,05,518.00		7,12,89,329.00
जोड़ (ख)		**6,65,05,518.00**		**7,12,89,329.00**
जोड़ (क+ख)		**7,62,72,208.47**		**7,79,93,409.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	मूल्यह्रास की दर	वर्ष की शुरुआत में 01.04.2022 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन 03.10.2022 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन 03.10.2022 के बाद	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में 31.03.2023 को लागत/मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष के अंत तक योग	वर्तमान वर्ष के अंत तक स्थिति	पिछले वर्ष के अंत तक स्थिति
भूमि*	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	10%	11,56,42,012			-	11,56,42,012	1,15,64,201	-		1,15,64,201	10,40,77,811	11,56,42,012
फर्नीचर व फिटिंग्स	10%	21,57,757	5,54,256		-	27,12,013	2,15,776	55,426		2,71,202	24,40,811	21,57,757
उपकरण	15%	1,63,50,847	18,880		-	1,63,69,727	24,52,627	2,832		24,55,458	1,39,14,269	1,63,50,847
वाहन	15%	1,65,108			-	1,65,108	24,766	-		24,766	1,40,342	1,65,108
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%	2,71,182			-	2,71,182	1,08,473	-		1,08,473	1,62,709	2,71,182
कंप्यूटर	40%	5,72,570	4,32,500		-	10,05,070	2,29,028	1,73,000		4,02,028	6,03,042	5,72,570
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%	37,68,381			-	37,68,381	9,42,095	-		9,42,096	28,26,285	37,68,381
जोड़		**13,89,27,856**	**10,05,636**	**-**	**-**	**13,99,33,493**	**1,55,36,966**	**2,31,258**	**-**	**1,57,68,224**	**12,41,65,269**	**13,89,27,857**

* भूमि को राज्य सरकार द्वारा 1981 में केंद्र सरकार को दान में दिया गया था, इसलिए इसमें लागत शामिल नहीं है।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

अनुसूची 6 – निवेश : उद्दिष्ट निधियाँ		31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
क. विकास निधि			
सावधि जमा खाते		19,05,66,107.01	18,15,45,887.52
एफडीआर पर प्रादृभूत ब्याज		62,50,166.66	49,84,431.63
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 10355		22,743.91	17,410.35
	जोड़ (क)	**19,68,39,017.58**	**18,65,47,729.50**
ख. परिक्रामी एचबीए निधि			
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर		-	55,64,773.00
एफडीआर पर प्रादृभूत ब्याज		-	61,419.00
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 2637		-	19,61,289.93
स्टाफ का एचबाए आग्रम		-	8,26,411.00
	जोड़ (ख)	**-**	**84,13,892.93**
ग. परिक्रामी कंप्यूटर निधि			
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता 7942		-	6,31,386.30
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम		-	2,938.00
	जोड़ (ग)	**-**	**6,34,324.30**
	जोड़ (क+ख+ग)	**19,68,39,017.58**	**19,55,95,946.73**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम
(क). चालू परिसंपत्तियाँ

अ. नकदी एवं बैंक में शेष			
हस्तगत नकदी		17,691.95	30,410.95
बैंक में शेषः			
इंडियन ओवरसीज बैंक में चालू खाता सं. 1131 में		21,65,963.14	56,24,697.70
यूनियन बैंकः एसबी फ्लेक्सी खाता सं. 1056979		1,06,14,912.28	47,11,593.41
ग्रेच्युटी यूनियन बैंक खाता – 1056278		1,30,94,147.84	1,58,73,283.97
छुट्टी का नकदीकरण यूनियन बैंक – 1056286		1,30,27,506.55	1,27,23,607.78
ईएमडी और जमा प्रतिभूति यूनियन बैंक – 1056863		40,21,182.43	38,60,467.23
डाक टिकट खाता		57,105.00	64,033.00
आईजीएल में जमा प्रतिभूति		42,073.00	42,073.00
वीवीजीएनएलआई जेम (जीईएम) पूल खाता		-	-
भारतीय स्टेट बैंकः एसबी खाता – 3455		1,30,927.00	13,146.00
	जोड (अ) -	**4,31,71,509.19**	**4,29,43,313.04**

(ख). अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, परिक्रामी निधि...

अ. परिक्रामी एचबीए निधि			
इंडियन ओवरसीज बैंकः एफडीआर		58,27,584.00	-
एफडीआर पर प्रादृभूत ब्याज		94,378.00	-
इंडियन ओवरसीज बैंकः एस.बी. खाता – 2637		22,12,476.93	-
स्टाफ का एचबाए आग्रम		6,45,506.00	-
	जोड़ (अ)	**87,79,944.93**	**-**
ब. परिक्रामी कंप्यूटर निधि			
इंडियन ओवरसीज बैंकः एसबी खाता 7942		6,52,330.30	-
स्टाफ को कंप्यूटर अग्रिम		-	-
	जोड़ (ब)	**6,52,330.30**	**-**
	जोड़ (अ+ब)	**94,32,275.23**	**-**

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

(ग). परियोजना खाता

	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	बैंक ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय	बैंक प्रभार	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े
इंडियन ओवरसीज बैंक में एसबी खाता में						
यूनीसेफ बाल श्रम पर अनुक्रिया–50722	4,816.84	-	134.00	-	94.40	4,856.44
एसबी खाताः यूनियन बैंक						
वीवीजीएनएलआई कर्मचारी कल्याण निधि- 520101223527943	1,500.00	-	44.00	-		1,544.00
जोड़ (ग)	**6,316.84**	**-**	**178.00**	**-**	**94.40**	**6,400.44**
जोड़ (ग) (क+ग)	**4,29,49,629.88**					**4,31,77,909.63**

(घ). ऋण एवं अग्रिम

	Fig as at 31.03.2022	Advances during the year	Recovery / adjusted During the year		Fig as at 31.03.2023
अ. स्टाफ को					
एलटीसी अग्रिम	-	1,73,290.00	1,58,290.00		15,000.00
जोड़ (अ)	**-**	**1,73,290.00**	**1,58,290.00**	**-**	**15,000.00**
ब. अन्य एजेंसियों को					
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2017–18	89,098.00	-	-		89,098.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2018–19	36,39,780.00	-	-		36,39,780.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2020–21	5,74,528.00		-		5,74,528.00
कें.लो.नि.वि. को अग्रिम – 2020–21	35,57,733.00		-		35,57,733.00
एन.आई.सी.एस.आई. को अग्रिम – 2021–22	4,57,830.00	-			4,57,830.00
जोड़ (ब)	**83,18,969.00**	**-**	**-**	**-**	**83,18,969.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 माच 2023 का समाप्त वष क लिए लखा का अनुसूचिया

अनुसूची 7 – चालू परिसंपत्तियॉं, ऋण एवं अग्रिम (जारी....)

	Fig as at 31.03.2023	Fig as at 31.03.2022
(ङ). अन्य अग्रिम		
बाहरी एजेंसियों को अग्रिम	2,48,474.00	2,55,416.00
व्यय (प्राप्ति): विविध बाहरी एजेंसियों की परियोजनाएं	36,134.00	36,134.00
स्रोत पर कर की कटौती	54,77,312.50	41,52,604.50
टीडीएस पर जीएसटी	26,698.96	75,354.00
विभागीय अग्रिम (एन.पी.)		21,448.00
विभागीय अग्रिम (पी.)	20,000.00	66,390.00
पूर्वदत्त खर्चे	14,71,794.00	6,50,610.00
विविध देनदार	52,36,550.00	10,07,899.36
सेवा कर विभाग	14,24,003.00	14,24,003.00
पीएओ, सीएलसी को अग्रिम	30,27,693.00	
जोड़ (ङ)	**1,69,68,659.46**	**76,89,858.86**
जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)	**7,79,12,813.32**	**5,89,58,457.74**

अनुसूची 8 – सहायता अनुदान

भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से सहायता अनुदान	12,77,00,000.00	11,55,00,000.00
जोड़	**12,77,00,000.00**	**11,55,00,000.00**
घटाएं: पूंजीगत निधि से उद्दिष्ट – एन.आई.सी.एस.आई.	9,94,364.00	
घटाएं: पूंजीकृत सहायता अनुदान	10,05,636.00	5,58,524.00
	(20,00,000.00)	**(5,58,524.00)**
आय और व्यय खातों में दर्शायी गयीं राशियॉं	**12,57,00,000.00**	**11,49,41,476.00**

अनुसूची 9 – फीस एवं अभिदान

शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क	1,58,19,755.00	25,39,350.00
अवार्ड्स डाइजेस्ट का अभिदान	14,250.00	5,310.00
लेबर एंड डेवलपमेंट का अभिदान	12,250.00	9,005.00
श्रम कानून-शब्दावली की बिक्री से प्राप्तियॉं	1,000.00	3,500.00
श्रम विधान अभिदान	3,660.00	4,610.00
	1,58,50,915.00	**25,61,775.00**

अनुसूची 10 – अर्जित ब्याज

स्कूटर/वाहन अग्रिम पर ब्याज		2,105.00
प्राप्त ब्याज	17,87,026.00	21,49,867.00
	17,87,026.00	**21,51,972.00**

अनुसूची 11 – अन्य आय

गैर–योजनागत आय	1,56,826.80	21,30,733.00
हॉस्टल के उपयोग से आय	38,42,488.00	45,67,500.00
फोटोस्टेट से आय	5,92,006.00	393.00
स्टाफ क्वार्टरों से किराया-लाइसेंस शुल्क	1,17,880.00	1,09,540.00
बाहरी परियाजनाओं से आय	-	2,46,020.50
फैकल्टी परामर्श प्रभार	220.00	2,100.00
अन्य प्राप्तियों से आय	-	2,39,256.00
टीडीएस वापसी पर ब्याज	**47,09,420.80**	**72,95,542.50**
जोड़		

अनुसूची 12 – पूर्व अवधि आय

पूर्व अवधि आय	-	-
	-	-

अनुसूची 13 – स्थापना व्यय

स्टाफ को वेतन	5,68,08,634.00	5,65,98,641.00
भत्ते	44,12,975.00	32,14,059.00
एनपीएस में अंशदान, बकाया सहित	91,95,035.00	45,05,940.00
कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत्त लाभ पर व्यय	79,47,720.00	1,26,55,343.00
प्रतिनियुक्ति स्टाफ का छुट्टी वेतन एवं पेंशन	3,35,195.00	6,62,534.00
जोड़	**7,86,99,559.00**	**7,76,36,517.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

	31.03.2023 के अनुसार आंकड़े	31.03.2022 के अनुसार आंकड़े
अनुसूची 14 – प्रशासनिक व्यय		
विज्ञापन एवं प्रचार	95,711.00	73,191.00
भवन मरम्मत और उन्नयन	2,06,236.00	3,39,655.00
विद्युत एवं पॉवर प्रभार	53,89,867.00	50,88,389.00
हिंदी प्रोत्साहन व्यय	2,04,521.00	1,96,836.00
बीमा	-	80,570.00
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	2,58,183.00	2,26,363.00
विविध व्यय	1,61,864.41	1,50,574.98
सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय	36,97,908.51	2,34,873.00
फोटोस्टेट व्यय	20,487.00	34,739.00
डाक टिकट, तार और संचार प्रभार	1,18,629.00	42,953.00
मुद्रण और लेखन सामग्री	2,84,072.00	2,01,726.00
नई परिसंपत्तियों की खरीद	-	8,37,060.00
मरम्मत एवं रखरखाव		
क. कंप्यूटर	3,90,658.00	4,51,686.00
ख. कूलर/ए.सी	6,11,198.00	8,64,792.00
ग. कार्यालय भवन और संबद्ध	5,45,445.00	3,93,758.00
स्टाफ कल्याण व्यय	3,28,332.00	2,67,741.00
टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट प्रभार	1,54,174.00	3,17,379.00
यात्रा एवं वाहन भत्ता संबंधी खर्चे	1,75,172.00	3,15,715.00
वाहन चालन एवं रखरखाव संबंधी खर्चे	9,35,892.00	5,34,504.00
जल प्रभार	8,31,826.00	8,34,876.00
जोड़	**1,44,10,175.92**	**1,14,87,380.98**
पूंजीकृत परिसंपत्तियों की लागत	-	8,67,948.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**1,44,10,175.92**	**1,06,19,432.98**
अनुसूची 15 – पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
	-	-
अनुसूची 16 – योजनागत अनुदानों पर व्यय		
क. अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण		
अनुसंधान परियोजनाएं, कार्यशाला और प्रकाशन	68,12,458.00	49,76,002.00
शिक्षण कार्यक्रम	1,54,61,981.00	94,13,376.00
ग्रामीण कार्यक्रम	6,45,767.00	10,86,911.00
सूचना प्रौद्योगिकी	4,81,690.00	14,94,921.00
परिसर सेवाएं	1,74,18,448.00	1,84,29,275.00
जोड़ (क)	**4,08,20,344.00**	**3,54,00,485.00**
ख. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम/परियोजनाएं		
शिक्षण कार्यक्रम	24,39,897.08	24,05,256.00
परियोजनाएं (जिनमें कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी/अवसंरचना/प्रकाशन शामिल हैं)	1,37,044.00	
जोड़ (ख)	**25,76,941.08**	**24,05,256.00**
ग. पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाना		
पत्र/पत्रिकाओं के लिए अभिदान	8,90,448.00	10,03,731.00
पुस्तकालय की पुस्तकें	-	42,808.00
पुस्तकालय का विस्तार/आधुनिकीकरण		
जोड़ (ग)	**8,90,448.00**	**10,46,539.00**
घ. अवसंरचना		
अवसंरचना विकास	20,00,000.00	-
जोड़ (घ)	**20,00,000.00**	**-**
योजनागत अनुदानों पर कुल व्यय (क से घ)	**4,62,87,733.08**	**3,88,52,280.00**
उद्दिष्ट निधि में अंतरित राशि	9,94,364.00	
घटाएं: पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की लागत	10,05,636.00	5,58,524.00
	20,00,000.00	5,58,524.00
आय और व्यय लेखों में अंतरित धनराशियां	**4,42,87,733.08**	**3,82,93,756.00**

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की अनुसूचियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां

अनुसूची सं. 17 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **वित्तीय औचित्य के मानक**
   हर स्तर पर वित्तीय आदेश एवं सख्त अर्थव्यवस्था को लागू करने के क्रम में सभी संगत वित्तीय मानकों का, जो वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जैसी स्वायत्त संस्थाओं के लिए निर्धारित हैं, पालन किया जाता है।
2. **वित्तीय विवरण**
   वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर तैयार किया गया है सिवाय अन्यत्र बतायी गई और अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों पर आधारित सीमा के। संस्थान के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय लेखा, प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा और तुलनपत्र शामिल हैं।
3. **अचल परिसम्पत्तियां**
   अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नि:शुल्क प्रदान किया गया था और इसलिए इसे तुलनपत्र में शून्य मूल्य पर दर्शाया गया है।
4. **मूल्यह्रास**
   अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत निर्धारित निम्नलिखित दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों की श्रेणी	मूल्यह्रास की दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
कार्यालय उपकरण	15%
वाहन	15%
पुस्तकालय की पुस्तकें	40%
कंप्यूटर एवं सहायक यंत्र	40%
सूचना प्रौद्योगिकी (अमूर्त आस्तियां)	25%

5. **पूँजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट (जीएसटी)**
   धारा 2 (19) के अनुसार 'पूँजीगत वस्तुओं' का आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका मूल्य इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले व्यक्तियों के खाता बहियों में पूँजीकृत किया जाता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है अथवा उपयोग किया जा सकता है। संस्थान ने क्रय की गयी पूँजीगत वस्तुओं के संदर्भ में किसी आईटीसी का दावा नहीं किया है तथा धनराशि को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ पूरी तरह पूँजीकृत किया गया है।
6. **पूर्व अवधि समायोजन**
   01.04.2010 से लेखाकरण प्रणाली के नकदी लेखाकर प्रणाली से प्रोद्भूत लेखाकरण प्रणाली में बदलाव के कारण पूर्व अवधि समायोजनों के प्रभाव को संस्थान के अंतिम लेखा में अलग से दर्शाया गया है।
7. **वस्तु सूचियाँ**
   वस्तु सूचियों, जिनमें वर्ष के दौरान खरीदी गई लेखनसामग्री/विविध स्टोर मदें शामिल हैं, को राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।
8. **कर्मचारी हितलाभ**
   संस्थान ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार फरवरी 2012 से भारत सरकार की नई पेंशन योजना को चुना है।
9. **विकास निधि**
   संस्थान ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पत्र सं. जी–26035ध1ध2002–ईएसए (एनएलआई) दिनांक 02.04.2002 के माध्यम से जारी निदेशों के अनुसार विकास निधि सृजित की थी जिसमें व्यय से अधिक आय को प्रत्येक वर्ष के अंत में हस्तांतरित किया जा रहा था। सीएबी के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार मूल्यह्रास की अवधारणा की शुरूआत के बाद, संस्थान विकास निधि में मूल्यह्रास चार्ज करने से पहले अधिशेष स्थानांतरित करता है क्योंकि मूल्यह्रासं निधि का बहिर्वाह नहीं है।

अनुसूची सं. 18 : लेखा पर टिप्पणियां

1. लेखांकन का आधार

31.03.2010 को समाप्त वर्ष तक संस्थान जो एक गैर-लाभ वाला संगठन है, के लेखों को नकदी आधार पर तैयार किया जाता था। मंत्रालय से प्राप्त की गई सभी अनुदान राशि और आंतरिक रूप से कमाई गई धनराशि को उन्हीं प्रयोजनों हेतु खर्च किया गया, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2010–11 से संस्थान के लेखे प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जा रहे हैं और इनमें निम्न को छोड़कर तदुनसार प्रावधान किए गए हैं:

क. केद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को देय वेतनों एवं भत्तों को प्रदत्त आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ख. खरीदी गई लेखन सामग्री एवं अन्य मदों को नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2. निवेश नीति

संगम ज्ञापन और नियम एवं विनियम की धारा XIV (ii) के अनुसार निवेश राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया जा रहा है।

3. सहायता अनुदान

संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्रति वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त करता है और उपयोग प्रमाणपत्र हर वर्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4. पूंजीगत एवं राजस्व लेखा

पूंजीगत स्वरूप के व्यय को सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों अथवा सरकार द्वारा निर्धारित विशेष आदेश के अनुसार हमेशा राजस्व व्यय से अलग रखा जाता है।

5. विविध देनदार और विविध लेनदार

संस्थान, ऐसे व्यावसायिक कार्यकलाप एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिन्हें अन्य संस्थानों, मंत्रालय एवं विभाग आदि द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और इन पर व्यय ऐसी एजेंसियों की ओर से करता है। इन एजेंसियों से अग्रिमों अथवा ऊपर उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में व्यय की प्रतिपूर्ति को प्राप्ति अथवा भुगतान-बाहरी कार्यक्रम अथवा एजेंसी शीर्ष के तहत दर्शाया जा रहा है।

6. अचल परिसम्पत्तियां एवं मूल्यह्रास

क. अचल परिसम्पत्तियों का कथन ऐतिहासिक लागत रहित मूल्यह्रास पर दिया जाता है। संस्थान ह्रासित मूल्य आधार पर लेखाकरण नीतियों (उपरोक्त) के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दरों पर निर्धारित मूल्यह्रास प्रदान कर रहा है और मूल्यह्रास को लेखाकरण वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों के परिवर्धन और/अथवा विलोपन को समंजित करने के बाद अथवा डब्ल्यू.डी.वी. पर प्रभारित किया जाता है।

ख. मूल्यह्रास को उन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के आधे दरों पर प्रभारित किया गया है, जिन्हें वर्ष के दौरान 180 से कम दिनों के लिए इस्तेमाल किया गया था। 10,000 रुपये से कम लागत वाली परिसम्पत्तियों (पुस्तकालय की पुस्तकों के अलावा) को राजस्व लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

संस्थान की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाता है और परिसम्पत्तियों का अस्तित्व इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समिति द्वारा प्रमाणित होता है।

8. सरकारी धन का रुकना

संस्थान द्वारा अवसरंचना संबंधी कार्य आम तौर पर सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई के माध्यम से किए गए। विभिन्न सिविल एवं इलैक्ट्रिकल आदि कार्यों के निर्माण/नवीनीकरण/आईटी अवसंरचना के लिए इन सरकारी एजेंसियों को अग्रिम दिया जाता है। आज तक 83,18,,969.00 रुपए की शेष राशि के लिए सीपीडब्ल्युडी और एनआईसीएसआई से उपयोग प्रमाण पत्र प्रतीक्षित है।

9. संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान 31.03.2023 तक की अवधि तक उपदान एवं देय अर्जित अवकाश का बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया है।

विवरण	**31.03.2023 तक प्रावधान**	**31.03.2022 तक प्रावधान**
उपदान	3,84,34,504.00	4,03,21,519.00
अर्जित अवकाश	2,80,71,014.00	3,09,67,810.00
	6,65,,05,518,00	7,12,89,329,00

10. **आयकर विवरणी**
संस्थान ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय की विवरणी दायर की थी। संस्थान ने संदर्भाधीन वर्ष के दौरान अपनी तिमाही टीडीएस विवरणी दायर की थी।

11. **आगे ले जाया गया अधिशेष**
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संस्थान को योजनागत एवं गैर योजनागत कार्यकलापों के लिए स्वीकृत अनुदानों को राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू खाते के माध्यम से प्रचालित किया जाता है और उसी वर्ष में इनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है, जिस वर्ष में इसे स्वीकृत किया जाता है। परिणामतः संस्थान के पास अगले वर्ष हेतु आगे ले जाने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। तथापि, संस्थान के कार्यों के लिए उद्दिष्ट निधि, जो वर्ष के अंत तक पूरी तरह खर्च नहीं की गयी थी, को अगले वर्ष हेतु आगे ले जाया जा रहा है।

12. **आकस्मिक देयताएं**
वर्तमान में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

13. **आरक्षित एवं अधिशेष अनुसूची**
लेखा परीक्षा के निदेशानुसार एचबीए, कंप्यूटर एवं बाहरी परियोजना निधि को उद्दिष्ट निधि में शामिल किया गया है

14. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी उन्हें तुलनीय बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूचियां 1 से 18 हस्ताक्षरित

कृतेः एन. कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार (एफआरएन 003637सी)

कृतेः वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

ह./–
सीए नवीन के. गुप्ता
सदस्यता सं. 056045
स्थानः देहरादून
दिनांकः 09 जून 2023
यूआईडीएनः 23072386बीजीएक्सआईक्यूआर3400

ह./–
शैलेश कुमार
लेखा अधिकारी

ह./–
हर्ष सिंह रावत
प्रशासन अधिकारी

ह./–
डॉ. अरविंद
महानिदेशक

V.V. Giri National Labour Institute is a premier institution involved in research, training, education, publication and consultancy on labour and related issues. Set up in 1974, the Institute is an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India. It is committed to establishing labour and labour relations as a central feature in the development agenda through:

- Undertaking research studies and training interventions of world class standards;
- Addressing issues of transformations in the world of work;
- Disseminating knowledge, skills and attitudes to major social partners and stakeholders concerned with labour and employment; and
- Building understanding and partnerships with globally respected institutions involved with labour.

श्रमेव जयते

V.V. GIRI NATIONAL LABOUR INSTITUTE

SECTOR-24, NOIDA - 201 301

UTTAR PRADESH, INDIA

Website: www.vvgnli.gov.in

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

श्रमेव जयते

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

सैक्टर 24, नौएडा–201 301

उत्तर प्रदेश (भारत)

वेबसाइट : www.vvgnli.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान